(दिनांक 17.09.2022 को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए)


भारत सरकार,
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग,
कर्मचारी चयन आयोग,
ब्लॉक सं . 12, केंद्रीय कार्यालय परिसर,
लोधी रोड, नई दिल्ली -110003

Government of India,
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions,
Department of Personnel and Training,
Staff Selection Commission,
Block No. 12, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi – 110003.


**(आयोग की वेबसाइट : https://ssc.nic.in)**

# विज्ञप्ति

## संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2022

| | |
|---|---|
| **ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथियां** | **17-09-2022 से 08-10-2022** |
| **ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि और समय** | **08-10-2022 (23:00)** |
| **ऑफलाइन चालान तैयार करने की अंतिम तिथि और समय** | **08-10-2022 (23:00)** |
| **ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि और समय** | **09-10-2022 (23:00)** |
| **चालान के माध्यम से भुगतान करने की अंतिम तिथि (बैंक के कार्य समय के दौरान)** | **10-10-2022** |
| **ऑनलाइन भुगतान सहित 'आवेदन में संशोधन करने हेतु विंडो ' की तिथियां।** | **12-10-2022 to 13-10-2022 (23:00)** |
| **टियर- I परीक्षा का अनंतिम कार्यक्रम (कंप्यूटर आधारित परीक्षा))** | **दिसंबर, 2022** |
| **टियर- II परीक्षा का अनंतिम कार्यक्रम (कंप्यूटर आधारित परीक्षा))** | **बाद में अधिसूचित किया जाएगा ।** |

**"सरकार एक ऐसा कार्यदल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिम्बित हो और महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्सहित किया जाता है।"**

**फा.सं. मु. - नी.यो.।03/11/2022 - नी.यो.-।:** कर्मचारी चयन आयोग भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों/संगठनों और विभिन्न सांविधानिक निकायों/सांविधिक निकायों/ न्यायाधिकरणों आदि में विभिन्न समूह 'ख' और समूह 'ग' पदों को भरने के लिए **संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2022** आयोजित करेगा । परीक्षा के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

2. **पदों का ब्यौरा**:- इस परीक्षा के माध्यम से भरे जाने वाले संभावित पदों का ब्योरा निम्नलिखित है:-

| **2.1 वेतन स्तर -8 (₹ 47600 से 151100):** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **क्रम सं.** | **पद का नाम** | **मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/संवर्ग** | **पदों का वर्गीकरण** | **आयु सीमा** |
| 1 | सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी | नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अंतर्गत भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग | समूह "ख" राजपत्रित (गैर अनुसचिवीय) | अधिकतम 30 वर्ष |
| 2 | सहायक लेखा अधिकारी | नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अंतर्गत भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग | समूह "ख" राजपत्रित(गैर अनुसचिवीय) | अधिकतम 30 वर्ष |
| **2.2 वेतन स्तर -7 (₹ 44900 से 142400):** | | | | |
| 3 | सहायक अनुभाग अधिकारी | केंद्रीय सचिवालय सेवा | समूह "ख" | 20-30 वर्ष |
| 4 | सहायक अनुभाग अधिकारी | खुफिया विभाग | समूह "ख" | अधिकतम 30 वर्ष |
| 5 | सहायक अनुभाग अधिकारी | रेल मंत्रालय | समूह "ख" | 20-30 वर्ष |
| 6 | सहायक अनुभाग अधिकारी | विदेश मंत्रालय | समूह "ख" | 20-30 वर्ष |
| 7 | सहायक अनुभाग अधिकारी | सशस्त्र सेना मुख्यालय | समूह "ख" | 20-30 वर्ष |
| 8 | सहायक अनुभाग अधिकारी | इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय | समूह "ख" | अधिकतम 30 वर्ष |
| 9 | सहायक / सहायक अनुभाग अधिकारी | अन्य मंत्रालय/विभाग/संगठन | समूह "ख" | अधिकतम 30 वर्ष |
| 10 | आयकर निरीक्षक | सीबीडीटी | समूह "ग" | अधिकतम 30 वर्ष |
| 11 | निरीक्षक (केंद्रीय उत्पाद शुल्क) | सीबीआईसी | समूह "ख" | अधिकतम 30 वर्ष |
| 12 | निरीक्षक (निवारक अधिकारी) | | | |
| 13 | निरीक्षक (परीक्षक) | | | |
| 14 | सहायक प्रवर्तन अधिकारी | प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व विभाग | समूह "ख" | 30 वर्ष तक |
| 15 | उप निरीक्षक | केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो | समूह "ख" | 20-30 वर्ष |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | डाक निरीक्षक | डाक विभाग, संचार मंत्रालय | समूह "ख" | अधिकतम 30 वर्ष |
| 17 | निरीक्षक | केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, वित्त मंत्रालय | समूह "ख" | अधिकतम 30 वर्ष |
| **2.3 वेतन स्तर -6 (₹ 35400 से 112400):** | | | | |
| 18 | सहायक | अन्य मंत्रालय/विभाग/संगठन | समूह "ख" | अधिकतम 30 वर्ष |
| 19 | मंडल लेखाकार | नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधीनस्थ कार्यालय | समूह "ख" | अधिकतम 30 वर्ष |
| 20 | उप निरीक्षक | राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) | समूह "ख" | 30 वर्ष तक |
| 21 | उप निरीक्षक/ कनिष्ठ आसूचना अधिकारी | नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड (एमएचए) | समूह "ख" | अधिकतम 30 वर्ष |
| 22 | कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी | सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय | समूह "ख" | 32 वर्ष तक |
| **2.4 वेतन स्तर -5 (₹ 29200 से 92300):** | | | | |
| 23 | लेखा परीक्षक | नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधीनस्थ कार्यालय | समूह "ग" | 18-27 वर्ष |
| 24 | लेखा परीक्षक | सीजीडीए के अंतर्गत कार्यालय | समूह "ग" | 18-27 वर्ष |
| 25 | लेखा परीक्षक | अन्य मंत्रालय/विभाग | समूह "ग" | 18-27 वर्ष |
| 26 | लेखाकार | नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधीनस्थ कार्यालय | समूह "ग" | 18-27 वर्ष |
| 27 | लेखाकार | नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय | समूह "ग" | 18-27 वर्ष |
| 28 | लेखाकार / कनिष्ठ लेखाकार | अन्य मंत्रालय/विभाग | समूह "ग" | 18-27 वर्ष |
| **2.4 वेतन स्तर -4 (₹ 25500 से 81100):** | | | | |
| 29 | डाक सहायक / छंटनी सहायक | डाक विभाग, संचार मंत्रालय | समूह "ग" | 18-27 वर्ष |
| 30 | वरिष्ठ सचिवालय सहायक / प्रवर श्रेणी लिपिक | केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा संवर्ग को छोड़कर केंद्र सरकार के अन्य कार्यालय | समूह "ग" | 18-27 वर्ष |
| 31 | वरिष्ठ प्रशासनिक सहायक | सैन्य अभियांत्रिकी सेवाएं, रक्षा मंत्रालय | समूह "ग" | 18-27 वर्ष |
| 32 | कर सहायक | सीबीडीटी | समूह "ग" | 18-27 वर्ष |
| 33 | कर सहायक | सीबीआईसी | समूह "ग" | 18-27 वर्ष |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34 | उप निरीक्षक | केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, वित्त मंत्रालय | समूह "ग" | 18-27 वर्ष |
| 35 | प्रवर श्रेणी लिपिक | सीमा सड़क संगठन निदेशालय (रक्षा मंत्रालय) (यह पद, अनुबंध – XVIII में दिए गए उच्चतर शारीरिक एवं चिकित्सीय मानक वाले पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ही है) | समूह "ग" | 18-27 वर्ष |

**टिप्पणी-I** : आयोग पदों का अंतिम रूप से आबंटन योग्यता-सह-अभ्यर्थियों द्वारा दी गई पदों की वरीयताओं के आधार पर करता है और पद का एक बार आबंटन करने के बाद, किसी पद की शारीरिक/चिकित्सा/शैक्षिक मानकों की विशिष्ट अपेक्षाओं को पूरा न करने के कारण, आयोग द्वारा पदों के आबंटन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। अन्य शब्दों में, उदाहरणत: यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी उच्चतर पद के लिए वरीयता दी है और वह उस पद के लिए चयनित हो जाता है, ऐसे मामले में यदि वह [अब से वह (पुरूष/ स्त्री) कहा जाए] चिकित्सा/शारीरिक/शैक्षिक मानकों को पूरा नहीं कर पाता है, तो उसकी [अब से उसकी (पुरूष/ स्त्री)] अभ्यर्थिता को अस्वीकार कर दिया जाएगा और उसके बारे में किन्हीं अन्य वरीयताओं के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

**टिप्पणी-II:** दस्तावेज सत्यापन के समय अथवा जब कभी आयोग द्वारा अपेक्षित हो, पदों के लिए वरीयता देते समय अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि इसमें निरीक्षक (केंद्रीय उत्पाद शुल्क/परीक्षक/निवारक आधिकारी), केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (वित्त मंत्रालय) में निरीक्षक और उप निरीक्षक, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो (गृह मंत्रालय) में उप निरीक्षक / कनिष्ठ आसूचना अधिकारी, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और राष्ट्रीय जांच एजेन्सी में उप निरीक्षक, सीमा सड़क संगठन में प्रवर श्रेणी लिपिक इत्यादि जैसे कुछ ऐसे पद हैं, जिनकी शारीरिक मानकों, शारीरिक जांचों और चिकित्सा मानकों (जिनका उल्लेख **अनुबंध-XVII और XVIII** में किया गया है) के संदर्भ में विशिष्ट अपेक्षाएं हैं। अभ्यर्थियों को अपनी वरीयताएं/विकल्प देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना चहिए कि वे उक्त पदों की सभी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं ।अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन और संबंधित प्रयोक्ता विभागों के लिए नामांकन होने के पश्चात प्रयोक्ता विभाग द्वारा शारीरिक मानकों का मापन, शारीरिक और चिकित्सा जांच कराई जाएगी।

**टिप्पणी-III:** इस भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले रिक्त पदों की संख्या,अभ्यर्थियों का योग्यता क्रम और उनकी किसी विशेष राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के वरीयता के आधार पर सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी / सहायक लेखा अधिकारी के पद के लिए चयनित उम्मीदवार को विभाग के अंतर्गत देश भर में फैले विभिन्न कार्यालयों में आवंटित किया जाएगा । इसके अलावा, वाणिज्य में स्नातक की डिग्री या वांछनीय योग्यता के साथ चयनित अभ्यर्थियों को प्रशासनिक आवश्यकता और रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर वाणिज्यिक स्ट्रीम के लिए आवंटित किया जाएगा।

**3. रिक्तियां एवं आरक्षण**

3.1 अनंतिम रिक्तियां : लगभग 20,000 रिक्तियां हैं। तथापि रिक्तियों की सही संख्या *का निर्धारण शीघ्र किया जाएगा*। अद्यतित रिक्तियों की स्थिति, यदि होगी, तो पदवार, श्रेणीवार रिक्तियों के साथ आयोग की

वेबसाइट (https://ssc.nic.in > Candidate's Corner > Tentative Vacancy) पर शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थी यह नोट कर लें कि आयोग द्वारा रिक्तियों का राज्य-वार / क्षेत्र-वार संग्रहण नहीं किया जाता है।

3.2 सभी श्रेणीयों के पदों/सेवाओं हेतु अनुसूचित जाति (अजा),अनुसूचित जनजति (अजजा), अन्य पिछडा वर्ग (अपिव), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (आकव), भूतपूर्व सैनिक (भूपूसै) और दिव्यांगजन (दि.) अभ्यर्थियों के लिए यथा-प्रयोज्य एवं अनुमत्य आरक्षण वर्तमान सरकारी आदेशों के अनुसार और मांगकर्ता मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/संवर्गो द्वारा किए गए निर्धारण एवं दी गई सूचना के अनुसार होगा।

3.3 भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तयां केवल समूह 'ग' पदों के लिए आरक्षित होंगी।

3.4 आयोग दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. 38-16/2020-डीडी-III, दिनांक 04.01.2021 के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्लूडी) अधिनियम, 2016 के तहत अथवा मांगकर्ता विभागों / संगठनों द्वारा पहचान किए गए और सूचित किए गए विशिष्ट पदों के लिए विभिन्न बेंचमार्क दिव्यांगताओं के लिए पदों की उपयुक्तता पर विचार करेगा।

3.5 आयोग अभ्यर्थियों का चयन विभिन्न पदों के लिए मांगकर्ता विभागों/संगठनों द्वारा रिपोर्ट की गई रिक्तियों के अनुसार करता है। किसी मांगकर्ता विभाग / संगठन की रिक्तियों की संख्या का निर्धारण करने में आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है। आरक्षण नीति का कार्यान्वयन, आरक्षण रोस्टर का रख-रखाव, विभिन्न श्रेणियों के लिए रिक्तियों का निर्धारण और विभिन्न बेंचमार्क दिव्यांगताओं के लिए पदों की उपयुक्तता की पहचान करना मांगकर्ता विभागों/संगठनों के अधिकार क्षेत्र (डोमेन) के अंतर्गत आते हैं।

**4. राष्ट्रीयता/नागरिकता:**

4.1 अभ्यर्थी या तो

4.1.1 भारत का नागरिक हो, या

4.1.2 नेपाल की प्रजा हो, या

4.1.3 भूटान की प्रजा हो, या

4.1.4 ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में आ गया हो, या

4.1.5 भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा,श्रीलंका,पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या,यूगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया(भूतपूर्व टंगनिका व जंजीबार), जांबिया, मालावी,जायरे, इथोपिया और वियतनाम से प्रवर्जन किया हो।

4.2 बशर्ते कि उपर्युक्त (4.1.2),(4.1.3),(4.1.4) तथा (4.1.5) श्रेणियों का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका हो।

4.3 ऐसे अभ्यर्थी, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है, को परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, परन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसको भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के बाद ही दिया जाएगा।

**5 आयु सीमा (दिनांक 01.01.2022 के अनुसार)**

5.1 विभिन्न पदों के लिए आयु सीमा निम्नानुसार है:

| **क्र. सं.** | **आयु सीमा** | **टिप्पणी** |
|---|---|---|
| (i) | वे पद जिनके लिए आयु सीमा 18 - 27 वर्ष है | अभ्यर्थी का जन्म 02.01.1995 से पूर्व और 01.01.2004 के पश्चात न हुआ हो |
| (ii) | वे पद जिनके लिए आयु सीमा 20 - 30 वर्ष है | अभ्यर्थी का जन्म 02.01.1992 से पूर्व और 01.01.2002 के पश्चात न हुआ हो |
| (iii) | वे पद जिनके लिए आयु सीमा 18-30 वर्ष है | अभ्यर्थी का जन्म 02.01.1992 से पूर्व और 01.01.2004 के पश्चात न हुआ हो |
| (iv) | वे पद जिनके लिए आयु सीमा 18-32 वर्ष है | अभ्यर्थी का जन्म 02.01.1990 से पूर्व और 01.01.2004 के पश्चात न हुआ हो |

5.2 आयु में छूट का दावा करने के लिए ऊपरी आयु सीमा में अनुज्ञेय छूट और श्रेणी कोड निम्नानुसार हैं:

| **कोड सं.** | **श्रेणी** | **ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में अनुज्ञेय छूट** |
|---|---|---|
| 01 | अजा/अजजा | 5 वर्ष |
| 02 | अपिव | 3 वर्ष |
| 03 | दिव्यांगजन (अनारक्षित) | 10 वर्ष |
| 04 | दिव्यांगजन (अपिव) | 13 वर्ष |
| 05 | दिव्यांगजन (अजा/ अजजा) | 15 वर्ष |
| 06 | भूतपूर्व सैनिक(भूपूसै) | आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष |
| 08 | किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक | 03 वर्ष |
| 09 | किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक (अजजा/अजा) | 08 वर्ष |
| **समूह 'ग' पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अतिरिक्त अनुज्ञेय छूट** | | |
| 10 | केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को कम से | 40 वर्ष की आयु तक |

| | | |
|---|---|---|
| | कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो | |
| 11 | केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी(अजा/अजजा) जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो | 45 वर्ष की आयु तक |
| 12 | विधवा/तलाक़शुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक रूप से विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनर्विवाह न किया हो। | 35 वर्ष की आयु तक |
| 13 | विधवा/तलाक़शुदा महिलाएं (अजा/अजजा) तथा अपने पति से न्यायिक रूप से विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनर्विवाह न किया हो। | 40 वर्ष की आयु तक |

5.3 समूह-ख राजपत्रित पदों के लिए, उन कमीशंड अफसरों और इसीओ/एसएससीओज सहित भूतपूर्व सैनिकों के मामले में आयु सीमा में छूट अधिकतम 5 वर्ष है, जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक न्यूनतम 5 वर्ष की सैन्य सेवा की हो और निम्नलिखित कारण से सेवा से निर्मुक्त किया गया हो;

5.3.1 कार्यकाल पूरा करने पर (इसमें वे भी शामिल हैं जिनका कार्यकाल आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरा होना है), जिन्हें कदाचार या अदक्षता के कारण बर्खास्त या निर्मुक्त न किया गया हो; या

5.3.2 सैन्य सेवा के कारण शारीरिक दिव्यांगता के कारण; या

5.3.3 शारीरिक अशक्तता के कारण

5.4 समूह-ख राजपत्रित पदों के लिए, उन इसीओज/एसएससीओज के मामले में आयु सीमा में छूट अधिकतम 5 वर्ष है, जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक सैन्य सेवा का 5 वर्ष का प्रारंभिक कार्यकाल पूरा कर लिया हो और जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से आगे बढ़ा दिया हो तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय यह प्रमाणपत्र जारी कर देता है कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और उनका चयन होने पर उन्हें नियुक्ति का प्रस्ताव होने की तारीख से 3 माह के भीतर निर्मुक्त कर दिया जाएगा।

5.5 आयोग द्वारा आयु के निर्धारण हेतु अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई वही जन्म तिथि स्वीकार की जाएगी जो मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज है और बाद में इसमें कोई परिवर्तन किए जाने के अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न ही इसे स्वीकार किया जाएगा।

5.6 ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभ को प्राप्त करके केन्द्र सरकार के अंतर्गत सिविल पदों पर समूह 'ग' और 'घ' पदों में पहले से ही नियमित आधार पर नौकरी प्राप्त कर ली है, वे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में आरक्षण और शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं। तथापि, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 14 अगस्त, 2014 के का.ज्ञा.सं.36034/1/2014-स्था(पुन.) में यथा उल्लिखितानुसार वे उत्तरवर्ती नियोजन के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं यदि वे

सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करने के तत्काल बाद उन विभिन्न रिक्तियों, जिनके लिए उन्होंने प्रारंभिक सिविल नौकरी में कार्यभार ग्रहण से पहले आवेदन किया था, के आवेदनों के तिथि-वार ब्यौरे के संबंध में संबंधित नियोक्ता को स्वतः घोषणा/करता है/करती है/वचन देता है/वचन देती है।

5.7 सशस्त्र सेनाओं में भूतपूर्व सैनिक की "काल अप सर्विस" की अवधि आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से नियमानुसार सशस्त्र सेनाओं में प्रदत्त सेवा के रूप में भी मानी जाएगी।

5.8 आरक्षण के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने इस पद/सेवा के लिए आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर भूपूसै का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो, अथवा उसे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को सिद्ध करने की स्थिति में होना चाहिए कि वह आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर अर्थात 08.10.2023 को सशस्त्र सेनाओं की विनिर्दिष्ट सेवा की अवधि पूरी कर लेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर एक भूतपूर्व सैनिक का दर्जा भी अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए।

5.9 **<u>स्पष्टीकरण</u>**: भूपूसै से आशय उस व्यक्ति से है-

5.9.1 जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रुप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा

5.9.1.1 जो पेंशन अर्जित करने के पश्चात अपने अनुरोध पर या नियोक्ता द्वारा सेवा मुक्त किए जाने पर ऐसी सेवा से सेवा निवृत्त हुआ हो या निर्मुक्त हुआ हो या छोड़ा गया हो; या

5.9.1.2 जिसे सैनिक सेवा से चिकित्सा आधार कार्यमुक्त किया गया हो अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अशक्तता पेंशन दी गई हो; या

5.9.1.3 जिसे कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरुप उस सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो;

या

5.9.2 जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न करके किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक नामतः निरंतर मूर्त सेवा अथवा अलग-अलग अवधियों में की गई अर्हक सेवा वाले पेंशनधारी भी शामिल हैं;

अथवा

5.9.3 सैन्य डाक सेवा के कार्मिक जो कि नियमित सेना के अंग हैं और जो अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तित हुए बिना सैन्य डाक सेवा से पेंशन सहित सेवा निवृत्त हुए हैं अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण अथवा सैन्य सेवा के कारण अशक्त होकर चिकित्सा आधार पर सैन्य डाक सेवा से कार्यमुक्त हुए हैं और उन्हें चिकित्सा अथवा अन्य निःशक्तता पैंशन मिली हुई है**;**

अथवा

5.9.4 ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल**,** 1987 से पूर्व सैन्य डाक सेवा में 06 माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे**;**

अथवा

5.9.5 प्रादेशिक प्रांतीय सेना के कार्मिकों सहित सशस्त्र सेनाओं के वीरता पुरस्कार विजेता**;**

अथवा

5.9.6 भर्ती हुए भूतपूर्व सैनिक जिन्हें चिकित्सा आधार सेवा से मुक्त किया गया है अथवा कार्यमुक्त किया गया है और जिन्हें चिकित्सा निःशक्तता पेंशन दी गई है।

5.10 एक मैट्रिक भूतपूर्व सैनिक (जिसमें वह भूतपूर्व सैनिक शामिल है, जिसने भारतीय सैन्य शिक्षा का विशेष प्रमाणपत्र या नौसेना या वायु सेना में तदनुरूपी प्रमाणपत्र प्राप्त किया है) जिसने संघ की सशस्त्र सेनाओं में न्यूनतम 15 वर्ष की सेवा की है, उसे समूह 'ग' पदों में भूपूसै के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति हेतु पात्र समझा जाएगा। इसलिए, जिन गैर स्नातक भूतपूर्व सैनिकों ने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 15 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है अथवा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के एक वर्ष के भीतर 15 वर्ष की सेवा पूरी नहीं करते हैं, वे इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। ऐसे भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी समूह 'ख' पदों के लिए पात्र नहीं हैं।

5.11 **भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र-पुत्रियों और आश्रितों को आयु सीमा में छूट/भूतपूर्व सैनिक को दिया जाने वाला आरक्षणअनुमत्य नहीं है । अत: ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी भूतपूर्व सैनिक के रूप में नहीं दर्शानी चाहिए ।**

## 6 प्रमाणन की प्रक्रिया एवं प्रमाण पत्रों का प्रारुप:

6.1 जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों हेतु विचार किए जाने अथवा आयु में छूट पाने के इच्छुक हैं, उन्हें संबंधित मांगकर्ता विभागों/ संगठनों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय इन प्रमाणपत्रों के मांगे जाने पर निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा, अजा / अजजा / अपिव / आकव / दि. / भूपूसै श्रेणी के उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी । प्रमाणपत्रों के प्रारुप इस परीक्षा की विज्ञप्ति के साथ संलग्न हैं। दिव्यांगता (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और संपूर्ण भागीदारी)

अधिनियम, 1995 (1996 का 1) के अंतर्गत जारी जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र भी वैध होगा। किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त किए गए प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

6.2 अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि वे आवेदन पत्र में भरी गई श्रेणी से संबंधित हैं और संबंधित मांगकर्ता विभागों / संगठनों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय इस तरह के प्रमाणपत्र मांगे जाने पर वे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके इसे साबित करने में सक्षम हैं जिसमें विफल होने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को आवेदनपत्र में भरी गई श्रेणी के समर्थन में अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के लिए मांगकर्ता विभाग/संगठन द्वारा खारिज कर दिया जाता है, तो इसके लिए अभ्यर्थी पूरी तरह से उत्तरदायी होगा और इस संबंध में आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी रूप में प्राप्त किसी भी शिकायत पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और इसे सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

*उदाहरण के लिए, अभ्यर्थी एक्स ने अपने आवेदन पत्र में ओबीसी भरा । तथापि, मांगकर्ता विभाग/संगठन द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान, वह वैध ओबीसी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है। ऐसी स्थिति में, मांगकर्ता विभाग/संगठन द्वारा X की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।*

6.3 अजा / अजजा / अपिव / आकव / दि.जन स्थिति के दावे या किसी अन्य लाभ नामत: शुल्क में छूट, आरक्षण, आयु में छूट आदि की निर्णायक तिथि, जहां पर अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है, ऑनलाइन आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात 08.10.2022 होगी ।

6.4 अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति की अपेक्षा करने वाले व्यक्ति को अवश्य सुनिश्चित करना चहिए कि उसके पास जाति/समुदाय का प्रमाण पत्र है तथा वह निर्णायक तिथि को क्रीमी लेयर में नही आता/आती है।

6.5 अभ्यर्थी यह भी नोट करें कि उपर्युक्त के होते हुए भी उनकी अभ्यर्थिता तब तक अनंतिम रहेगी, जब तक कि नियुक्ति प्रधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज की यथातथ्यता की पुष्टि नहीं कर ली जाती। अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा / अजजा / अपिव / आकव / शा.दि. / भूपूसै श्रेणी का दावा करते हैं या कोई अन्य लाभ प्राप्त करते हैं तो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से उन्हें वारित कर दिया जाएगा।

7 **अतिरिक्त समय का प्रावधान तथा प्रलिपिक की सहायता:**

7.1 दृष्टिहीनता, चालन संबंधी दिव्यांगता (दोनों बांह प्रभावित-दो.बां.) और प्रमस्तिष्कीय से पीड़ित श्रेणी में न्यूनतम मानदंड वाले दिव्यांग व्यक्तियों के मामले में, यदि अभ्यर्थी द्वारा वांछित है तो प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाती है।

7.2 न्यूनतम मानदंड वाले दिव्यांग व्यक्तियों की शेष श्रेणियों के मामले में, **अनुबंध-I** पर दिए प्रोफार्मा के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य देखरेख संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से इस

आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाएगी कि संबंधित व्यक्ति की लेखन संबंधी शारीरिक सीमाएं हैं और उसकी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए प्रलिपिक अत्यावश्यक है।

7.3 दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रलिपिक/पाठ वाचक की सुविधा तभी दी जाएगी, जब उन्होंने ऑनलाइन आवेदन में उसका विकल्प चुना हो।

7.4 अभ्यर्थी के पास अपने प्रलिपिक अथवा आयोग द्वारा मुहैआ कराए गए प्रलिपिक की सुविधा में से किसी एक को चुनने का विवेकाधिकार होगा। ऑनलाइन अभ्यर्थी को आवेदन प्रपत्र में इस संबंध में उपयुक्त विकल्प देना होगा।

7.5 यदि अभ्यर्थी अपने प्रलिपिक का विकल्प देता है तो प्रलिपिक की योग्यता, परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर नीचे होनी चाहिए। अपने प्रलिपिक के लिए विकल्प दे रहे न्यूनतम मानदंड वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के समय **अनुबंध-II** पर दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार अपने प्रलिपिक के ब्यौरे प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। इसके अलावा प्रलिपिक को परीक्षा के समय अपने वैध पहचान प्रमाणपत्र की (पैरा 14.7 पर दी गई सूची के अनुसार) मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी। **अनुबंध-II** पर दिए गए प्रोफार्मा के साथ अभ्यर्थी और प्रलिपिक द्वारा हस्ताक्षरित प्रलिपिक के पहचान प्रमाणपत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की जाएगी। यदि बाद में यह पाया जाता है कि प्रलिपिक की योग्यता, अभ्यर्थी द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी उस पद के लिए अपने अधिकार और उससे जुड़े दावों को खो देगा।

7.6 यदि अभ्यर्थी अपना प्रलिपिक चुनता है तो वह प्रलिपिक इस परीक्षा का अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी प्रलिपिक के रूप में दूसरे दिव्यांग अभ्यर्थी की सहायता करते हुए पाया जाता है तो दोनों अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

7.7 ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें उपरोक्त पैरा 7.1 और 7.2 में यथा-वर्णित उपबंधों के अनुसार प्रलिपिक की सहायता लेने की अनुमति दी गई है, उन्हें परीक्षा में प्रति घंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।

7.8 उपरोक्त पैरा 7.1 और 7.2 में संदर्भित अभ्यर्थी, जिन्हें प्रलिपिक की सहायता लेने की अनुमति दी गई है, लेकिन वे प्रलिपिक की सुविधा का लाभ नहीं ले रहे हैं, तो उन्हें भी परीक्षा में प्रतिघंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।

7.9 परीक्षा हॉल के अन्दर पात्र अभ्यर्थियों के साथ प्रलिपिक के अलावा किसी अन्य परिचर को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

7.10 एकाक्ष (एक आंख वाला) अभ्यर्थी और आशिंक रूप से दृष्टिहीन व्यक्ति जो आवर्धक लैंस से या उसके बिना सामान्य प्रश्न-पत्र पढ़ सकते हैं और आवर्धक लैंस की सहायता से उत्तर अंकित करना चाहते है, उन्हें परीक्षा कक्ष में आवर्धक लैंस का प्रयोग करने की अनुमति होगी और उन्हें प्रलिपिक की सुविधा लेने का हक नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में अपना आवर्धक लैंस लाना होगा।

7.11 दिव्यांग अभ्यर्थी, जिन्होंने प्रलिपिक/पाठ वाचक की सुविधा और/अथवा अतिरिक्त समय का लाभ लिया है, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय प्रलिपिक/अतिरिक्त समय की पात्रता के लिए संगत दस्तावेज अवश्य प्रस्तुत करने होंगे। ऐसे समर्थक दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा।

## 8 अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं (दिनांक 08.10.2022 को)

### 8.1 सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी/ सहायक लेखा अधिकारी

8.1.**1 अनिवार्य योग्यताएं** : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक डिग्री।

8.1.2 **वांछनीय योग्यताएं** : चार्टर्ड एकाउटेंट अथवा लागत एवं प्रबंधन लेखाकार अथवा कम्पनी सचिव अथवा वाणिज्य निष्णात अथवा व्यवसाय अध्ययन निष्णात अथवा व्यवसाय प्रशासन निष्णात (वित्त) अथवा व्यवसाय अर्थशास्त्र निष्णात।

8.1.3 सीधे भर्ती किए गए अधिकरियों को सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी के रूप में स्थायीकरण और नियमित नियुक्ति के लिए परिवीक्षा अवधि के दौरान, अपनी-अपनी शाखाओं में "अधीनस्थ लेखा-परीक्षा/लेखा सेवा परीक्षा" उत्तीर्ण करनी होगी।

### 8.2 कनिष्ठ सांख्यिकी आधिकारी:

8.2.1 कक्षा 12 के स्तर पर गणित में कम से कम 60 प्रतिशत अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी विषय में स्नातक डिग्री।

अथवा

किसी विषय में स्नातक डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर सांख्यिकी एक विषय के रूप में ली गई हो।

### 8.3 अन्य सभी पद :

8.3.1 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री।

8.4 जो अभ्यर्थी अपनी स्नातक शिक्षा के अंतिम वर्ष की परीक्षा दे रहे हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि उन्होंने अनिवार्य शैक्षिक योग्यता कटऑफ तारीख अर्थात दिनांक 08.10.2022 को या उससे पहले उत्तीर्ण कर ली है। ।

8.5 भारत के राजपत्र में प्रकशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 10.06.2015 की आधिसूचना के अनुसार संसद अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालयवत संस्थाओं और संसद के किसी अधिनियम के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के माध्यम से प्रदान की गई तकनीकी शिक्षा डिग्री/डिप्लोमा सहित समस्त डिप्लोमा/डिग्रियां/प्रमाणपत्र केन्द्र सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में नियोजन के प्रयोजन से स्वत: ही मान्यता प्राप्त हैं बशर्ते कि उनको दूरस्थ शिक्षा

ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन प्राप्त हो। तदनुसार, यदि ऐसी डिग्रियां उस प्रासंगिक अवधि के लिए मान्य नहीं है जब अभ्यर्थियों उन्हें हासिल किया है, उन्हें शैक्षिक योग्यता के प्रयोजनार्थ स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से प्रदान की गई ऐसी डिग्री / डिप्लोमा / प्रमाण पत्र रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले में, ऐसे अभ्यर्थी दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रासंगिक अवधि के लिए दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय को दिए गए अनुमोदन को भी प्रस्तुत करेंगे।

8.6 भारत के राजपत्र के भाग-III (8)(v) के तहत दिनांक 23.06.2017 को प्रकाशित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा) विनियम 2017 के अनुसार, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के तहत किए गए अभियांत्रिकी, चिकित्सा, दंत, नर्सिंग, फार्मेसी, वास्तुकला और फिजियोथेरेपी आदि के पाठ्यक्रम अनुमत्य नहीं हैं। तथापि, मुकुल कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम एआईसीटीई एवं अन्य के मामले में, डब्ल्यू.पी.(सी) सं. 382/2018 में एमए सं. 3092/2018 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11-03-2019 के आदेश के अनुपालन में, इग्नू द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में नामांकित छात्रों को प्रदान की गई अभियांत्रिकी में बी.टेक डिग्री/डिप्लोमा यथा-प्रयोज्य वैध माना जाएगा

8.7 दस्तावेजी सत्यापन के लिए बुलाए गए सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि उससे पूर्व न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के प्रमाण के रूप प्रासंगिक प्रमाणपत्र जैसेकि स्नातक के सभी तीन वर्षों के अंकपत्र / अनंतिम प्रमाणपत्र / मूल रूप में स्नातक की डिग्री प्रस्तुत करने होंगे, इसमें विफल रहने पर आयोग द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। वे अभ्यर्थी जो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित कर पाते हैं कि अर्हक परीक्षा का परिणाम कट्-ऑफ तिथि को अथवा उससे पूर्व घोषित किया गया था तथा उन्हें उत्तीर्ण घोषित किया गया है, तो शैक्षिक योग्यता को पूरा करने की दृष्टि से उनके नाम पर भी विचार किया जाएगा। **यह पुन: बताया जाता है कि जरूरी शैक्षणिक योग्यता के परिणाम संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट तिथि तक घोषित हो जाने चाहिए। संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा महत्वपूर्ण अंतिम तिथि से पहले महज परिणाम की प्रक्रिया शुरू करना ही आवश्यक शैक्षणिक योग्यता पूरा करना नहीं हैं।**

8.8 समकक्ष शैक्षिक योग्यता धारण करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में, ऐसे अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय संबंधित प्राधिकारियों से प्राप्त संगत समकक्षता प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा। तथापि, ऐसे अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में अंतिम निर्णय संबंधित प्रयोक्ता विभागों/नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा लिया जाएगा।

## 9. आवेदन कैसे करें:

9.1 आवेदन-पत्र केवल ऑनलाइन मोड में कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात https://ssc.nic.in पर जमा किए जाने चाहिए। विस्तृत निर्देशों के लिए कृपया **अनुबंध - III** और **अनुबंध- IV** का अवलोकन करें। एक-बारगी पंजीकरण का और ऑनलाइन आवेदन का नमूना प्रोफार्मा **अनुबंध-IIIक** और **अनुबंध- IVक** के रूप में संलग्न हैं।

9.2 ऑनलाईन आवेदन-पत्र में, अभ्यर्थियों को जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए हुए रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो (20 केबी से 50 केबी) अपलोड करनी होगी। **फ़ोटोग्राफ परीक्षा-विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तारीख से तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए** फोटोग्राफ की छवि का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी और बिना चश्मे की होनी चाहिए और उसमें सामने का चेहरा स्पष्ट दिखाई देना चाहिए।

9.3 **यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उचित फोटोग्राफ अपलोड नहीं किया जाता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। फोटोग्राफ के जो नमूने स्वीकार्य/अस्वीकार्य हैं, अनुबंध-V में दिए गए हैं।**

9.4 ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय 08.10.2022 (23:00) है।

9.5 **अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें और अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन जमा कर दें क्योंकि अंतिम दिनों में नेटवर्क व्यस्त होने के कारण संपर्क में बाधा/असमर्थता हो सकती है और क.च.आ. की वेबसाइट पर लॉगइन करने में विफलता हो सकती है।**

9.6 आयोग उक्त कारणों से या अपने नियंत्रण से परे किसी भी अन्य कारण से अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम तिथि के भीतर अपने आवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

9.7 ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थियों को प्रीव्यू / प्रिंट विकल्प के माध्यम से यह जांच कर लेनी चाहिए कि उन्होंने आवेदनपत्र के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है।

**10. आवेदन शुल्क:**

10.1 देय शुल्कः 100 / - रुपए (एक सौ रुपए मात्र)

10.2 महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.), बेंचमार्क दिव्यांगजनों और आरक्षण के हकदार भूतपूर्व सैनिक (भू.पू.सै.) अभ्यर्थियों को शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है.

10.3 शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग के माध्यम से या वीजा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो, रुपे क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके या एसबीआई की शाखा में नकद भुगतान करके एसबीआई चालान बनवा कर किया जा सकता है।

10.4 अभ्यर्थी ऑनलाइन शुल्क का भुगतान 09.10.2022 (23:00 बजे) तक कर सकते हैं। तथापि वे अभ्यर्थी जो भारतीय स्टेट बैंक के चालान के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं, वे 10.10.2022 तक बैंक के कार्य समय के भीतर भारतीय स्टेट बैंक की निर्धारित शाखाओं में भुगतान कर सकते हैं, बशर्ते कि उन्होंने दिनांक 08.10.2022 (23:00 बजे) तक चालान बनवा लिया है।

10.5 जिन अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान से छूट नहीं मिली है, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका शुल्क कर्मचारी चयन आयोग को प्राप्त हो गया है। यदि शुल्क क.च.आ. को प्राप्त नहीं होता है, तो आवेदन पत्र की

स्थिति **'अपूर्ण'** दर्शाई जाएगी और यह जानकारी ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट के शीर्ष पर छपी होगी। इसके अलावा, शुल्क भुगतान की स्थिति को अभ्यर्थी के लॉगिन स्क्रीन में दिए गए **"भुगतान की स्थिति"** लिंक पर सत्यापित किया जा सकता है। ऐसे आवेदन जो शुल्क न मिलने के कारण अपूर्ण रह जाते हैं, उन्हें सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और परीक्षा विज्ञप्ति में निर्दिष्ट अवधि के बाद ऐसे आवेदनों पर विचार करने और शुल्क भुगतान करने का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

10.6 एक बार भुगतान किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।

## 11. आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए विंडो [12-10-2022 से 13-10-2022 (23:00 बजे)]:

11.1 आयोग ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, ऑनलाइन आवेदन परिमापों को ठीक / संशोधित करने के लिए अभ्यर्थियों को 2 दिनों की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार एकबारगी पंजीकरण / ऑनलाइन आवेदन डेटा में अपेक्षित संशोधन / परिवर्तन करने के बाद आवेदन फिर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी।

11.2 किसी भी अभ्यर्थी को 'आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' के दौरान अपने आवेदन को संशोधित करने और संशोधित आवेदन को फिर से जमा करने के लिए दो बार अनुमति दी जाएगी, अर्थात यदि उसने अपने अद्यतित आवेदन में भी गलती की है, तो उसे अपेक्षित सुधार/संशोधन करने के बाद एक बार फिर से सही आवेदन जमा करने की अनुमति दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र में कोई और संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

11.3 केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में संशोधन करने की अनुमति दी जाएगी, जिनके सभी प्रकार से पूरे ऑनलाइन आवेदन अपेक्षित शुल्क के भुगतान के साथ, आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त किए गए हैं।

11.4 आयोग पहली बार आवेदन पत्र में संशोधन करने और संशोधित/ सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹ 200/- की एक समान सुधार राशि और दूसरी बार संशोधन करने और संशोधित/सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹ 500/- की एक समान सुधार राशि लगाएगा। सुधार राशि सभी अभ्यर्थियों पर लागू होगी चाहे उनका लिंग / श्रेणी कुछ भी हो।

11.5 सुधार राशि का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग या वीज़ा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो, रुपे क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है।

11.6 एक बार भुगतान की गई सुधार राशि को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।

11.7 आवेदनपत्र सुधार राशि के अध्यधीन नवीनतम आशोधित / संशोधित आवेदन को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए गए पिछले आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा।

11.8 यदि आवेदनपत्र सुधार राशि क.च.आ. को प्राप्त नहीं होती है , तो आवेदन पत्र की स्थिति **'अपूर्ण'** दर्शाई जाएगी और यह जानकारी ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट के शीर्ष पर छपी होगी। ऐसे आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और पहले जमा किए गए आवेदन वैध रहेंगे ।

11.9 संशोधित आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थी यह जांच कर लें कि उन्होंने फार्म के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है। 'आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' की अवधि के समाप्त हाने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिवर्तन / सुधार / संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी माध्यम से प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

**12. परीक्षा केन्द्र:**

12.1 अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में उस केंद्र (केंद्रों) को जरूर इंगित करना चाहिए जिसमें वह परीक्षा देना चाहता है। परीक्षा केंद्रों और क्षेत्रीय कार्यालयों, जिनके क्षेत्राधिकार में ये परीक्षा केन्द्रों पर स्थित हैं, का विवरण निम्नानुसार हैं:

| क्र. सं. | परीक्षा केन्द्र तथा केन्द्र कोड | कर्मचारी चयन आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय और उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र | क्षेत्रीय कार्यालयों / उनकी वेबसाइट का पता |
|---|---|---|---|
| 1 | भागलपुर (3201), मुजफ्फरपुर (3205), पटना (3206), पूर्निया (3209) आगरा (3001), बरेली (3005), गोरखपुर (3007), झांसी (3008),कानपुर (3009), लखनऊ (3010) मेरठ (3011), प्रयागराज (3003), वाराणसी (3013) | **मध्य क्षेत्र (म.क्षे.)**/ बिहार तथा उत्तर प्रदेश | क्षेत्रीय कार्यालय (म.क्षे), कर्मचारी चयन आयोग, 34 ए, महात्मा गांधी मार्ग सिविल लाइन्स, केंद्रीय सदन प्रयागराज, उत्तर प्रदेश -211001 (http://www.ssc-cr.org) |
| 2 | पोर्ट ब्लेयर (4802), धनबाद (4206), हजारीबाग(4204), जमशेदपुर (4207), रांची (4205), बालासोर (ओडिशा) (4601), बेरहमपोर (ओडिशा) (4602), भुवनेश्वर (4604), कटक (4605), राऊरकेला (4610), सम्बलपुर (4609), गंगटोक (4001), आसनसोल (4417), | **पूर्वी क्षेत्र (पू.क्षे.)**/ अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, उडीसा, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल | क्षेत्रीय कार्यालय(पू.क्षे.) कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम एमएसओ भवन, (आठवां तल) , 234/4, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700020 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | बर्दमान (4404), दुर्गापुर (4426), कल्याणी(4419), कोलकाता (4410), सिलीगुड़ी (4415) | | (www.sscer.org) |
| 3 | बेलगावी (9002), बेंगलूरू (9001), हुबबाली (9011), कलबुरगी (गुलबर्गा) (9005), मंगलुरू (9008), मैसुरु (9009), शिवमोगा (9010), उडुपी (9012), एर्नाकुलम (9213), कन्नूर (9202), कोलम (9210), कोट्याम (9205), कोझिकोड (9206), त्रिशुर (9212), तिरूवनंतपुरम (9211) | **कर्नाटक, केरल क्षेत्र (क.के.क्षे.)** लक्ष्यद्वीप, कर्नाटक तथा केरल | क्षेत्रीय निदेशक (क.के.क्षे), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, "ई" विंग, केन्द्रीय सदन, कोरमंगला, बेंगलूरू, कर्नाटक-560034 (www.ssckkr.kar.nic.in) |
| 4 | भोपाल (6001), ग्वालियर (6005), इंदौर (6006), जबलपुर (6007), सतना (6014), उज्जैन (6016), बिलासपुर (6202), रायपुर(6204), दुर्ग-भिलाई (6205), | **मध्य प्रदेश उप-क्षेत्र (म.प्र.क्षे)**/ छत्तीसगढ़ तथा मध्यप्रदेश | उप निदेशक (म.प्र.क्षे), कर्मचारी चयन आयोग, 5वां तल, इनवेस्टमेंट बिल्डिंग, एलआईसी कैंपस-2, पंडरी रायपुर, छत्तीसगढ़-492004 (www.sscmpr.org) |
| 5 | ईटागनर (5001), डिबरुगढ़ (5102), गुवाहाटी (दिसपुर) (5105), जोरहाट (5107), सिलचर (5111), चुड़ाचांदपुर (5502), इम्फाल (5501), उखरुल (5503), शिलांग (5401), आइजॉल (5701), दीमापुर (5301), कोहिमा (5302), अगरतला (5601)। | **उत्तर पूर्वी क्षेत्र (उ.पू.क्षे.)**/ अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोराम, नागालैंड तथा त्रिपुरा | क्षेत्रीय निदेशक (उ.पू.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, हाउसफेड कम्प्लैक्स, लास्ट गेट, बेलाटोला, बशिष्ठ रोड, डाकघर- असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी, असम-781006 (www.sscner.org.in) |
| 6 | देहरादून (2002), हलद्वानी (2003), हरिद्वार (2005), रूड़की (2006), दिल्ली (2201),अजमेर (2401), अलवर (2402), बीकानेर (2404), जयपुर (2405),जोधपुर (2406), कोटा (2407), श्रीगंगानागर (2408), उदयपुर (2409), सीकर (2411) | **उत्तरी क्षेत्र (NR)**/ दिल्ली ,राजस्थान तथा उत्तराखंड | क्षेत्रीय निदेशक (उ.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक सं 12,केन्द्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 (www.sscnr.net.in) |
| 7 | चंडीगढ़ / मोहाली (1601), हमीरपुर (1202), शिमला (1203), जम्मू (1004), सांबा(1010), श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर) (1107), लेह (1005), अमृतसर (1404), जलंधर (1402), लुधियाना (1405), | **पश्चिमोत्तर उप-क्षेत्र (पश्चि.क्षे.)**/ चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर लद्दाख तथा | उप निदेशक (पश्चि.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक सं. 3, भूतल, केन्द्रीय सदन, सैक्टर-9, चंडीगढ़-160009 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | पटियाला (1403) | पंजाब | (www.sscnwr.org) |
| 8 | चिराला (8011), गुन्टूर (8001), काकीनाडा (8009), करनूल (8003), नेल्लोर (8010), राजामुन्द्री (8004), तिरुपति (8006), विजियानगरम (8012), विजयवाड़ा (8008), विशाखापत्तनम (8007), पुडुचेरी (8401), चेन्नै (8201), कोयंबटूर (8202), कृष्णागिरी (8209), मदुरै (8204), सेलम (8205), तिरुचिरापल्ली (8206), तिरुनेवेली (8207) वेल्लोर (8208), हैदराबाद (8601), करीमनगर (8604), वारांगल(8603) | **दक्षिणी क्षेत्र (द.क्षे.)**/ आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना | क्षेत्रीय निदेशक (द.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, द्वितीय तल, ईवीके संपत बिल्डिंग , डीपीआई परिसर, कॉलेज रोड, चेन्नै, तमिलनाडु-600006 (www.sscsr.gov.in) |
| 9 | पणजी (7801), अहमदाबाद (7001), आनंद (7011), गांधीनगर (7012), मेहसाना (7013), राजकोट (7006), सूरत (7007), वडोदरा (7002), अमरावती (7201), औरंगाबाद (7202), जलगांव (7214), कोल्हापुर (7203), मुम्बई (7204), नागपुर (7205), नांदेड (7206), नासिक (7207), पुणे (7208) | **पश्चिमी क्षेत्र (प.क्षे.)** / दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र | क्षेत्रीय निदेशक (प.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, दक्षिण विंग, प्रतिष्ठा भवन, 101, महर्षि करवे रोड, मुंबई, महाराष्ट्र - 400020 (www.sscwr.net) |

12.2 अभ्यर्थी एक ही क्षेत्र के भीतर प्राथमिकता के क्रम में तीन केन्द्रों का विकल्प दे सकता है। परीक्षा के किसी भी स्तर पर / टियर (टियरों ) में केन्द्र के परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को केंन्द्रों का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए और अपने आवेदनों में इसे ठीक से इंगित करना चाहिए।

12.3 आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चुने गए केन्द्रों में समायोजित करने का प्रयास करेगा। तथापि, आयोग अधिकार है कि वह किसी भी केन्द्र को रद्द कर दे और उस केंन्द्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केन्द्र से परीक्षा में बैठने के लिए कहे। आयोग को यह भी अधिकार है कि वह परीक्षा देने के लिए किसी भी केंन्द्र के अभ्यर्थी को किसी अन्य केंन्द्र पर स्थानांतरित कर दे।

13 **परीक्षा की रूपरेखा**

13.1 कम्प्यूटर आधारित परीक्षा निम्नलिखित दो टियरों में आयोजित की जाएगी :-

13.1.1 टियर-I
13.1.2 टियर-II

13.2 यदि कंप्यूटर आधारित परीक्षा कई शिफ्टों में आयोजित की जाती तो अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को आयोग की विज्ञप्ति सं:1-1/2018-पी&पी-I दिनांक-07.02.2019 के माध्यम से प्रकाशित सूत्र द्वारा सामान्यीकृत किया जाएगा और इस प्रकार सामान्यीकृत किए गए अंकों को अंतिम मेरिट और कट-ऑफ अंक निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाएगा।

13.3 परीक्षा के बाद अनंतिम उत्तर-कुंजी आयोग के वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। अभ्यर्थी उत्तर-कुंजी को देख सकते हैं और यदि कोई आपत्ति है तो निर्धारित समय सीमा के भीतर 100 रु. प्रति प्रश्न, जो कि अप्रतिदेय है, का भुगतान करके ऑनलाइन माध्यम से अभ्यावेदन दे सकते हैं। किसी भी अन्य माध्यम जैसे पत्र, आवेदन, ई-मेल आदि से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। उत्तर-कुंजी से संबन्धित किसी भी अभ्यावेदन की, उत्तर-कुंजी को अंतिम रूप देने से पहले, संवीक्षा की जाएगी और इस संबंध में आयोग का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा।

13.4 विज्ञप्ति में उल्लिखित परीक्षा का कार्यक्रम अनंतिम है। परीक्षा के कार्यक्रम में किसी भी तरह का बदलाव होने पर उसकी जानकारी सिर्फ आयोग की वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी।

13.5 प्रश्न-पत्र में जहां कहीं भी आवश्यक होगा, भार और माप की मीट्रिक प्रणाली व्यवस्था का प्रयोग किया जाएगा।

13.6 अंकों के पुनर्मूल्यांकन / पुनरावेक्षण की कोई व्यवस्था नहीं होगी। इस संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

13.7 **टियर-। परीक्षा की रूप रेखा**

| टियर | विषय | प्रश्नों की संख्या | अधिकतम अंक | अनुमत्य समय |
|---|---|---|---|---|
| I | क. सामान्य बुद्दिमत्ता एवं तर्कशक्ति | 25 | 50 | 1 घंटा (पैरा 7.1 और 7.2 के अनुसार उन अभ्यर्थियों के लिए 1 घंटा 20 मिनट जिन्हें प्रलिपिकों का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है) |
| | ख. सामान्य जानकारी | 25 | 50 | |
| | ग. परिमाणात्मक अभिरुचि | 25 | 50 | |
| | घ. अंग्रेजी परिज्ञान | 25 | 50 | |

13.7.1 टियर-I परीक्षा वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रश्नों वाले होंगे। अंग्रेजी परिज्ञान को छोडकर बाकी सभी प्रश्नों को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किया जाएगा।

13.7.2 प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 नकारात्मक अंक दिए जाएंगे।

### 13.8 टियर-।। परीक्षा की रूप रेखा

| टियर | पेपर | सत्र | विषय | प्रश्नों की संख्या | अधिकतम अंक | अनुमत्य समय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ।। | पेपर-। | **सत्र-।**<br>**(2 घंटे और 15 मिनट)** | **खंड-।:**<br>**मोड्यूल-।:** गणितीय योग्यता<br>**मोड्यूल-।।:** तर्क शक्ति एवं सामान्य बुद्दिमत्ता | 30<br>30<br>कुल= 60 | 60*3<br>=180 | प्रत्येक खंड के लिए 1 घंटा<br>(पैरा 7.1 और 7.2 के अनुसार उन अभ्यर्थियों के लिए 1 घंटा 20 मिनट जिन्हें प्रलिपिकों का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है) |
| | | | **खंड-।।:**<br>**मोड्यूल-।:अंग्रेजी भाषा एवं परिज्ञान**<br>**मोड्यूल-।।:** सामान्य जानकारी | 45<br><br>25<br>कुल= 70 | 70*3<br>=210 | |
| | | | **खंड-।।।:**<br>**मोड्यूल-।:** कंप्यूटर ज्ञान मॉड्यूल | 20 | 20*3<br>= 60 | 15 मिनट (प्रत्येक मॉड्यूल के लिए)<br>(पैरा 7.1 और 7.2 के अनुसार उन अभ्यर्थियों के लिए 20 मिनट जिन्हें प्रलिपिकों का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है) |
| | | **सत्र-।।**<br>**(15 मिनट)** | **खंड-।।।:**<br>**मोड्यूल-।।:** डाटा प्रविष्टि गति परीक्षा मॉड्यूल | डाटा प्रविष्टि संबंधी एक कार्य | -- | |
| | **पेपर-।।** | | सांख्यीकि | 100 | 100*2<br>= 200 | 2 घंटे (प्रत्येक पेपर के लिए)<br>(पैरा 7.1 और 7.2 के अनुसार उन |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **पेपर-।।।** | सामान्य अध्ययन (वित्त एवं अर्थशास्त्र) | 100 | 100*2 = 200 | अभ्यर्थियों के लिए 2 घंटे 40 मिनट जिन्हें प्रलिपिकों का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है) |

13.8.1 टियर-II में पेपर-I, पेपर-।। और पेपर-।।। का अलग-अलग पाली (पालियों) / दिन (दिनों) में आयोजन किया जाएगा।

13.8.2 पेपर-। सभी पदों के लिए अनिवार्य है।

13.8.3 पेपर-।। केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए होगा जो सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय में कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी (जेएसओ) के लिए आवेदन करते हैं और टियर-। परीक्षा में इन पदों के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं।

13.7.4 पेपर- ।।। केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए होगा जो पेपर-।।। अर्थात सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी पदों के लिए टियर-I में शार्टलिस्ट किए जाएंगे।

13.8.5 पेपर-। में तीन खंड होंगे और प्रत्येक खंड में दो मॉड्यूल होंगे:

13.8.5.1 **खंड-।:**
13.8.5.1.1 **मोड्यूल-।:** गणितीय योग्यता
13.8.5.1.2 **मोड्यूल-।।:** तर्क शक्ति एवं सामान्य बुद्दिमत्ता

13.8.5.2 **खंड-।।:**
13.8.5.2.1 **मोड्यूल-।:अंग्रेजी भाषा एवं परिज्ञान**
13.8.5.2.2 **मोड्यूल-।।:** सामान्य जानकारी

13.8.5.3 **खंड-।।।:**
13.8.5.3.1 **मोड्यूल-।:** कंप्यूटर ज्ञान मॉड्यूल
13.8.5.3.2 **मोड्यूल-।।:** डाटा प्रविष्टि गति परीक्षा

13.8.6 पेपर-। एक ही दिन में दो सत्रों- सत्र-। एवं सत्र-2 में आयोजित किया जाएगा। सत्र-। में खंड-।, खंड-।। और खंड-।।। का मोड्यूल-। शामिल होगा 1 सत्र-।। में खंड-।।। का मोड्यूल-।। का आयोजन शामिल होगा। इसलिए, सत्र-। की समयावधि 2 घंटे और 15 मिनट होगी तथा सत्र-।। की समयावधि केवल 15 मिनट की होगी।

13.8.7 **अभ्यर्थियों को पेपर-I के सभी खंडों में अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।**

13.8.8 पेपर-I के खंड-III के मोड्यूल-II को छोड़कर टियर-II (पेपर-I, पेपर-II और पेपर-III) में वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे । पेपर-I के खंड-II में, अंग्रेजी भाषा एवं परिज्ञान मॉड्यूल को छोड़कर, बाकी सभी प्रश्नों को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किया जाएगा।

13.8.9 पेपर-I के खंड-I, खंड-II और खंड-III के मोड्यूल-I में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक नकारात्मक दिया जाएगा और पेपर-II व पेपर-III में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 नकारात्मक अंक दिए जाएंगे।

13.8.10 पेपर-I के खंड-III के मॉड्यूल-I अर्थात कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा अनिवार्य है, परन्तु यह अर्हक प्रकृति की है। तथापि, अभ्यर्थियों को शार्ट लिस्ट करने हेतु जिन पदों के लिए कंप्यूटर प्रवीणता निर्धारित की गई है, जैसे – केंद्रीय सचिवालय सेवा, विदेश मंत्रालय एवं सशस्त्र सेना मुख्यालय में सहायक अनुभाग अधिकारी, कॉरपोरेट मंत्रालय के अधीन गंभीर जालसाजी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) में सहायक, खान मंत्रालय में सहायक (जीएसआई), भारतीय मौसम विभाग ( भू विज्ञान मंत्रालय) में सहायक, सीबीआईसी में निरीक्षक (सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क), निरीक्षक (निवारक अधिकारी) एवं निरीक्षक (परीक्षक) तथातथा डाक विभाग में डाक सहायक / छंटनी सहायक, के लिए दूसरे पदों की तुलना में उच्चतर अर्हता मानक निर्धारित किए जाएंगे।

13.8.11 **पेपर-I के खंड-III के मॉड्यूल-II अर्थात डाटा प्रविष्टि गति परीक्षा (डीईएसटी**) :

13.8.11.1 पेपर-I के खंड-III के मॉड्यूल-II में उसी दिन सत्र-II में 15 मिनट की अवधि के लिए डाटा प्रविष्टि गति परीक्षा (डीईएसटी) का आयोजन होगा।

13.8.11.2 "डाटा एंट्री गति परीक्षा" (डीईएसटी) (पन्द्रह) मिनटों की अवधि की लगभग 2000 (दो हजार) की-डिप्रेशन के एक अनुच्छेद के लिए आयोजित की जाएगी । कौशल परीक्षा संबंधी विस्तृत अनुदेश आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा दिए जाएगें। टंकण परीक्षा/डीईएसटी के मूल्यांकन के बारे में सूचना आयोग की वेबसाइट www.ssc.nic.in (candidate's corner) पर उपलब्ध हैं।

13.8.11.3 डीईएसटी सभी पदों के लिए अनिवार्य है; तथापि यह अर्हक प्रकृति की होगी।

13.8.11.4 जिन पदों के लिए कंप्यूटर प्रवीणता निर्धारित की गई है (पैरा 13.8.10 पर यथाउल्लिखितानुसार) अथवा डीईएसटी निर्धारित की गई है, जैसे- सीबीआईसी में कर सहायक, सीबीडीटी में कर सहायक तथा केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (वित्त मंत्रालय) में प्रवर श्रेणी लिपिक/वरिष्ठ सचिवालय सहायक, उनके लिए दूसरे पदों की तुलना में उच्चतर अर्हता मानक निर्धारित किए जाएंगे।

13.8.11.5 डीईएसटी, उक्त प्रयोजनार्थ आयोग द्वारा निर्णित तरीके से आयोजित की जाएगी।

13.8.11.6 अ.दि. अभ्यर्थी डीईएसटी से छूट के पात्र हैं, बशर्ते कि ऐसे अभ्यर्थी सक्षम मेडिकल प्राधिकारी, अर्थात सरकारी स्वास्थ्य देख-रेख संस्थान के सिविल सर्जन से प्राप्त निर्धारित प्रारूप (अनुबंध – XVI) में आयोग को प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें कि वे शारीरिक दिव्यांगता के कारण टंकण परीक्षा देने के लिए स्थाई रूप से अनफिट हैं। तथापि, सीबीडीटी में कर सहायक जिसके लिए डीईएसटी छूट उपलब्ध है, को छोड़कर ऐसी छूट उन पदों के लिए उपलब्ध नहीं है जिनके लिए कंप्यूटर प्रवीणता (**पैरा 13.8.10 पर यथाउल्लिखितानुसार**) अथवा डीईएसटी (**पैरा 13.8.11.4 पर यथाउल्लिखितानुसार**) निर्धारित की गई है।

13.8.11.7 दिव्यांग अभ्यर्थी जो परीक्षा विज्ञप्ति के पैरा 7.1 और 7.2 के अनुसार प्रलिपिक के लिए पात्र है उन्हे कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा में 5 (पाँच) मिनट के अतिरिक्त क्षतिपूरक समय की अनुमति दी जाएगी। केवल वे दृष्टि दिव्यंग अभ्यर्थी जिन्होंने लिखित परीक्षा में प्रलिपिक का विकल्प चुना है उन्हे कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा के समय पाठ वाचक प्रदान किया जाएगा।

13.9 **निर्देशात्मक पाठ्यक्रम (टियर-I):**

13.9.1 **टियर-I: सामान्य बुद्धिमता एवं तर्कशक्ति** : इसमें शब्दिक और गैर-शब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न शमिल होंगे। इस घटक में सादृश्यों, समानताओं तथा अंतरों, स्थानिक कल्पना, स्थनिक आभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, अनुमान, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क एवं आकृति संबंधी वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर-शब्दिक श्रृंखला, कोडिंग एवं डिकोडिंग, विवरण निष्कर्ष, न्यायसंगत तर्क आदि से संबंधित प्रश्न शमिल होंगे। इसमें विषय हैं: सीमेंटिक समानता, प्रतीकात्मक/अंक संबंधी समानता, आंकड़े संबंधी समानता, सीमेंटिक वर्गीकरण, प्रतीकात्मक/अंक संबंधी वर्गीकरण, आंकड़े संबंधी वर्गीकरण, सीमेंटिक समानता, अंक समानता, आंकड़े संबंधी समानता, समस्या समाधान, शब्द निर्माण, कोडिंग व डिकोडिंग, संख्यात्मक संचालन, प्रतीकात्मक संचालन, उपनति, अन्तराल अभिविन्यास, अन्तराल विज्यूलाइजेशन, वेन डाइग्राम, रेखाचित्र अनुमिति, पंचड होल/ पैटर्न फोल्डिंग व अन्फ़ोल्डिंग, अंकीय पैटर्न फोल्डिंग एवं पूर्ण करना, सूचीकरण, पता मिलान, तिथि व शहर मिलान, केन्द्र कोड/ अनुक्रमांक का वर्गीकरण, छोटे व बड़े अक्षर/ अंक कोडिंग/डिकोडिंग व वर्गीकरण, अंत: स्थपित आंकड़े, आलोचनात्मक विवेचन, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सामजिक बुद्धिमत्ता।

13.9.2 **सामान्य जानकारी** : इस घटक के प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के परिवेश की सामान्य जानकारी और समाज में उनके अनुप्रयोग की जांच करना होगा। सामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं उनके वैज्ञानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु भी प्रश्नपत्र पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती हैं। इस परीक्षण में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य नीति, वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यदि से संबंधित प्रश्न भी शमिल होंगे।

13.9.3 **परिमाणात्मक आभिरूचि** : इन प्रश्नों को अभ्यर्थी द्वारा संख्याओं के उपर्युक्त प्रयोग और संख्या के बोध की क्षमता की जांच के लिए तैयार किया जाएगा । इन प्रश्नों के दायरे में पूर्णांक संख्याएं अभिकलन,दशमलव, खण्डऔर संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, प्रतिशतता, भाग फल और अनुपात, वर्गमूल, औसत, ब्याज,लाभ एवं हानि,बट्टा, साझेदारी व्यापार, मिश्रण एवं संहसंबधन, समय और दूरी, समय और कार्य, स्कूली बीजगणित एवं प्रारंभिक करणी के बीजगणितीय ज्ञान, रेखीय समीकरणों के ग्राफ,त्रिकोण और उनके विभिन्न प्रकार के केन्द्र, त्रिकोणों की समरुपता और समानता, वृत और उसकी जीवा, स्पर्श रेखाएं, वृत की जीवाओं द्वारा अंतरित कोण, दो या आधिक वृत्तों की समान स्पर्श रेखाएं, त्रिकोण, चर्तुभुज, समभुज कोणीय बहुभुज, वृत, समप्रिज्म, सम गोलाकार शंकु, सम गोलाकार बेलन, गोला, गोलार्ध, आयताकार समान्तरषटफलक , त्रिकोणीय अथवा वर्गाकार आधार वाला समभुज कोणीय सम पिरामिड, त्रिकोणमितीय अनुपात, डिग्री और रेडियन माप, मानक सहरुप्यता, अनुपूरक कोण, ऊचांई और दूरी, हिस्टोग्राम, आवृत्ती बहुभुज, बार आरेख और पाई-चार्ट आएंगे।

13.9.4 **अंग्रेजी परिज्ञान:** इसमें अभ्यर्थियों कीअंग्रेजी भाषा की समझ, उसके सही प्रयोग, उसके लेखन की योग्यता और परिज्ञान को जांचा जाएगा।

13.9.5 क, ख और घ भागों के प्रश्नों का स्तर, पद के लिए निर्धारित आनिवार्य योग्यता अर्थात स्नातक की डिग्री के अनुरूप होगा तथा भाग के प्रश्न 10वीं कक्षा स्तर केहोंगे।

**13.10 निश्चयार्थ पाठ्यक्रम (टियर-II):**

13.10.1 **पेपर-I के खंड-I का मॉड्यूल-I (गणितीय योग्यता)**

13.10.1.1 **अंक प्रणाली :** पूर्णांक संख्याओं का अभिकलन,दशमलव, खण्ड और संख्याओं के बीच परस्पर संबंध ।

13.10.1.2 **मौलिक अंकगणितीय संचालन :** प्रतिशतता, भागफल और अनुपात, वर्गमूल, औसत, ब्याज(साधारण और चक्रवृद्धि), लाभ एवं हानि, बट्टा, साझेदारी व्यापार, मिश्रण एवं संहसंबधन, समय और दूरी, समय और कार्य

13.10.1.3 **बीजगणित :** स्कूली बीजगणित एवं प्रारंभिक करणी (सामान्य समस्या) के बीजगणितीय ज्ञान और रेखीय समीकरणों के ग्राफ ।

13.10.1.4 **ज्यामिति :** सामान्य ज्यामितिय आंकड़ों एवं तथ्यों से परिचित होना : त्रिकोण और उनके विभिन्न प्रकार के केन्द्र, त्रिकोणों की समरुपता और समानता, वृत्त और उसकी जीवा, स्पर्श रेखाएं, वृत्तकी जीवाओं द्वारा अंतरित कोण, दो या आधिक वृत्तों की समान स्पर्श रेखाएं ।

13.10.1.5 **माप :** त्रिकोण, चर्तुभुज, समभुज कोणीय बहुभुज,वृत्त, समप्रिज्म, सम गोलाकार शंकु, सम गोलाकार बेलन, गोला, गोलार्ध, आयताकार समान्तर षटफलक, त्रिकोणीय अथवा वर्गाकार आधार वाला समभुज कोणीय समपिरेमिड ।

13.10.1.6 **त्रिकोणमिति :** त्रिकोणमिति, त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपूरक कोण, ऊचांई और दूरी (सामान्य समस्या) मानक सहरुप्यता जैसे $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ आदि।

13.10.1.7 **सांख्यिकी और संभावना :** तालिकाओं और ग्राफ का प्रयोग : हिस्टोग्राम, आवृत्ति बहुभुज, बार आरेख और पाई-चार्ट, केंद्रीय प्रवृत्ति के उपाय, माध्य, माध्यिका, बहुलक, मानक विचलन; सरल संभावनाओं की गणना।

13.10.2 **पेपर-I के खंड-I का मॉड्यूल-II (सामान्य बुद्धिमता एवं तर्कशक्ति) :**

13.10.2.1 इसमें शब्दिक और गैर-शब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न शमिल होंगे। इनमें सीमेंटिक समानता, प्रतीकात्मक संचालन, प्रतीकात्मक/अंक संबंधी समानता, उपनति, आंकड़े संबंधी समानता अन्तराल अभिविन्यास, सीमेंटिक वर्गीकरण, वेन डाइग्राम, प्रतीकात्मक/अंक संबंधी वर्गीकरण, रेखाचित्र अनुमिति, आंकड़े संबंधी वर्गीकरण, पंचड होल/ पैटर्न फोल्डिंग व अन्फ़ोल्डिंग, सीमेंटिक समानता, अंक समानता, अंत: स्थपित आंकड़े, आंकड़े संबंधी समानता, आलोचनात्मक विवेचन, समस्या समाधान, कोडिंग/डिकोडिंग, संख्यात्मक संचालन, अन्य संबंधित विषय, यदि कोई है, आदि से संबंधित प्रश्न शमिल होंगे।

13.10.3 **पेपर-I के खंड-II का मॉड्यूल-I (अंग्रेजी भाषा एवं परिज्ञान) :**

13.10.3.1 शब्दावली, व्याकरण, वाक्य संरचना, समानार्थक, विलोमार्थक और उनका उचित प्रयोग; गलती की पहचान, रिक्त स्थानों की पूर्ति, समानार्थक, विलोमार्थक, वर्तनी/अशुद्ध शब्दों की पहचान, मुहावरे और वाक्यांश, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यों का सुधार, क्रियाओं के क्रियाओं के कर्तृ वाच्य/कर्मवाच्य, प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष वर्णन का परिवर्तन, परिच्छेद में वाक्यों के भागों का परिवर्तन, निकट परिच्छेद और परिज्ञान परिच्छेद । बोध के परीक्षण हेतु तीन या उससे अधिक अनुच्छेद दिए जाएंगे और उनके आधार पर दिए गए प्रश्न पूछे जाएंगे । कम से कम एक अनुच्छेद साधारण, एक अनुच्छेद किसी पुस्तक अथवा कहानी पर आधारित और अन्य दो अनुच्छेद सामयिकी पर, किसी रिपोर्ट या संपादकीय पर आधारित होना चाहिए ।

13.10.4 **पेपर-I के खंड-II का मॉड्यूल-II (सामान्य जागरूकता) :**

13.10.4.1 प्रश्नों को अभ्यर्थियों की अपने आस-पास के वातावरण की सामान्य जागरूकता और समाज में उसके अनुप्रयोग के परीक्षण हेतु तैयार किया गया है । प्रश्नों को वर्तमान घटनाओं के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए और रोजमर्रा के ऐसे मामलों के अवलोकन और उनके वैज्ञानिक पहलुओं में अनुभव के परीक्षण करने हेतु भी तैयार किया गया है जैसा कि एक शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षित हो सकता है।

13.10.5 **पेपर-I के खंड-III का मॉड्यूल-I (कंप्यूटर दक्षता) :**

13.10.5.1 **कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान :** कंप्यूटर की संरचना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (सीपीयू), इनपुट/आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी ऑर्गनाइजेशन, बैक-अप डिवाइस, पोर्ट, विंडो एक्सप्लोरर। कीबोर्ड शॉर्टकट ।

13.10.5.2 **सॉफ्टवेयर :** विंडो, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मूल चीजें जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट आदि ।

13.10.5.3 **इंटरनेट और ई-मेल के साथ काम करना:** वेब ब्राउजिंग और सर्च करना, डाउनलोड करना और अपलोड करना। ई-मेल अकाउंट का प्रबंधन, ई-बैंकिंग।

13.10.5.4 **नेटवर्किंग और साइबर सुरक्षा की मूल बातें:** नेटवर्किंग डिवाइस और प्रोटोकॉल, नेटवर्क और सूचना सुरक्षा खतरे (जैसे हैकिंग, वायरस, वर्म्स, ट्रोजन आदि) और निवारक उपाय।

13.10.6 **पेपर-II (सांख्यिकी) :**

13.10.6.1 **सांख्यिकी डाटा का संकलन, वर्गीकरण और प्रस्तुतीकरण**- प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा, डाटा संकलन की पद्धतियां, डाटा को सारणीबद्ध करना, ग्राफ और चार्ट, आवृत्ति संवितरण, आवृत्ति संवितरणों की आरेखीय प्रस्तुति।

13.10.6.2 **केन्द्रीय प्रवृत्ति की मापें** - केन्द्रीय प्रवृत्तिकी सार्व माप - माध्य,माध्यिका, बहुलक; विभाजन मूल्य- चतुर्थक,दशमक, शतम।

13.10.6.3 **विक्षेपण का मापें** - परिक्षेपण का सार्व माप-रेंज, चतुर्थक अपसरण, माध्य अपसरण तथा मानक अपसरण; साक्षेप विक्षेपण के माप

13.10.6.4 **घूर्ण, स्क्यूनेस व करटोसिस**- विभिन्न प्रकार के घूर्ण व उनके संबंध; स्क्यूनेस व करटोसिस का अर्थ; स्क्यूनेस व करटोसिस के विभिन्न माप

13.10.6.5 **सहसंबंध एवं प्रतिगमण**- प्रसार आरेख, सामान्य सहसंबंध गुणांक, सामान्य प्रतिगमण रेखाएं; स्पीयरमैन का श्रेणी सहसंबंध, आरोपण के संगुणन की माप; बहुविध प्रतिगममण; बहुविध व आंशिक सहसबंध (केवल तीन चरों के लिए)।

13.10.6.6 **संभाव्यता सिद्धांत**- संभाव्यता का अर्थ; संभाव्यता की विभिन्न परिभाषाएं; प्रतिबंधित संभाव्यता;संयुक्त संभाव्यता; स्वतंत्र विषय; बेयस का प्रमेय।

13.10.6.7 **यादृच्छिक चर एवं संभाव्यता विभाजन**- यादृच्छिक चर; संभाव्यता फलन, यादृच्छिक चर की प्रत्याशा व प्रसरण; यादृच्छिक चर का उच्चतर घूर्ण; द्विपद, पोयजन, सामान्य और घातांकी विभाजन; दो यादृच्छिक चरों का संयुक्त विभाजन (पृथक)।

13.10.6.8 **प्रतिदर्श सिद्धान्त** - जनसंख्या एवं प्रतिदर्श की अवधारणा; प्राचल एवं सांख्यिकी, प्रतिदर्श एवं गैर प्रतिदर्श त्रुटियां; संभाव्यता एवं गैर संभाव्यता प्रतिदर्श तकनीक (सामान्य यादृच्छिक प्रतिचयन, स्ट्रेटिफाइड प्रतिदर्श, बहुचरण प्रतिदर्श, बहुपक्ष प्रतिदर्श, समूह प्रतिदर्श,क्रमबद्ध प्रतिचयन, सप्रयोजक प्रतिदर्श, सुविधा प्रतिदर्श, यथांश प्रतिदर्श); प्रतिदर्श विभाजन (केवल विवरण); प्रतिदर्श आकार निर्णय।

13.10.6.9 **सांख्यिकीय अनुमान** - बिंदु आकलन व मध्यान्तर आकलन, अच्छे आकलक के गुणधर्म, आकलन की पद्धति (घूर्ण पद्धति, आधिकतम संभविता पद्धति, लघुतम वर्ग पद्धति), परिकल्पना का परीक्षण, परीक्षण की मूल अवधारणा, लघु प्रतिदर्श और विस्तृत प्रतिदर्श परीक्षण, Z, t, Chi-square तथा F सांख्यिकी पर आधरित परीक्षण, निश्चयी अनुमान ।

13.10.6.10 **प्रसरण विश्लेषण** - एक तरफा वर्गीकृत आंकड़े व दो तरफा वर्गीकृत आंकड़ों का विश्लेषण ।

13.10.6.11 **समय श्रंखला विश्लेषण** - समय श्रंखलाके घटक, विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से प्रवणता घटक का निर्धारण, विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से आवर्तक अपक्रम की माप।

13.10.6.12 **सूचकांक** - सूचकांक का अर्थ, सूचकांक के निर्माण में समस्या, सूचकांक के प्रकार, विभिन्न सूत्र, सूचकांक का मूल विचलन व जोड़, निर्वाह-व्यय सूचकांक, सूचकांक के प्रयोग।

13.10.7 **प्रश्नपत्र-III (सामान्य अध्ययन-वित्त एवं अर्थशास्त्र):**

13.10.7.1 **भाग-क: वित्त एवं लेखा-(80 अंक):**

13.10.7.1.1 **लेखाशास्त्र के आधारभूत सिद्धांत और मूल अवधारणा :**

13.10.7.1.1.1 **वित्तीय लेखाशास्त्र :** प्रकृति तथा कार्यक्षेत्र, वित्तीय लेखाशास्त्र की सीमाएं, मूल अवधारणाएं एवं परम्पराएं, सामान्यत: स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांत।

13.10.7.1.1.2 **लेखाशास्त्र की मूल अवधारणाएं :** एकल एवं दोहरा लेखा, मूल लेखा की बहियां, बैंक समाधान, रोजनामचा, खाता बही, कच्चा चिट्ठा, त्रुटियों का परिशोधन, विनिर्माण, व्यापार करना, लाभ एवं हनि, विनियोजन लेखा, तुलनपत्र, पूंजीगत व्यय और राजस्व खर्च में भिन्नता, मूल्यह्रास लेखाकरण, सम्पत्ति सूची का मूल्यांकन, लाभ निरपेक्ष संगठनों का लेखा, प्रप्तियां एवं भुगतान तथा आय एवं व्यय लेखा, विनिमय पत्र, स्वत: संतुलन लेखा बहियां।

13.10.7.2 **भाग-ख: अर्थशास्त्र और आभिशासन-(120 अंक):**

13.10.7.2.1 **भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक-**सांविधनिक प्रावधान, भूमिका और उत्तरदयित्व ।

13.10.7.2.2 **वित्त आयोग-** भूमिका एवं कार्य ।

13.10.7.2.3 **अर्थशास्त्र की मूल अवधारणाएं तथा सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बारे में परिचय:** परिभाषा, अर्थशास्त्र का कार्यक्षेत्र तथा प्रकृति, अर्थशास्त्र अध्ययन की पद्धतियां तथा अर्थव्यवस्था और उत्पादन सम्भावना वक्र की केन्द्रीय समस्याएं।

13.10.7.2.4 **मांग और पूर्ति का सिद्धांत:** मांग का अर्थ और निर्धारक तत्व, मांग का सिद्धांत और मांग की लोच, मूल्य, आय एवं तिर्यक लोच; उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत- मार्शलियनप्रस्ताव तथा अनधिमान वक्र प्रस्ताव, पूर्ति का अर्थ और निर्धारक तत्व, पूर्ति का सिद्धांत और पूर्ति की लोच ।

13.10.7.2.5 **उत्पादन और लागत का सिद्धांत**: उत्पादन का अर्थ और कारक; उत्पादन के सिद्धांत- परिवर्तनीय समानुपातों के सिद्धांत एवं अनुमाप प्रतिवर्तन के सिद्धांत।

13.10.7.2.6 **बाजार के प्रकार और विभिन्न बाजारों में मूल्य निर्धारण**: बाजारों के विभिन्न प्रकार- आदर्श प्रतिस्पर्द्धा, एकधिकार, एकधिकारात्मक प्रतिस्पर्द्धा और अल्पधिकार तथा इन बाजारों में मूल्य निर्धारण।

13.10.7..2.7 **भारतीय अर्थव्यवस्था** :

13.10.7.2.7.1 भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृतिविभिन्न क्षेत्रों की भूमिका, कृषि, उद्योग और सेवाओं की भूमिका- उनकी समस्याएं और विकास।

13.10.7.2.7.2 भारत की राष्ट्रीय आय- राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं, राष्ट्रीय आय का मापन करने की विभिन्न पद्धतियां।

13.10.7.2.7.3 जनसंख्या- इसका आकार, वृद्धि की दर और आर्थिक विकास पर इसका प्रभाव।

13.10.7.2.7.4 गरीबी तथा बेरोजगारी-निरपेक्ष एवं सापेक्ष गरीबी, प्रकार, बेरोजगारी के कारण और प्रभाव।

13.10.7.2.7.5 संरचना- ऊर्जा, परिवहन, संचार ।

13.10.7.2.8 **भारत में आर्थिक सुधार:** 1991 से आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण, सार्वभौमीकरण और विनिवेश।

13.10.7.2.9 **धन तथा बैंकिंग :**

13.10.7.2.9.1 मौद्रिक/राजकोषीय नीति, भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका तथा कार्य, व्यापरिक बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/भुगतान बैंकों के कार्य ।

13.10.7.2.9.2 बजट तथा राजकोषीय घाटा और भुगतानों का संतुलन ।

13.10.7.2.9.3 राजकोषीय उत्तरदयित्व एवं बजट प्रबंधन आधिनियम, 2003।

13.10.7.2.10 **आभिशासन में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका।**

13.10.8 पेपर-I के खंड-I के मॉड्यूल-I (गणितीय योग्यता) में प्रश्न मेट्रिकुलेशन स्तर के, पेपर-I के खंड-II के मॉड्यूल-I (अंग्रेजी भाषा एवं परिज्ञान) में प्रश्न 10+2 स्तर के एवं पेपर-II और पेपर-III में प्रश्न स्नातक स्तर के होंगे।

## 14. परीक्षा में प्रवेश

14.1 उन सभी अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने हेतु आयोग के क्षेत्रीय/ उपक्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा रोल नंबर और प्रवेश-पत्र (एसी) दिया जाएगा, जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तारीख और समय तक अपना पंजीकरण कराते हैं और जिनके आवेदन सुव्यवस्थित पाए जाते हैं और आयोग द्वारा परीक्षा की इस विज्ञप्ति में दी गई शर्तों के अनुसार अनंतिम या अस्थायी रूप से स्वीकार किए जाते हैं। तदनंतर, अर्हक अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले स्तर के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे।

14.2 आयोग लिखित परीक्षा के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा और इसलिए, अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक और चिकित्सा मानकों आदि की आवश्यकताओं के बारे में पढ़ने और उनके बारे में स्वयं को संतुष्ट करने की सलाह दी जाती है कि वे उक्त पद (पदों) के लिए पात्र हैं। दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षिक योग्यता से संबंधित प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की प्रतियां मांगकर्ता प्रयोक्ता विभागों/संगठनों द्वारा मांगे जाएंगे। शारीरिक और चिकित्सा मानकों की जांच परिणाम घोषित किए जाने के पश्चात प्रयोक्ता विभागों द्वारा की जाएगी। अभ्यर्थी यह भी नोट करें कि मांगकर्ता प्रयोक्ता विभाग / संगठन द्वारा मांगे जाने पर उन्हें अपनी शैक्षिक योग्यता/जाति/श्रेणी से संबंधित प्रमाणपत्र/दस्तावेज जमा करने होंगे। शैक्षिक योग्यता/जाति/श्रेणी से संबंधित प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों आदि की जांच के पश्चात यदि आवेदन में किए गए किसी भी दावे को पुष्ट नहीं पाया जाता है, तो अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

14.3 परीक्षा के सभी स्तरों के प्रवेश-पत्र आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय केंद्रों की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। परीक्षा के किसी भी स्तर के लिए प्रवेश पत्र डाक द्वारा जारी नहीं किए जाएंगे। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय की वेबसाइट(अर्थात https://ssc.nic.in) और संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय जिसके क्षेत्राधिकार में अभ्यर्थी द्वारा चुना गया केंद्र स्थित है (ब्योरा पैरा 12.1 पर है) का अवलोकन करते रहें।

14.4 परीक्षा के बारे में सूचनाएं, जिसमें परीक्षा की समय-सारणी और प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए परीक्षा का शहर/केंद्र की जानकारी होगी, परीक्षा की तारीख से लगभग दो सप्ताह पहले आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय केंद्रों की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तारीख से एक सप्ताह पूर्व तक प्रवेश-पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल आवेदन प्रस्तुत करने के अपने प्रमाण के साथ आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयसे संपर्क करना चाहिए। ऐसा न करने पर वह परीक्षा में बैठने के अपने दावे पर विचार किए जाने से वंचित हो जाएगा।

14.5 अभ्यर्थी को आयोग के साथ कोई भी पत्राचार करते समय अपना पंजीकरण आईडी, अनुक्रमांक संख्या, पंजीकृत ईमेल आईडी, अपने नाम के साथ-साथ अपना मोबाइल नम्बर, जन्म तिथि और परीक्षा का नाम अवश्य लिखना चाहिए। इन विवरणों के न दिए जाने पर अभ्यर्थी के पत्राचार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

14.6 परीक्षा से लगभग 3-7 दिन पहले प्रवेश-पत्र डाउनलोड करने की सुविधा संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट परीक्षा हॉल में लाना होगा।

14.7 प्रवेश प्रमाण-पत्र के अलावा, कम से कम दो पासपोर्ट आकार के हाल ही की दो रंगीन फोटो, मूल वैध फोटो-आईडी साक्ष्य जिसमें वह जन्म तिथि अंकित हो जोकि प्रवेश-पत्र में दी गई है, लाना अनिवार्य है, जैसे:

14.7.1 आधार कार्ड/ई-आधार का प्रिंटआउट,
14.7.2 मतदाता पहचान-पत्र,
14.7.3 ड्राइविंग लाइसेंस,
14.7.4 पैन कार्ड,
14.7.5 पासपोर्ट,
14.7.6 विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल द्वारा जारी पहचान-पत्र,
14.7.7 नियोक्ता द्वारा जारी पहचान-पत्र (सरकारी/ सार्वजनिक उपक्रम/ निजी),
14.7.8 रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक की सेवा निवृत्ति पंजिका,
14.7.9 केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो प्रमाण-पत्र ।

14.8 यदि फोटो पहचान पत्र पर जन्मतिथि अंकित नहीं है, तो उम्मीदवार को अपनी जन्म-तिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज (जैसे- सीबीएसई/ आईसीएसई/ राज्य बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक सर्टिफिकेट, अंक-पत्र; जन्म प्रमाण-पत्र, श्रेणी प्रमाण-पत्र) लाना चाहिए। यदि प्रवेश प्रमाण-पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्मतिथि के समर्थन में लाए गए फोटो पहचान पत्र/प्रमाण पत्र मेल नहीं खाते हैं तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

14.9 पैरा 7.1 और 7.2 के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो प्रलिपिक की सुविधा का उपयोग करेंगे, उन्हें यथा-उल्लिखित मेडिकल सर्टिफिकेट/वचन-पत्र/प्रलिपिक के फोटो पहचान-पत्र की फोटोकॉपी भी साथ में लाना आवश्यक है। उपरोक्त दस्तावेजों के बिना अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

14.10 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र में उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज भी लेकर आएगा।

14.11 धुंधली तस्वीर और/या हस्ताक्षर वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।

## 15. दस्तावेज सत्यापन (डीवी):

15.1 **मिशन मोड में सरकार द्वारा की जाने वाली भर्तियों को देखते हुए और समस्त भर्ती प्रक्रिया में शीघ्रता लाने हेतु, आयोग ने निर्णय लिया है कि दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) प्रयोक्ता विभागों/संगठनों द्वारा किया जाएगा।**

15.2 सत्यापन के लिए अर्हक सभी अभ्यर्थियों को पैरा सं.15.9 में किए गए उल्लेख अनुसार मूल दस्तावेजों और उनकी छाया प्रतियों के साथ दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा।

15.3 अभ्यर्थियों से विभिन्न पदों और विभागों के लिए वरीयता आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म के माध्यम से अंतिम परिणाम की घोषणा से पूर्व लिया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी पद और मंत्रालय/विभाग/संगठन के लिए अपनी वरीयता नहीं दी है तो उसके नाम पर उस पद और मंत्रालय/विभाग/संगठन हेतु विचार नहीं किया जाएगा। एक बार दिए गए विकल्पों को अंतिम माना जाएगा और बाद में किसी भी परिस्थिति में उनमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। **अत:, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे विकल्प देते समय सावधानी बरतें।**

15.4 **अभ्यर्थी, जो दिए गए निर्धारित समय के भीतर आयोग की वेबसाइट पर अपनी पद वरीयता(ओं) को जमा नहीं करते हैं, उनके नाम पर अंतिम परिणाम में किसी भी पद के लिए विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को पदों की वरीयता के प्रयोगे हेतु अन्य कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा और इसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।** इससे संबंधित किसी भी प्रकार जैसे पोस्ट, फैक्स, ई-मेल, दस्ती आदि के माध्यमों से प्राप्त शिकायत पर आयोग द्वारा कार्रवाई नहीं की जाएगी और उसे सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

15.5 ऑनलाइन पदों/विभागों की वरीयता देते हुए, अभ्यर्थी नोट करें कि निम्नलिखित पदों के लिए **शारीरिक मानक, शारीरिक जांच और चिकित्सा मानकों की विशिष्ट आवश्यकताएं हैं** :

15.5.1 इंस्पेक्टर (केंद्रीय उत्पाद शुल्क) – केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
15.5.2 इंस्पेक्टर (परीक्षक) – अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
15.5.3 निरीक्षक (निवारक अधिकारी) -अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
15.5.4 इंस्पेक्टर - केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो
15.5.5 उप-निरीक्षक - केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, रक्षा मंत्रालय
15.5.6 एनसीबी, गृह मंत्रालय में उप-निरीक्षक/ कनिष्ठ अधिकारी
15.5.7 उप-निरीक्षक- केंद्रीयअन्वेषण ब्यूरो
15.5.8 उप-निरीक्षक- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण
15.5.9 बीआरओ, रक्षा मंत्रालय में उच्च श्रेणी लिपिक

15.6 15.5.1 से 15.5.8 तक के पदों के संदर्भ में शारीरिक मानक और शारीरिक जांच के बारे में विस्तृत जानकारी, **अनुबंध-XVII** में दी गई है और बीआरओ में उच्च श्रेणी लिपिक के पद हेतु शारीरिक मानक, शारीरिक जांच और चिकित्सीय मानक के संदर्भ में विस्तृत जानकारी, **अनुबंध-XVIII** में दी गई है।

15.7 अभ्यर्थियो को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे अपनी प्राथमिकताओं/विकल्प देने से पहले शारीरिक मानक, शारीरिक परीक्षण और चिकित्सा मानकों की सभी आवश्यकताएं पूरी करते

हैं। **कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के अंतिम चयन और नामांकन के बाद संबंधित उपयोगकर्ता विभाग द्वारा शारीरिक मानकों, शारीरिक परिक्षणों का मापन और चिकित्सा जांच का आयोजन किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसे परीक्षणों में विफल रहता है, तो उसकी अभ्यर्थिता को बाद में किसी अन्य पद/विभाग के लिए नहीं माना जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इन आवश्यकताओं के बारे में अच्छी तरह से जाने और पदों/विभागों की अपनी पसंद को वरीयता दें।**

15.8 अभ्यर्थियोंको दस्तावेज़ सत्यापन के लिए **आवेदन** करते समय हाल की दो पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो और एक **मूल वैध फोटो पहचान** पत्र जैसाकि ऊपर पैरा 14.7 में सूचीबद्ध है, लाना होगा।

15.9 अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां जमा करनी होगी:

15.9.1 मैट्रिक / माध्यमिक प्रमाण पत्र

15.9.2 शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र

15.9.3 जाति/श्रेणी प्रमाणपत्र, यदि आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत है

15.9.4 यदि आवश्यक हो तो आवश्यक प्रारूप में विशिष्ट दिव्यांगजन प्रमाण पत्र

15.9.5 भूतपूर्व सैनिकों के लिए (ईएसएम):

15.9.5.1 यदि लागू हो, तो **अनुबंध-VIII** के अनुसार सेवारत रक्षा कार्मिक प्रमाण पत्र देना।

15.9.5.2 **अनुबंध-IX** के अनुसार वचनबंध।

15.9.5.3 सेवा निवृत्ति का प्रमाणपत्र, अगर सशस्त्र बल से सेवानिवृत्त होते हैं।

15.9.6 प्रासंगिक प्रमाण पत्र यदि आयु में छूट की मांग करता है।

15.9.7 केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों द्वारा **अनुबंध-VII** के अनुसार प्रमाण पत्र।

15.9.8 अनापत्ति प्रमाण पत्र, पहले से ही सरकारी / सरकारी उपक्रमों में नियोजित होने पर।

15..9 यदि कोई अभ्यर्थी मैट्रिकुलेशन के बाद विवाह या पुनर्विवाह या तलाक आदि के कारण नाम में परिवर्तन करने का दावा करता है तो निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे:

15.9.9.1 महिलाओं के विवाह के मामले में: पति के पासपोर्ट की फोटो कॉपी जिसमें पति का नाम दर्शाया गया हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह-प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति यापति और पत्नी के संयुक्त फोटो सहित पति व पत्नी द्वारा शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवतशपथ ग्रहण संबंधी शपथ पत्र;

15.9.9.2 महिलाओं के पुनर्विवाह के मामले में: यथा-स्थिति, पहले पति से तलाक संबंधी विलेख/ मृत्यु प्रमाण पत्र; और वर्तमान पति के पासपोर्ट की फोटोकॉपी जिसमें पति का नाम दर्शाया गया हो याविवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह-प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति या पति और पत्नी के संयुक्त फोटो सहित पति व पत्नी द्वारा शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी शपथ पत्र;

15.9.9.3 महिलाओं के तलाक के मामले में: तलाक की डिक्री की प्रमाणित प्रति और शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी एक पक्षीय अभिलेख/शपथपत्र;

15.9.9.4 पुरुष और महिलादोनों के लिए नाम बदलने की अन्य परिस्थितियों में:शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी एक पक्षीय अभिलेख/शपथपत्रऔर मूल रूप से दो प्रमुख दैनिक समाचारपत्रों की पेपर कटिंग (एक दैनिक समाचारपत्र आवेदक के स्थायी और वर्तमान पते या आसपास के क्षेत्र का होना चाहिए) और राजपत्र अधिसूचना।

15.10 दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रवेश-पत्र में निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

**16 चयन का तरीका**:

16.1 टियर-I के खंड-I, खंड-II और टियर-II के पेपर-I के खंड-III के मॉड्यूल-I तथा टियर-II के पेपर-II तथा पेपर-III परीक्षा में न्यूनतम अर्हक अंक निम्नानुसार हैं:-

| | | |
|---|---|---|
| 16.1.1 | अना | : 30% |
| 16.1.2 | अपिव/आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग | : 25% |
| 16.1.3 | अन्य सभी श्रेणियां | : 20% |

16.2 टियर-II के पेपर-I के खंड-III के मॉड्यूल-II की परीक्षा अर्थात डीईएसटी में अधिकतम अनुमत्य त्रुटियों का प्रतिशत (अर्थात न्यूनतम अर्हक मानक) निम्नलिखित है :

| | | |
|---|---|---|
| 16.2.1 | अना | : 20% |
| 16.2.2 | अपिव/आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग | : 25% |
| 16.2.3 | अन्य सभी श्रेणियां | : 30% |

16.3 टियर-I अर्थात कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर, अभ्यर्थियों को श्रेणी-वार टियर-II परीक्षा में बैठने के लिए शार्ट-लिस्ट किया जाएगा। टियर-II के पेपर-II (अर्थात कनिष्ठ सांख्यिकीय आधिकारी के पद के लिए), टियर–II के पेपर-III (अर्थात सहायक लेखा परीक्षा आधिकारी और सहायक लेखा आधिकारी के पदों के लिए) और टियर-II के पेपर-I (अर्थात अन्य सभी पदों के लिए) के लिए अलग-अलग कट-ऑफ निर्धारित किया जाएगा।

16.4 टियर-I में अर्हक सभी अभ्यर्थियों के लिए टियर-II परीक्षा आयोजित की जाएगी। सभी अभ्यर्थियों को टियर-II के पेपर-I के तीनों खंडों में उपस्थित होना अपेक्षित होगा। तथापि, केवल कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी और सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी के पदों के लिए शार्टलिस्ट किए गए विनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों को क्रमशः पेपर-II तथा पेपर-III में उपस्थित होना अपेक्षित होगा।

16.5 टियर-II के पेपर-I में, सभी अभ्यर्थियों को सभी खंडों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

16.6 अभ्यर्थियों को टियर-II के पेपर-I के खंड-I तथा खंड-II में उनके समग्र कार्य निष्पादन के आधार पर टियर-II के पेपर-I के खंड-III परीक्षा के मूल्यांकन के लिए शार्टलिस्ट किया जाएगा। जो अभ्यर्थी खंड-I तथा खंड-II में अर्हता प्राप्त नहीं करेंगे वे खंड-III में मूल्यांकन के लिए पात्र नहीं होंगे तथा उन्हें आगे की चयन प्रक्रिया के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

16.7 टियर-II के पेपर-I का खंड-III अर्हक प्रकृति का है, अन्य शब्दों में दोनों मॉड्यूल अर्थात कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा एवं डीईएसटी अर्हक प्रकृति के हैं। तथापि, मॉड्यूल-I में अन्य पदों की तुलना में उन पदों के लिए आयोग द्वारा यथानिर्णीत अलग उच्चतर कट-ऑफ निर्धारित की जाएगी जिन पदों (यथाउल्लिखित **पैरा 13.8.10** के अनुसार) के लिए कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा निर्धारित की गई है। इसी प्रकार, मॉड्यूल-II अर्थात डीईएसटी में अन्य पदों की तुलना में उन पदों के लिए आयोग द्वारा यथानिर्णीत अलग उच्चतर कट-ऑफ निर्धारित की जाएगी जिन पदों (यथाउल्लिखित **पैरा 13.8.11.4** के अनुसार) के लिए कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा निर्धारित की गई है।

16.8 अभ्यर्थियों से विभिन्न पदों तथा विभागों की वरीयता के लिए विकल्प या तो दस्तावेज सत्यापन से पहले आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म के माध्यम से लिया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी पद और मंत्रालय/विभाग/संगठन के लिए अपनी वरीयता नहीं दी है तो उसके नाम पर उस पद और मंत्रालय/विभाग/संगठन के लिए विचार नहीं किया जाएगा। एक बार दिए गए विकल्पों को अंतिम माना जाएगा और बाद में किसी भी परिस्थिति में उनमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। **अत:, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे विकल्प देते समय सावधानी बरतें।**

16.9 **जो अभ्यर्थी निर्धारित समय के भीतर आयोग की वेबसाइट पर अपनी पद वरीयता(ओं) को प्रस्तुत नहीं करते हैं, उसके नाम पर अंतिम परिणाम में किसी भी पद के लिए विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को पदों की वरीयता के देने हेतु अन्य कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा और इसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।** इससे संबंधित किसी भी अन्य माध्यमों जैसे पोस्ट, फैक्स, ई-मेल, दस्ती आदि से प्राप्त शिकायत पर आयोग द्वारा कार्रवाई नहीं की जाएगी और उसे सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

16.10 पैरा-15.5 में सूचीबद्ध पदों के लिए शारीरिक तथा चिकित्सा मानक अनिवार्य है जिसमें शारीरिक क्षमता परीक्षा (ऐसी अपेक्षाओं का ब्यौरा **अनुबंध-XVII एवं XVIII** में उपलब्ध है) शामिल है। अभ्यर्थी के अंतिम चयन के पश्चात ऐसी शारीरिक तथा चिकित्सा मानक परीक्षाओं का असफल होते हैं तो उनकी अभ्यर्थिता पर तत्पश्चात अन्य किसी पद/ विभाग आयोजन संबंधित प्रयोक्ता विभागों द्वारा किया जाएगा। **यदि कोई अभ्यर्थी ऐसे परीक्षणों में विफल रहता है, तो उसकी अभ्यर्थिता को बाद में किसी अन्य पद/विभाग के लिए नहीं माना जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इन आवश्यकताओं के बारे में अच्छी तरह से जाने और पदों की अपनी पसंद को वरीयता दें।**

16.11 **केवल टियर-II में समग्र प्रदर्शन के आधार पर अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।**

16.12 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी (जेएसओ) के पद के लिए मेरिट लिस्ट टियर-II के पेपर-I के खंड-I और खंड-II तथा पेपर-II में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।

16.13 सहायक लेखा परीक्षा आधिकारी / सहायक लेखा आधिकारी के पदों के लिए मेरिट लिस्ट टियर-II के पेपर-I के खंड-I और खंड-II तथा पेपर-III में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।

16.14 जिन पदों (यथाउल्लिखित **पैरा 13.8.11.4** के अनुसार) के लिए डीईएसटी (DEST) निर्धारित की गई है, मेरिट लिस्ट टियर-II परीक्षा के पेपर-I के मॉड्यूल-।। के खंड- III में अर्हताप्राप्ति अर्थात उच्चतर मानकों पर डीईएसटी के अध्यधीन टियर- II परीक्षा के पेपर- I के खंड-I और खंड-II में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।

16.15 जिन पदों (यथाउल्लिखित **पैरा 13.8.10** के अनुसार) के लिए सीपीटी निर्धारित की गई है, मेरिट लिस्ट मॉड्यूल (अर्थात कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा) और टियर-II परीक्षा के पेपर-I के मॉड्यूल-।। (अर्थात डीईएसअी) के खंड- III में उच्चतर मानकों पर अर्हताप्राप्ति के अध्यधीन टियर- II परीक्षा के पेपर- I के खंड-I और खंड-II में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।

16.16 अन्य सभी पदों के लिए मेरिट लिस्ट टियर-।। के पेपर-। के खंड-।।। (दोनो मॉड्यूल) में अर्हताप्राप्ति के अध्यधीन टियर-II परीक्षा के पेपर-I के खंड-I और खंड-II में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।

16.17 प्रत्येक श्रेणी में अभ्यर्थियों का अंतिम चयन, 'टियर- II परीक्षा में समग्र प्रदर्शन' और उनके द्वारा दी गई 'पद वरीयता' के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थी को उसकी योग्यता के अनुसार प्रथम उपलब्ध वरीयता देने के बाद उसे कोई अन्य विकल्प नहीं दिया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है कि वे पदों की वरीयता देते समय बहुत सावधानी बरतें। अभ्यर्थियों द्वारा एक बार प्रयोग किए गए विकल्प / वरीयता को अंतिम और अपरिवर्तनीय माना जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा आवंटन / सेवा में परिवर्तन करने के तदनंतर अनुरोध पर किसी भी कारणवश / परिस्थिति में कार्रवाई नहीं की जाएगी।

16.18 पदों का अंतिम आवंटन अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए पदों/विभागों की योग्यता-सह-वरीयताओं के आधार पर किया जाता है और एक बार एक पद आवंटित हो जाने के बाद, किसी विशिष्ट पद जिनमें शारीरिक/चिकित्सा/शैक्षिक मानकों की आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति न होने के कारण आयोग द्वारा पदों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अन्य शब्दों में, उदाहरण के लिए, यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी पद के लिए उच्च वरीयता दी है और उस पद के लिए उसका चयन किया जाता है; उस स्थिति में, यदि वह उस पद के लिए चिकित्सा/शारीरिक/शैक्षिक मानकों को पूरा करने में विफल रहता है,

तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी और किसी अन्य पद के लिए उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

16.19 अजा, अजजा, अपिव, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, भूपूसै और बेंचमार्क दिव्यांगजन अभ्यर्थी मानकों में छूट दिए बिना ही अपनी योग्यता से चयनित होते हैं तो उन्हें आरक्षित रिक्तियों के समक्ष समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यता सूची में उनकी समग्र स्थिति अथवा उनकी श्रेणी के लिए उद्दिष्ट की गई रिक्तियों के अनुसार सामान्य/अनारक्षित रिक्तियों में उस पद से सहयोजित किया जाएगा, जो उनके लिए लाभप्रद हो। आरक्षित रिक्तियां अलग से अजा, अजजा, आपिव, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, भूपूसै और दिव्यांगजन श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।

16.20 अजा, अजजा, अपिव, आकव, भूतपूर्व सैनिक और बेंचमार्क दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थी, जो आयु सीमा, अनुभव या योग्यता लिखित परीक्षा में अनुमत्य अवसरों की संख्या, विचारार्थ विस्तृत क्षेत्र आदि जैसे मानकों में छूट के आधार पर अर्हता प्राप्त करते हैं, चाहे योग्यता सूची में उसका स्थान कुछ भी हो, वह आरक्षित रिक्तियों में शामिल किए जाएंगे न कि सामान्य रिक्तियों में। ऐसे अभ्यर्थियों को आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए, योग्यताक्रम में उनके रैंक पर ध्यान दिए बिना उनकी आरक्षित रिक्तियों की संख्या की सीमा तक मानकों में छूट देकर नियुक्ति हेतु अनुसंशित किया जा सकता है। जहां तक भूपूसै के मामलों का संबंध है, आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए भूपूसै को सैन्य सेवा की अवधि के बराबर आयु में कटौती अनुमत्य है तथा इस छूट को आयु के संदर्भ में मानकों में छूट नहीं कहा जाएगा। इसी प्रकार दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 10 वर्ष की छूट को मानकों में छूट नहीं माना जाएगा।

16.21 बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति जो अपनी योग्यता के आधार पर चुना गया है, अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि वह पद संगत श्रेणी के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हो।

16.22 सरकार यथावश्यक जांच के पश्चात जब तक इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है, तब तक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के आधार पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है।

16.23 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता की सभी शर्तेपूरी करते हैं । परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश, पात्रता की निर्धारित शर्ते पूरी करने के अध्यधीन, पूर्णतया अनन्तिम होगा। लिखित परीक्षा से पहले अथवा बाद में जाँच करने पर यदि किसी भी समययह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

16.24 नियुक्ति के लिएचयनित अभ्यर्थियों को भारतवर्ष में कहीं भी सेवा करनी पड़ सकती है अर्थात ये सभी पदअखिल भारतीय सेवा दायित्व (अ.भा.से.दा.) के हैं।

16.25 अंतिम रूप से चयन किए जाने पर अभ्यर्थियों को संबंधित प्रयोक्ता मंत्रालय/विभाग/संगठन द्वारा एक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश / क्षेत्र आवंटित किया जा सकता है। ऐसे अभ्यर्थियों को संबंधित प्रयोक्ता मंत्रालय/ विभाग/संगठन द्वारा आवंटित पदों पर अभ्यर्थियों के स्थायीकरण (Confirmation) के लिए आवंटित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश/क्षेत्र की स्थानीय भाषा में दक्षता हासिल करने की आवश्यकता हो सकती है।

16.26 यदि परीक्षा के किसी भी टियर / चरण में कट-ऑफ अंक से अधिक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी किसी भी कारण से बाद के चरण/अंतिम चयन के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो माह के भीतर या अगले चरण की परीक्षा के आयोजन के दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, आयोग के संबंधित क्षेत्रीय / उप-क्षेत्रीय कार्यालय को अभ्यावेदन देना चाहिए।

16.27 यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और वह आयोग या संबंधित प्रयोक्ता विभाग से अंतिम परिणाम घोषणा होने के एक वर्ष की अवधि के भीतर कोई पत्राचार प्राप्त नहीं करता है, तो उसे संबंधित प्रयोक्ता विभाग से तुरंत संपर्क करना चाहिए।

## 17. बराबरी (टाई) के मामलों का निपटारा

17.1 टियर-II परीक्षा में अभ्यर्थियों के अंकों में बराबरी के मामले में योग्यता का निर्णय निम्नलिखित मानदंडों को एक बाद दूसरे को अपनाते हुए किया जाएगा जब तक कि बराबरी (टाई) का निपटान न हो जाएः

17.1.1 कनिष्ठ सांख्यिकीय आधिकारी (जेएसओ) और सहायक लेखा परीक्षा आधिकारी/सहायक लेखा आधिकारी के पदों के लिए क्रमशः टीयर-II के पेपर-II एवं पेपर-III की परीक्षा मे प्राप्तांक, यदि लागू हो।

17.1.2 टियर-।। के पेपर-I के खंड-I में प्राप्त कुल अंक

17.1.3 जन्म-तिथि देखकर, अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाता है।

17.1.4 वर्णानुक्रम, जिसमें अभ्यर्थियों का नाम आता है।

## 18. कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कारवाई:

18.1 यदि अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान किसी भी स्तर पर निम्नलिखित में से किसी भी दुराचरण/कदाचार के लिए दोषी पाए जाते हैं तो इस परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी और आयोग की ज परीक्षाओं से उन्हें निम्नलिखित अवधि के लिए वारित कर दिया जाएगा।

| क्र.सं. | कदाचार का प्रकार | वारित अवधि |
|---|---|---|
| **1** | परीक्षा भवन से परीक्षा संबंधी सामग्री, जैसे- ओएमआर शीट, रफशीट, प्रवेशपत्र की आयोग की प्रति, उत्तर शीटें लेकर बाहर जाना या परीक्षा के आयोजन के दौरान इन्हें किसी अनधिकृत व्यक्ति को देना। | 2 वर्ष |
| **2** | परीक्षा के दौरान बिना सूचित किए परीक्षा स्थल को छोड़ना | 2 वर्ष |
| **3** | परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि के साथ दुर्व्यवहार करना, उन्हें भयभीत करना या डराना-धमकाना। | 3 वर्ष |
| **4** | परीक्षा के आयोजन में बाधा पहुंचाना/ अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा न देने के लिए उकसाना | 3 वर्ष |
| **5** | गलत अथवा झूठे वक्तव्य देना, महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना, जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना। | 3 वर्ष |
| **6** | अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लेना। | 3 वर्ष |
| **7** | 'स्विच ऑन' या 'स्विचऑफ' मोड में मोबाइल फोन रखना। | 3 वर्ष |
| **8** | नियमों का उल्लंघन करके एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार बैठना। | 3 वर्ष |
| **9** | कोई अभ्यर्थी जो उसी परीक्षा में परीक्षा संबंधी मामलों को देख रहा हो। | 3 वर्ष |
| **10** | परीक्षा से संबंधित अवसंरचना/उपकरणों को नुकसान पहुंचाना। | 5 वर्ष |
| **11** | जाली प्रवेश-पत्र, पहचान-पत्र से परीक्षा देना। | 5 वर्ष |
| **12** | परीक्षा के दौरान आग्नेय शस्त्रों / हथियारों को रखना। | 5 वर्ष |
| **13** | परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि पर हमला करना, उन पर बल प्रयोग करना, किसी भी तरीके से उन्हें शारीरिक हानि पहुंचाना। | 7 वर्ष |
| **14** | आग्नेय शस्त्रों / हथियारों से परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों को डराना -धमकाना। | 7 वर्ष |
| **15** | परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, जैसे- कागज या शारीरिक अंगों आदि पर लिखित सामग्री जैसे अनधिकृत स्रोतों से नकल करना। | 7 वर्ष |
| **16** | परीक्षा कक्ष में ब्लूटूथ उपकरण, स्पाई कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने पास रखना। | 7 वर्ष |
| **17** | छद्मवेषन / किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्य साधन कराना। | 7 वर्ष |
| **18** | स्नेपशाट लेना, प्रश्नपत्रों या परीक्षा सामग्री, लैब आदि का वीडियो बनाना। | 7 वर्ष |
| **19** | रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर/एप/लैन/वैन इत्यादि के माध्यम से परीक्षा टर्मिनलों को साझा करना। | 7 वर्ष |
| **20** | परीक्षा से पहले, उसके दौरान या उसके बाद किसी भी समय परीक्षा सर्वरों, डाटा या परीक्षा प्रणाली को हैक करने या जोड-तोड़ करने की कोशिश करना। | 7 वर्ष |

18.2 आयोग, यदि उचित समझे, तो इस मामले को पुलिस / जांच एजेंसियों को भी रिपोर्ट कर सकता है। इसके अतिरिक्त, आयोग संबंधित अधिकारियों / फोरेंसिक विशेषज्ञों, आदि द्वारा मामले की जांच कराने के लिए उचित कार्रवाई भी कर सकता है।

**19.** **आयोग का निर्णय अंतिम:** पात्रता,आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षा के आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन, मेरिट सूची और संगठनों के आबंटन, कदाचार में संलिप्त होने पर वारित करने से संबंधित सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछ-ताछ /पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।

**20.** **न्यायालय का क्षेत्राधिकार :** इस भर्ती से संबंधित कोई विवाद उस न्यायालय /न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिसके न्याय क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह संबंधित क्षेत्रीय/ उप क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, जहां अभ्यर्थी ने परीक्षाएं दी है।

21. रोजगार के अवसरों में बेरोजगार अभ्यर्थियों की पहुंच बढ़ाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.06.2016 के का.ज्ञा.संख्या 39020/1/2016-स्था.(ख) के तहत जारी निर्देशों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि अंतिम परिणाम की घोषणा के पश्चात आयोग द्वारा आयोजित उक्त खुली प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के अंकों तथा रैंकिंग को आयोग की अपनी वेबसाइट पर घटती हुई रैंकिंग के क्रम में प्रदर्शित किया जाएगा। तदनुसार**,** यह निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थियों के निम्नलिखित ब्यौरों को इस वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा : **(i)** अभ्यर्थी का नाम **(ii)** पिता / पति का पूरा नाम **(iii)** जन्म तिथि **(iv)** श्रेणी (सामान्य / अजा / अजजा / अपिव / आकव / बेंचमार्क दिव्यांगजन / भूपूसै) **(v)** अभ्यर्थी का लिंग **(vi)** शैक्षिक योग्यता **(vii)** अर्हक परीक्षा में प्राप्त कुल अंक **(viii)** रैंकिंग**,** जिसके द्वारा योग्यता का निर्धारण किया गया है **(ix)** पूरा पता **(x)** ई-मेल पता । तथापि**,** अपना आवेदन-पत्र भरते समय अभ्यर्थियों के पास सार्वजनिक रूप से उपर्युक्त विवरणों को प्रकट न करने का विकल्प रहेगा । तदनुसार**,** केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और रैंक आयोग की वेबसाइट/एनसीएस पर उपलब्ध होंगे जिन्होंने उपर्युक्त ब्यौरा प्रकट करने का विकल्प दिया है अथवा अनजाने में विकल्प का प्रयोग नहीं किया है।

22. **अयोग्यता:** कोई भी व्यक्ति, (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का अनुबंध किया हो, जिसकापति या पत्नी जीवित है, या (ख) जिसका पति या पत्नी जीवित हो, उसने किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, सेवा में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है, बशर्ते कि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति और अन्य व्यक्ति के लिए लागू पर्सनल लॉ के तहत ऐसे विवाह की अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी है, उस व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

23. **<u>अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश:</u>**

| | |
|---|---|
| (क) | **अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें । परीक्षा विज्ञप्ति हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित की गई है। कोई भी विवाद होने पर, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।** |

| | |
|---|---|
| (ख) | **अभ्यर्थियों को उनके हित के लिए सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन अंतिम तारीख से काफी पहले जमा कर दें और अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यंत व्यस्तता के कारण कर्मचारी चयन आयोग की वेसाइट की विसंबंधनता / लॉगइन करने में असमर्थता या विफलता की संभावना से बचने के लिए अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें।** |
| (ग) | कर्मचारी चयन आयोग लिखित परीक्षा के समय पात्रता एवं अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत संवीक्षा नहीं करेगा, इसलिए अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक व चिकित्सीय मापदण्ड इत्यादि की अपेक्षाओं को पढ़ लें और अपनी संतुष्टि कर लें कि वे पद (पदों) के लिए पात्र हैं। शैक्षिक योग्यता और जाति/श्रेणी आदि के समर्थन में सहायक प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की प्रतियां दस्तावेज सत्यापन के समय मांग करने वाले प्रयोक्ता विभागों/संगठनों द्वारा मांगी जाएंगी। परिणाम घोषित होने के बाद प्रयोक्ता विभागों द्वारा शारीरिक और चिकित्सा मानकों को सुनिश्चित किया जाएगा। अभ्यर्थी यह भी नोट करें कि आयोग या मांगकर्ता प्रयोक्ता विभाग/संगठन द्वारा मांगे जाने पर उन्हें अपने प्रमाणपत्र/शैक्षिक योग्यता/जाति/श्रेणी आदि के दस्तावेज जमा करने होंगे। प्रमाणपत्र/शैक्षिक योग्यता/जाति/श्रेणी आदि के प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों की जांच के बाद, यदि आवेदन में किया गया कोई दावा प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों से सिद्ध नहीं होता है, तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। |
| (घ) | अजा / अजजा / अपिव / आकव / बेंचमार्क दिव्यांगजन लिए उपलब्ध आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे इस विज्ञप्ति में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण के हकदार हैं। उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाणपत्र भी होने चाहिए। |
| (ड.) | केवल बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों को ही दिव्यांगजन माना जाएगा और वे ही दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के हकदार होंगे। |
| (च) | जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा तो इसे 'अनंतिम' रूप से स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने रिकार्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट आऊट लेना चाहिए। आयोग को किसी भी स्तर पर 'आवेदन पत्र' का प्रिंट आऊट भेजने की जरूरत नहीं है। |
| (छ) | देय शुल्कः 100/- रु. (एक सौ रुपए मात्र)। महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आरक्षण के हकदार भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांगजन व्यक्तियों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट है। |
| (ज) | ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए सामान्य अवधि के दौरान परीक्षा के लिए एक अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अनुमति है, जिसमें 'आवेदन फॉर्म सुधार के लिए विंडो' की अवधि शामिल नहीं है। इसलिए, अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के समय सावधानी बरतनी |

| | |
|---|---|
| | चाहिए। यदि विभिन्न पंजीकरण संख्या वाले अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन पाए जाते हैं, तो आयोग द्वारा सभी आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे और परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन जमा करता है और एक से अधिक बार (किसी भी स्तर पर) परीक्षा में उपस्थित होता है, तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी तथा उसे आयोग की परीक्षाओं से नियमानुसार वारित कर दिया जाएगा। |
| (झ) | ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, आयोग अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन मापदंडों को सही / संशोधित करने के लिए 2 दिनों की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को आवश्यकतानुसार एक-बारगी पंजीकरण/ ऑनलाईन आवेदन डाटा में अपेक्षित सुधार/ परिवर्तन करने के बाद आवेदन को पुनः जमा करने की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा की सूचना के पैरा-11 में दिए गए विवरण के अनुसार निर्धारित सुधार शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। नवीनतम संशोधित आवेदन को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिए जमा किए गए पिछले आवेदनों को अनदेखा कर दिया जाएगा। |
| (ञ) | सही / अंतिम ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले, जैसा भी मामला हो, उम्मीदवारों को यह जांचना चाहिए कि उन्होंने फॉर्म के प्रत्येक भाग में सही विवरण भरा है। संशोधित/अंतिम ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने या 'आवेदन प्रपत्र सुधार के लिए विंडो' की अवधि की समाप्ति के बाद, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन/सुधार/संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, हाथ से आदि किसी भी रूप में प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। |
| (ट) | अभ्यर्थी अपना नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम तथा माता का नाम ठीक वैसा ही लिखें जैसे उनके मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में दिया गया है। अन्यथा दस्तावेज सत्यापन के समय आयोग के ध्यान में जब कभी भी आने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है। |
| (ठ) | अपाठ्य / धुंधले फोटो / हस्ताक्षर वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा। |
| (ड) | अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन में अपना सही तथा सक्रिय ईमेल आईडी तथा मोबाइल नम्बर दें क्योंकि आयोग द्वार ईमेल/एसएमएस के माध्यम से पत्राचार दिया जा सकता है। |
| (ढ) | आयोग सक्षम प्राधिकारी से उचित प्राधिकरण के अधीन सत्यापन उद्देश्य के लिए अभ्यर्थियों के आधार डेटा का उपयोग कर सकता है। |
| (ण) | अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में दो पासपोर्ट आकार के फोटो और अपनी हाल ही के फोटो लगा कम से कम एक साक्ष्य, जैसे- आधार कार्ड/ई-आधार का प्रिंट आउट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, पेन कार्ड, विश्वविद्यालय/कॉलेज/सरकारी कार्यालय या कोई अन्य कार्यालय जहां अभ्यर्थी कार्य कर रहा हो, |

| | |
|---|---|
| | द्वारा जारी पहचान पत्र मूलरूप में अपने साथ लाना चाहिए, जिसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी । यदि फोटो पहचान पत्र में जन्मतिथि मुद्रित नहीं है तो अभ्यर्थी को अपने जन्मतिथि के साक्ष्य में अतिरिक्त मूल प्रमाणपत्र (पैरा 14.8 के अनुसार) लाना चाहिए। जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में लाने वाले फोटो पहचान पत्र/ प्रमाणपत्र तथा प्रवेश प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्मतिथि बेमेल होने के मामले में अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी । विशिष्ट दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो प्रलिपिक की सुविधा का उपयोग करेंगे, उन्हें पैरा 7.1 और 7.2 में यथा उल्लिखित चिकित्सा प्रमाणपत्र/वचनपत्र/प्रलिपिक के फोटो पहचानपत्र की फोटो कॉपी लानी होगी। |
| (त) | अंतिम परिणाम घोषित होने से पूर्व आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन विकल्प फॉर्म के माध्यम से अभ्यर्थियों से विभिन्न पदों और विभागों के लिए वरीयता ली जाएगी। एक अभ्यर्थी पर किसी पद और मंत्रालय/विभाग/संगठन के लिए विचार नहीं किया जाएगा, यदि उसने इसके लिए अपनी वरीयता का संकेत नहीं दिया है। एक बार प्रस्तुत किए गए विकल्पों को अंतिम माना जाएगा और बाद में किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जाएगा। अतः, अभ्यर्थियों को ऐसे विकल्पों के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। अभ्यर्थी, जो निर्धारित समय के भीतर आयोग की वेबसाइट पर अपनी पद वरीयता (ओं) को जमा नहीं करते हैं, अंतिम परिणाम में उनके नामे पर किसी भी पद के लिए विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को पदों के लिए वरीयता का प्रयोग करने का एक और अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा और इसके लिए अभ्यर्थी पूरी तरह से स्वयं जिम्मेदार होंगे। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी रूप में प्राप्त किसी भी शिकायत पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और इसे सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। |
| (थ) | किसी प्रतिष्ठित नाम/फोटो के दुरूपयोग से नकली/जाली आवेदन/पंजीकरण करने के मामले में अभ्यर्थी/साइबर कैफे को उत्तरदायी समझा जाएगा तथा उनके खिलाफ साइबर/आईटी अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त विधिक कार्रवाई की जाएगी । |
| (द) | सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व (अ.भा.से.दा.) वाले हैं अर्थात् चयनित होने पर अभ्यर्थी को देश के किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए कहा जा सकता है। |
| (ध) | यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी टियर/स्तर में कट-ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त करता है और किसी कारण से तदनंतर स्तर/अंतिम चयन में अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर या अगले स्तर की परीक्षा प्रारंभ होने से दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय में अभ्यावेदन करना चाहिए। |
| (न) | यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और परिणाम घोषित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर उसे आयोग अथवा संबंधित प्रयोक्ता विभाग से कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल संबंधित |

| | |
|---|---|
| | प्रयोक्ता विभाग से संपर्क करना चाहिए। |
| (प) | ऑनलाईन आवेदन-पत्र में, अभ्यर्थियों को जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए हुए रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो (20 केबी से 50 केबी) अपलोड करनी होगी। फ़ोटोग्राफ तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए । फोटोग्राफ की छवि का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी और चश्मे का होना चाहिए और सामने का दृश्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उचित फोटोग्राफ अपलोड नहीं किया जाता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। फोटोग्राफ के नमूने जो स्वीकार्य/अस्वीकार्य हैं, अनुबंध-V में दिए गए हैं |

**अवर सचिव, भारत सरकार**
**17.09.2022**

**अनुबंध-I**

## परीक्षार्थी की लिखने संबधी शारीरिक सीमाओं के संबंध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती .....(दिव्यांग अभ्यर्थी का नाम), सुपुत्र/सुपुत्री ....., ग्राम/जिला/राज्य ..... के निवासी हैं, जोकि .....(दिव्यांगता प्रमाणपत्र में यथा-उल्लिखित दिव्यांगता का स्वरूप और उसकी प्रतिशतता) से पीड़ित हैं, की जांच की है और उल्लेख करता हूं कि दिव्यांगता के कारण उनकी शारीरिक सीमाएं हैं जिनसे उनकी लेखन क्षमताएं प्रभावित होती हैं।

हस्ताक्षर

सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक

नाम व पदनाम

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य संस्थान का नाम एवं मुहर

स्थान:

तारीख:

**टिप्पणी**: संबंधित विषय/दिव्यांगता (अर्थात दृष्टि दिव्यांगता- नेत्र विशेषज्ञ, गति विषयक दिव्यांगता- अस्थि रोग विशेषज्ञ/पीएमआर) के विशेषज्ञ द्वारा ही प्रमाण-पत्र दिया जाना चाहिए।

**अनुबंध-II**

## स्वयं के प्रलिपिक का उपयोग करने हेतु वचन-पत्र

मैं ..... (दिव्यांगता का स्वरूप) ..... दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्ति हूं, जिसका..... (जिले का नाम) ..... (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम) ..... में स्थित .....(केंद्र का नाम) में अनुक्रमांक ..... है। मेरी शैक्षिक योग्यता ..... है।

मैं सूचित करता/करती हूं कि ..... (प्रलिपिक का नाम) अधोहस्ताक्षरी को पूर्वोक्त परीक्षा में प्रलिपिक/रीडर/प्रयोगशाला सहायक की सेवा प्रदान करेंगे/करेंगी।

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि उनकी शैक्षिक योग्यता ..... है। यदि बाद में यह पता चलता है कि उनकी शैक्षिक योग्यता मेरे द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है और मेरी शैक्षिक योग्यता से अधिक है, तो मुझे इस पद और इससे संबंधित दावे का अधिकार नहीं होगा।

(दिव्यांग अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

स्थान:

तारीख:

**अनुबंध-III**

## (ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया)

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:

**I.**एक बारगी पंजीकरण

**II.**परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरना

**भाग -I (एक बारगी पंजीकरण)**

1. कृपया ऑनलाइन 'पंजीकरण-प्रपत्र' और 'आवेदन-पत्र' भरने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
2. एकबारगी पंजीकरण भरने से पहले निम्नलिखित सूचनाएं/दस्तावेज तैयार रखें:
   - क. मोबाइल नंबर (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।
   - ख. ईमेल आईडी (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।
   - ग. आधार संख्या । यदि आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया निम्नलिखित आईडी नंबरों में से एक दें। (आपको बाद में मूल दस्तावेज़ को दिखाना होगा ।)
     - i.वोटर आईडी कार्ड
     - ii.पैन
     - iii.पासपोर्ट
     - iv.ड्राइविंग लाइसेंस
     - v.स्कूल/कॉलेज आई डी
     - vi.नियोक्ता आईडी (सरकारी/पीएसयू/प्राइवेट)

   घ. बोर्ड, रोल नंबर और मैट्रिक (10वीं) की परीक्षा पास करने के वर्ष के बारे में जानकारी।

   ङ. दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संख्या, यदि आप किसी बेंचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित हैं।

3. एक बारगी पंजीकरण के लिए, http://ssc.nic.in पर 'Login' सेक्शन में दिए गए लिंक 'Register Now' पर क्लिक करें।
4. एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित सूचनाएं भरनी होंगी:
   - क. प्रारंभिक विवरण
   - ख. अतिरिक्त जानकारियां तथा संपर्क विवरण
   - ग. घोषणा ।

5. **'एक बारगी पंजीकरण प्रपत्र' भरने के लिए कृपया निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें :**
   - क. किसी गलती से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विवरणों (अर्थात आधार संख्या, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि इत्यादि) की प्रविष्टि पंजीकरण प्रपत्र के संगत कॉलमो में दो बार की जानी

अपेक्षितहै। यदि मूल डाटा और सत्यापन डाटा कॉलम मेल नहीं खाते हैं तो इसे स्वीकृत नहीं किया जाएगा और इसका संकेत लाल रंग के पाठ में दिया जाएगा।

ख. क्रम संख्या-1: आधार संख्या/ पहचान पत्र और इसकी संख्या के बारे मे जानकारी प्रदान करें। इन नम्बरों में से कोई एक नम्बर दिया जाना अपेक्षित है।

ग. क्रम संख्या-2: अपना नाम ठीक वैसा ही भरें जैसा मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है। यदि मैट्रिकुलेशन के पश्चात आपने अपने नाम में कोई बदलाव किया है, तो कृपया इसका उल्लेख 2ग और 2घ में करें।

घ. क्रम संख्या-3: अपने पिता का नाम **ठीक** वैसा ही भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।

ङ. क्रम संख्या-4: अपनी माता का नाम **ठीक** वैसा ही भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।

च. क्रम संख्या-5: अपनी जन्मतिथि **ठीक** वैसी ही भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दी गई है।

छ. क्रम संख्या-6: मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में निम्नलिखित शामिल है:

i.शिक्षा बोर्ड का नाम

ii.रोल नंबर

iii.उत्तीर्ण होने का वर्ष

ज. क्रम संख्या-7: लिंग

झ. क्रम संख्या-8: शैक्षणिक योग्यता का स्तर (उच्चतम)

ञ. क्रम संख्या-9: आपका मोबाइल नंबर। यह एक सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि इसे 'वन टाइम पासवर्ड' (ओटीपी) के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि कोई भी जानकारी जो आयोग संप्रेषित करना चाहता है, केवल इस मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपका मोबाइल नंबर उपयोग किया जाएगा।

ट. क्रम संख्या-10: आपका ईमेल आईडी। यह एक सक्रिय ईमेल आईडी होना चाहिए क्योंकि इसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जाए कि आयोग जो भी जानकारी आपको देना चाहेगा, केवल इसी ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड /पंजीकरण संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपकी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।

ठ. अपने स्थायी पते का राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र का विवरण प्रदान करें।

ड. जब क्रम संख्या 1 से 10 में प्रदान किए गए मूल विवरण को सहेजा जाता है, तो आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। पुष्टि होने पर, आपका डाटा सहेजा जाएगा तथा आपका पंजीकरण संख्या स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। आपका पंजीकरण संख्या और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिए जाएंगे।

ढ. आपको 14 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसमें विफल होने पर आपके अब तक के सहेजे गए पंजीकरण विवरण हटा दिए जाएंगे।

ण. अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी को यूजर नाम और आपके मोबाइल और ईमेल पर आपको प्रदान किए गए ऑटो जेनरेटेड पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करें। पहले लॉगिन पर संकेत मिलने पर अपना पासवर्ड बदलें।

त. पासवर्ड के सफलतापूर्वक परिवर्तन करने के बाद, अपनी पंजीकरण संख्या और बदले गए पासवर्ड का उपयोग करके आपको फिर से लॉगिन करना होगा।

थ. सफलतापूर्वक लॉगइन करने पर, आपके द्वारा अभी तक की 'प्रारंभिक सूचनाओं' के बारे में भरी गई जानकारी प्रदर्शित होगी। यदि आवश्यक हो तो इसमें संशोधन करें अथवा नीचे दिए गए 'नेक्स्ट' बटन को क्लिक करके पंजीकरण पूरा करने के लिए आगे बढ़ें।

द. क्रम संख्या-11: अपनी श्रेणी के बारे में जानकारी प्रदान करें।

ध. क्रम संख्या-12: अपनी राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी प्रदान करें

न. क्रम संख्या -13: दृश्यमान पहचान चिह्न के बारे में जानकारी प्रदान करें। आपको परीक्षा के विभिन्न चरणों में उपरोक्त पहचान चिह्न दिखाना पड़ सकता है।

प . क्रम संख्या-14: कृपया यदि कोई विशिष्ट दिव्यांगता हो तो उसकी जानकारी दें। यदि आप किसी बैंचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित है, जोकि सरकारी नौकरियों के लिए उपयुक्त हो, तो दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या प्रदान करें।

फ. क्रम संख्या: 15 से 18: अपने स्थायी और वर्तमान पते के बारे में जानकारी प्रदान करें। डेटा को सहेजें और पंजीकरण प्रक्रिया के अंतिम भाग को भरने के लिए आगे बढ़ें।

ब. प्रदान की गई जानकारी को सहेजें। ड्राफ्ट प्रिंट-आउट लें और 'Final Submit' से पहले, प्रदान की गई जानकारी की अच्छी तरह से समीक्षा करें।

भ. 'घोषणा' को सावधानीपूर्वक पढ़ें और यदि आप उक्त घोषणा से सहमत हैं तो 'मैं सहमत हूं' पर क्लिक करें।

म. 'Final Submit' पर क्लिक करने पर आपके मोबाइल नम्बर और ई-मेल आईडी पर अलग-अलग ओटीपी भेजे जाएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया पूरा करने के लिए आपको इन दो ओटीपी में से एक ओटीपी डालना होगा।

**6.** यद्यपि आप अपने एक बारगी पंजीकरण में परिवर्तन कर सकते है, तथापि अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि एक बारगी पंजीकरण करने के दौरान अत्यंत सावधानी बरतें । गलत या त्रुटिपूर्ण सूचना से आपकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

**7. आपको पुन :सलाह दी जाती है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक परीक्षा का विवरण ठीक वैसा ही भरें जैसा कि आपके मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र में दर्ज है। गलत/त्रुटिपूर्ण सूचनाएं देने पर आपकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।**

8. प्रारंभिक सूचना प्रस्तुत करने के बाद यदि आप पंजीकरण प्रक्रिया को 14 दिनों के भीतर पूरा नहीं करते हैं तो आपका डाटा प्रणाली से हटा दिया जाएगा ।

# एकबारगी पंजीकरण फॉर्म के स्क्रीनशॉटस

## BASIC DETAILS

**NOTE: Candidates must be cautious while filling up Registration details. Your candidature may get cancelled in case incorrect/ wrong information is furnished.**

| | |
|---|---|
| 1. Do you have Aadhaar ? * | ○ Yes ◉ No |
| 1a. Aadhaar Number | Aadhaar Number should be same as mentioned in Aadhaar Card |
| 1b. Verify Aadhaar Number | |
| 1c. Type of ID * | Driving License<br>Type of ID and ID Number to be provided if you don't want to give Aadhaar number |
| 1d. ID Number * | BRHPK3731M |
| 2a. Name * | SAMPLE NAME<br>1. Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate<br>2. Please enter name without any salutation (i e Shri/ Smt/ Mr/ Mrs/ Ms/ Dr/ Prof) |
| 2b. Verify Name * | SAMPLE NAME |
| 2c. Have you ever changed Name? | ○ Yes ◉ No |
| 2d. New Name / Changed Name | |
| 3a. Father's Name * | SAMPLE FATHER NAME<br>1. Father's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate<br>2. Please enter name without any salutation (i e Mr/ Shri/ Late/ Dr/ Prof etc |
| 3b. Verify Father's Name * | SAMPLE FATHER NAME |
| 4a. Mother's Name * | SAMPLE MOTHER NAME<br>1. Mother's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate<br>2. Please enter name without any salutation (i e Mrs/ Ms/ Smt/ Late/ Dr/ Prof etc |
| 4b. Verify Mother's Name * | SAMPLE MOTHER NAME |
| 5a. Date of Birth (DD/MM/YYYY) * | 02/01/1999<br>Date of Birth should be same as mentioned in Matriculation Certificate |
| 5b. Verify Date of Birth (DD/MM/YYYY) * | 02/01/1999 |
| 6. Matriculation (10th Class) Examination details : | |
| (i). Education Board * | Central Board of Secondary Education (CBSE)<br>Education Board of Matriculation Examination |
| (ii). Verify Education Board * | Central Board of Secondary Education (CBSE) |
| (iii). Roll Number * | 301739<br>1. Roll Number should be same as mentioned in Matriculation Certificate<br>2. Only / and - are allowed , Please enter Roll number without any other special character(s)<br>3. If Roll Code is given in your Matriculation Certificate then enter "Roll Code - Roll No." |

| | |
|---|---|
| (iv). Verify Roll Number * | 301739 |
| (v). Year of Passing * | 2013 |
| (vi). Verify Year of Passing * | 2013 |
| 7a. Gender * | (•) Male ( ) Female ( ) Transgender |
| 7b. Verify Gender * | (•) Male ( ) Female ( ) Transgender |
| 8. Level of Educational Qualification * | Graduation |
| 9a. Mobile Number * | 8111111111 |
| 9b. Verify Mobile Number * | 8111111111 |
| 10a. Email ID* | sample123@gmail.com |
| 10b. Verify Email ID* | sample123@gmail.com |
| • State / UT of Permanent Address * | Delhi |

Save Reset Close

## ADDITIONAL AND CONTACT DETAILS

Edit

| | |
|---|---|
| 11a. Category * | (●) General ( ) EWS ( ) OBC ( ) ST ( ) SC |
| 11b. Verify Category * | (●) General ( ) EWS ( ) OBC ( ) ST ( ) SC |
| 12. Nationality * | Citizen of India |
| 13. Identification Marks* | MOLE ON RIGHT CHEEK |
| 14a. Are you a Person with Benchmark Disability (PwBD)? * | ( ) Yes (●) No |
| 14b. Type of Disability | --Select-- |

**NOTE**
**VH:** Blindness and low vision.
**HH:** Deaf and hard of hearing.
**OH:** Locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy.
**Others:** Autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness, multiple disabilities from amongst persons under the above mentioned clauses including deaf-blindness.

| | |
|---|---|
| 14c. Disability Certificate Number | |
| 15a. Permanent Address * | SAMPLE PERMANENT ADDRESS |
| 15b. State/ UT * | Punjab |
| 15b. State/ UT * | Punjab |
| 15c. District * | Patiala |
| 15d. PIN Code * | 140401 |
| 16. Is Present Address same as Permanent Address? | (●) Yes ( ) No |
| 17a. Present Address * | SAMPLE PERMANENT ADDRESS |
| 17b. State/ UT * | Punjab |
| 17c. District * | Patiala |
| 17d. PIN Code * | 140401 |
| 18. Contact details for other nationals | |

Previous | Save | Next | Reset | Close

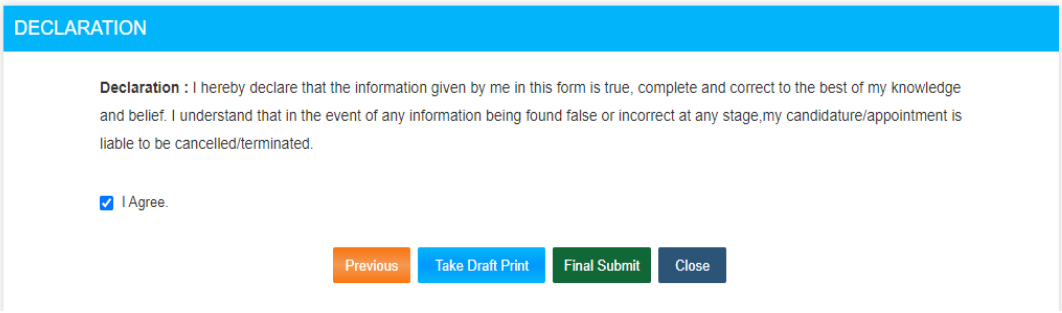
DECLARATION
Declaration : I hereby declare that the information given by me in this form is true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage,my candidature/appointment is liable to be cancelled/terminated.
I Agree.
Previous
Take Draft Print
Final Submit
Close

## भाग-II (ऑनलाइन आवेदन-पत्र)

1. **ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू करने के पूर्व निम्नलिखित डाटा तैयार रखें:**

   क. हाल का **(अर्थात परीक्षा विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से तीन महीने से ज्यादा पुरानी नहीं)** जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किया गया पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो (20 केबी से 50 केबी)। फोटो का छवि आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई)X 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटो बिना टोपी पहने, बिना चश्मे लगाए होनी चाहिए और दोनों कान दिखाई देने चाहिए। **धुंधली फोटो वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा उचित फोटो अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। स्वीकृत/ अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने अनुबंध-V में दिए गए हैं।**

   ख. जेपीईजी फार्मेट में स्कैन किए गए हस्ताक्षर (10 से 20 केबी)। हस्ताक्षर छवि का आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। **अस्पष्ट/धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।**

   ग. अर्हक शैक्षिक योग्यता का ब्योरा जैसे उत्तीर्ण करने का वर्ष, अनुक्रमांक सं., प्रतिशत/ सीजीपीए, विश्वविद्यालय का नाम इत्यादि।

2. अपनी 'पंजीकृत संख्या'और पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम में लॉगइन करें।
3. 'Latest Notification' टैब के अंतर्गत **'Combined Graduate Level Examination 2022'** सेक्शन में 'Apply' लिंक पर क्लिक करें ।
4. क्रम सं1-.से14 पर कॉलम में जानकारी स्वचालित रूप से आपके एकबारगी पंजीकरण डाटा से भर जाएगी जिसका संपादन नहीं किया जा सकता है। **तथापि, यदि आप एकबारगी पंजीकरण के किसी भी ब्योरे में परिवर्तन करना चाहते है तो अपने लॉग-ईन स्क्रीन के बाएं हाथ के कोने में प्रदान की गई "Modify Registration" टैब पर क्लिक करें और आगे बढ़ाने से पहले उपर्युक्त संशोधन कर लें।**
5. क्रम संख्या-15: परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी वरीयता दें। आप एक ही क्षेत्र के भीतर परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। वरीयता के क्रम में सभी तीन केंद्रों के लिए विकल्प दिया जाना चाहिए।
6. क्रम संख्या-16: यदि आप एक भूतपूर्व सैनिक हैं या सशस्त्र सेना में कार्यरत है, तो आवश्यक जानकारी भरें। सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों के पारिवारिक सदस्यों को भूतपूर्व सैनिक नहीं माना जाता है और इसलिए उन्हे 'No' विकल्प चुनना चाहिए।
7. क्रम संख्या-17.1: सूचना प्रदान करें कि आप दृष्टिहीनता, चालन संबंधी दिव्यांगता (दोनों बांह प्रभावित-दो.बा.) और प्रमस्तिष्क पक्षाघात की श्रेणी में बेंचमार्क दिव्यांगता (40 प्रतिशत या उससे अधिक) के व्यक्ति हैं या नहीं ।
8. क्रम संख्या-17.2: यदि आप लिखने में शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है और आपकी तरफ से लिखने के लिए प्रलिपिक की आवश्यकता है, तो चयन करें। अधिक जानकारी के लिए परीक्षा-विज्ञप्ति का पैरा-7 देखें।
9. क्रम संख्या-17.3 से 17.5: यदि आप परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा-7 के अनुसार प्रलिपिक की सुविधा का लाभ उठाने के पात्र हैं, तो प्रलिपिक की आवश्यकता के बारे में जानकारी प्रदान करें।

10. क्रम संख्या-18.1: यदि आप कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी के पद के लिए आवेदन कर रहें है तो 'Yes' का चयन करें। आपके पास उक्त पद के लिए आवश्यक वांछित शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और क्रम संख्या-18.2 पर 'Yes' का चयन करें।
11. क्रम संख्या-19: यदि आप आयु में छूट चाहते हैं तो उपयुक्त आयु छूट श्रेणी का चयन करें।
12. क्रम संख्या-20: कृपया अपनी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख करें।
13. क्रम संख्या-21: पात्र शैक्षिक योग्यता का ब्योरा प्रदान करें।
14. क्रम संख्या-22: कृपया परीक्षा-विज्ञप्ति का पैरा संख्या: 21 देखें और तदनुसार भरें।
15. क्रम संख्या- 23, 24 और 25 : वर्तमान और स्थायी पता से संबंधित जानकारी एकबारगी पंजीकरण डाटा से स्वत :भर जाएगी।
16. **अपना हाल का फोटोग्राफ अपलोड करें (परीक्षा विज्ञप्ति प्रकाशित होने के तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए) जैसा कि उपर्युक्त क्रम संख्या-1क पर निर्दिष्ट किया गया है। धुंधले फोटोग्राफ वाले आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा। स्वीकार्य / अस्वीकार्य फोटोग्राफ के नमूने अनुबंध-V में दिए गए हैं। अभ्यर्थी उसी का संदर्भ लें।**
17. अपने हस्ताक्षर अपलोड करें, जैसाकि क्रम संख्या-1ख पर निर्दिष्ट किया गया है। **धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा।**
18. क्रम संख्या-26: उपर्युक्त अपलोड किया गया फोटोग्राफ परीक्षा विज्ञप्ति जारी होने के तीन महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। यदि अपलोड किया गया फोटोग्राफ परीक्षा विज्ञप्ति जारी होने के तीन महीने से ज्यादा पुरानी नहीं है तो 'Yes' का चयन करें।
19. घोषणा को सावधानीपूर्वक पढ़ें और यदि आप उससे सहमत हैं तो "मैं सहमत हूं" चेक बॉक्स पर क्लिक करें । कैप्चा कोड भरें।
20. आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी का पूर्वावलोकन और सत्यापन करें। **अगर आप किसी भी प्रविष्टि का संशोधन करना चाहते है तो 'Edit/Modify' बटन दबाएं और आगे बढ़ने से पहले अपेक्षित संशोधन कर लें।** जब आप संतुष्ट हो जाएं कि जानकारी सही तरीके से भरी गई है तो जानकारी का पूर्वावलोकन और सत्यापन करें और आवेदन'सबमिट' करें। **आवेदन जमा करने के बाद आप ऑनलाईन आवेदन में कोई भी संशोधन नहीं कर पाएंगे।**
21. यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट नहीं दी गयी है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।
22. शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग अथवा वीसा,मास्टर कार्ड,मैस्ट्रो, रूपे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का उपयोग करके या एसबीआई चालान जनरेट करके एसबीआई की शाखाओं में नकद जमा किया जा सकता है।शुल्क के भुगतान हेतु और अधिक जानकारी के लिए परीक्षा-विज्ञप्ति के पैरा-10 का संदर्भ लें।
23. जब आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट किया जाएगा, तो इसे 'अनंतिम रूप से' स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थी को अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट-आउट लेना चाहिए। किसी भी स्तर पर आयोग को 'आवेदन पत्र' का प्रिंट-आउट जमा करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, ऑनलाइन आवेदन से संबंधित कोई भी शिकायत, अगर हो तो, उसके निपटान के लिए आपको ऑनलाईन आवेदन फॉर्म का प्रिन्ट-आउट प्रदान करना पड़ सकता हैं।

## COMBINED GRADUATE LEVEL EXAMINATION, 2022

### Instructions

**PLEASE BE VERY CAREFUL WHILE FILLING THE APPLICATION FORM**

| | |
|---|---|
| 1. Candidate's Name: (As per the Matriculation Certificate) | SAMPLE NAME |
| 2. New / Changed Name: | |
| 3. Father's Name: | SAMPLE FATHER NAME |
| 4. Mother's Name: | SAMPLE MOTHER NAME |
| 5. Date of Birth (DD/MM/YYYY) (As per the Matriculation Certificate): | 02/01/1999 |
| 6. Age as on 01/01/2022: | 22.11 |
| 7. Gender: | Male |
| 8. Category: | UR |
| 9. Whether Person with Benchmark Disability (PwBD)? : | No |
| 9.1. If Yes, Type of Disability: | |

| | |
|---|---|
| 10. Nationality: | Citizen of India |
| 11. Mark of Visible Identification: | MOLE ON RIGHT CHEEK |
| 12. Matriculation (10th Class) Examination Board: | Central Board of Secondary Education (CBSE) |
| 13. Matriculation (10th Class) Roll No.: | 301739 |
| 14. Matriculation (10th Class) Year of Passing: | 2013 |
| 15. Preference of Examination Centres:* | NR-Roorkee(2006) / NR-Delhi(2201) / NR-Alwar(2402) |
| 16.1. Whether you are an Ex-Servicemen (ESM) or serving in the Armed Forces? :* | ○ Yes ◉ No |
| 16.2. Date of Joining the Armed Forces (DD/MM/YYYY): | |
| 16.3. Date of Discharge/ Likely Date of Discharge from the Armed Forces (DD/MM/YYYY): | |
| 16.4. Length of service in the Armed Forces: | |
| 16.5. Have you already joined a civil post by availing benefit of reservation for Ex-Serviceman (ESM) : Please refer to the Notice of Examination, Para-5.6 | ○ Yes ○ No |
| 16.6. Date of Joining to Civil Post (DD/MM/YYYY): | |

| | |
|---|---|
| 17.1. Are you a person with benchmark disabilities (i.e. more than 40%) in the category of blindness, locomotor disability (Both Arms affected-BA) and Cerebral Palsy? : | ○ Yes ○ No |
| 17.2. Do you have a physical limitation to write and Scribe is required to write on your behalf (Certificate to this effect from the Chief Medical Officer/ Civil Surgeon/ Medical Superintendent of a Government Health Care institution as per Notice of the Examination, would be required at the time of Examination.)?: | ○ Yes ○ No |
| 17.3. Whether scribe is required?:<br>Please see Para - 7 of the Notice | ○ Yes ○ No |
| 17.4. Will you make your own arrangement of Scribe?: | ○ Yes ○ No |
| 17.5. If Scribe is to be arranged by SSC, then indicate medium: | Please Select |
| 18.1. Are you also applying for the Post of Junior Statistical Officer (MoSPI): * | ○ Yes ◉ No |
| 18.2. Do you possess EQ for the Post of Junior Statistical Officer (MoSPI): * | ○ Yes ○ No |
| 19.1. Whether seeking Age Relaxation? :* | ○ Yes ◉ No |
| 19.2. If Yes, Age Relaxation code:<br>Please see Para - 5.2 of the Notice | --Select Age Relaxation Code-- |

| | |
|---|---|
| 20. Highest Educational Qualification: * | BA (Hons.)(6) |
| 21. Details of Qualifying Educational Qualification:* | Graduation |

| Status | Passing Year | State/ UT of Board/ University | Name of Board/ University | Roll No | Percentage | CGPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Passed | 2019 | Delhi | UNIVERSITY OF DELHI | 22019823 | 69 | |

| | |
|---|---|
| 22. Do you want to make your personal information available for accessing job opportunities in terms of DoP&T's OM.No.39020/1/2016-Estt.(P) dated 21/06/2016? *<br>Please see Para - 21 of the Notice | ○ Yes ◉ No |
| 23. Correspondence Address: | SAMPLE PERMANENT ADDRESS |
| State: | Punjab |
| District: | Patiala |
| Pin: | 140401 |
| 24. Permanent Address | SAMPLE PERMANENT ADDRESS |
| State: | Punjab |
| Pin: | 140401 |
| Mobile Number: | 8111111111 |

Email: sample123@gmail.com

25. Contact Details for Other Nationals:

## Photograph And Signature

Upload a photograph taken on or after 17-June-2022*

Allowed File Size: 20 KB to 50 KB

Format: JPEG/ JPG

Image Size: About 3.5 cm (width) x 4.5 cm (height)

Choose File SamplePhot...hwithdate.jpg

Upload Signature *

Allowed File Size: 10 KB to 20 KB

Format: JPEG/ JPG

Image Size: About 4.0 cm (width) x 2.0 cm (height)

Choose File SampleSignature.jpg

26. Whether the photograph has been taken on or after 17-June-2022?: (•) Yes ( ) No

## Declaration

1. I have read the Notice of Examination and accept all the Terms & Conditions mentioned therein.

2. I hereby declare that all the statements made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found supressed/ false or incorrect at any stage or ineligibility being detected before or after the Examination, my candidature/ appointment is liable to be cancelled. I am willing to serve anywhere in India.

3. I declare that the photograph uploaded in the Application Form has been taken on or after the stipulated dated.

4. I agree to authorize SSC to use my Aadhaar data for verification purpose.*

*Verification will be subject to authorization from competent authority.

[x] I Agree

Try Another

TLLTG

Preview Reset Close

## फोटोग्राफ के नमूने

### स्वीकृत फोटोग्राफ

### अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने

अत्यधिक रंगीन

बहुत नजदीक

टोपी के साथ

धुंधले फोटोग्राफ

उल्टी फोटो

अत्यधिक गहरा रंग

धूप वाले चश्मे के साथ

तिरछी दृश्यमान फोटो

बहुत छोटी

चश्मे के साथ

अनुबंध-**VI**

## विभिन्न पदों के लिए अनुमत्य बेंचमार्क दिव्यांगताओं का विवरण

आयोग दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. 38-16/2020-डीडी-III, दिनांक 04.01.2021 के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्लूडी) अधिनियम, 2016 के तहत अथवा मांगकर्ता विभागों / संगठनों द्वारा पहचान किए गए और सूचित किए गए विशिष्ट पदों के लिए विभिन्न बेंचमार्क  दिव्यांगताओं के लिए पदों की उपयुक्तता पर विचार करेगा।

**अनुबंध-VII**

## आयु में छूट चाहने वाले केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र का प्रपत्र

(उस विभाग या कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा भरा जाए जहां अभ्यर्थी कार्यरत हैं)

यह प्रमाणित किया जाता है कि *श्री/श्रीमती/कुमारी _____ केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी हैं जो _____ रू. के वेतनमान में _____ के पद पर अंतिम तारीख के अनुसार इस ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके है।

_____ (परीक्षा नाम) के लिए आवेदन पत्र।

हस्ताक्षर_____

नाम _____

कार्यालय की मुहर _____

स्थानः

दिनांकः

(* कृपया जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें)

**अनुबंध- VIII**

## सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार (नंबर) _____ (रैंक)_____ (नाम)_____ (दिनांक)_____ को सशस्त्र सेना में अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे।

(कमान अधिकारी के हस्ताक्षर)

कार्यालय की मुहर

स्थानः

दिनांकः

**अनुबंध-IX**

## भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दिया जाने वाला वचन-पत्र

मैं ……, अनुक्रमांक……

.....परीक्षा, 20 के दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित हुआ हूँ एततद्वारा वचनबद्ध हूँ कि:

(क) मैं समय समय पर यथा संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा और डाक नियम, 1979, में भूतपूर्व सैनिकों के पुन: रोजगार के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों कोअनुमत लाभों का हकदार हूँ।

(ख) मैंने सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सम्मिलित हैं) मेंभूतपूर्व-सैनिकों कोपुन: रोजगार के लिए दिए गए आरक्षण का लाभ उठाते हुए समूह 'ग' तथा 'घ' पदों की सरकारी नौकरी में नियमित आधार पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है ; अथवा

(ग) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांक ……को …… . …… ..... कार्यालय में .....पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। मैं एततद्वारा वचनबद्ध हूँ कि वर्तमान सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले वर्तमान नियोक्ता को उन सभी आवेदनों के बारे में स्व-घोषणा / वचन पत्र प्रस्तुत किया है जिनके लिए मैंने आवेदन किया है; अथवा

(घ) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांक ……को …… . …… ..... कार्यालय में .....पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। इसलिए, मैं केवल आयु में छूट पाने के लिए पात्र हूँ;

मैं एततद्वारा घोषणा करता/करती हूं कि उपरोक्त विवरण जहाँ तक मुझे पता है विश्वास है यथार्थ, पूर्ण और सही हैं। मैं समझता/ समझती हूँ कि किसी भी स्तर पर किसी भी जानकारी के झूठा या गलत पाए जाने पर मेरी अभ्यर्थिता / नियुक्ति निरस्त/ समाप्त समझी जाएगी।

हस्ताक्षर: ……
नाम: ……
अनुक्रमांक: .....
दिनांक: ……
सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि: ……
कार्यमुक्ति की तिथि: ……
अंतिम यूनिट / कोर: ……
मोबाइल नंबर: ……
ईमेल आईडी:.....

**अनुबंध-X**

## अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

जो अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करते हैं, उन्हें अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रपत्र पर जिलाधिकारी या परगनाधिकारी या उस जिले जिसमें उनके माता-पिता (या जीवित माता-पिता) सामान्यतः रहते हों, के नीचे दिए गए किसी भी अधिकारी, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकृत किया गया हो, से प्राप्त प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित/सत्यापित प्रति जमा करनी चाहिए। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अतिरिक्त सामान्यतः रहता हो। जहां कहीं फोटोग्राफ प्रमाणपत्र का आवश्यक अंग है, वहां आयोग ऐसे प्रमाणपत्रों की केवल प्रमाणित फोटो प्रतियां ही स्वीकार करेगा न कि कोई अन्य प्रमाणित या मूल प्रतिलिपि।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*_____ पुत्र/पुत्री_____ निवासी ग्राम/कस्बा* _____ जिला/संभाग* _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* _____ के _____ अनुसूचित जाति/जनजाति से संबधित हैं जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त हैः-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 _____
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 _____
संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951* _____
संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951* _____

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश,1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित।

संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 _____
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन अधिनियम) 1976* द्वारा यथा संशोधित संविधान
(अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 _____
संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश,1962
संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962@

संविधान(पांडिचेरी) अनुसूचित  जाति आदेश, 1964@

संविधान(अनुसूचित जनजाति  ) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967@

संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश,1968@

संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश,1968@

संविधान(नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@

संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@

संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@

संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@

संविधान(अनुसूचित जाति ) आदेश (संशोधन)  अधिनियम, 1990@

संविधान(अनुसूचित जनजाति ) आदेश (संशोधन)  अध्यादेश, 1991@

संविधान(अनुसूचित जनजाति ) आदेश (द्वितीय संशोधन)  अधिनियम, 1991@

संविधान(अनुसूचित जनजाति ) आदेश (संशोधन)  अध्यादेश, 1996@

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम, 2002@

संविधान(अनुसूचित जनजाति ) आदेश (संशोधन)  अधिनियम, 2002@

संविधान(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002@

संविधान(अनुसूचित जनजाति ) आदेश (संशोधन)  अधिनियम, 2007@

%2 यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* _____ के माता/पिता श्री/श्रीमती _____ निवासी _____

ग्राम/कस्बा* _____ जिला/संभाग* _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* _____ को जारी किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो _____ जाति/ जनजाति से संबंधित हैं जो _____ दिनांक _____ द्वारा जारी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

%3 श्री/श्रीमती/कुमारी _____ और/या* उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा*_____जिला/संभाग* _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र _____ में रहता है।

हस्ताक्षर.....

**पदनाम.....

(कार्यालय की मुहर सहित)

स्थान _____

दिनांक.....

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें।

@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें।

% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें।

**टिप्पणी**:- यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है।

****जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची:-**

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।

(iv) क्षेत्र का सब डिविजनल आफीसर जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

**टिप्पणी:- तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।**

**अनुबंध-XI**

**(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ सुपुत्र/सुपुत्री _____

ग्राम/कस्बा _____ जिला/संभाग _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र _____ समुदाय से संबंधित हैं जो भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प सं ---------- दिनांक ------* के अंतर्गत पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। श्री/श्रीमती/कु० ---------- तथा/या उनका परिवार सामान्यतः---------- राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के ---------- जिला/संभाग में रहता/रहते हैं ।यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं 36012/ 22/93-स्था (एससीटी), दिनांक 8.9.1993** की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

जिलाधीश .....

उपायुक्त आदि.....

दिनांक:

मुहरः

---

*प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प का ब्यौरा उल्लेख करना होगा जिसमें अभ्यर्थी की जाति का अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लेख है।

** समय समय पर यथा संशोधित

टिप्पणी : यहां प्रयुक्त 'सामान्यतः' शब्द का वही अर्थ होगा जैसाकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है।

**अनुबंध- XII**

..... सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पता)

**आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला आय और संपत्ति संबंधी प्रमाण-पत्र**

प्रमाण-पत्र संख्या _____ दिनांक _____

**वर्ष ..... लिए मान्य**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी _____स्थायी निवासी _____गाँव/गली _____ डाकघर _____ जिला _____ राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र _____ पिन कोड _____ जिनकी फोटो नीचे सत्यापित की गयी है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं क्योंकि वित्त वर्ष ..... के लिए उनकी /उनके 'परिवार' ** की कुल वार्षिक आय* 8 लाख (केवल आठ लाख रुपये) से कम है। उनके/उसके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई संपत्ति नहीं है :

I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि ;
II. 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी _____ का संबंध _____ जाति से है जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की मुहर के साथ हस्ताक्षर.....

नाम .....

पद.....

| आवेदक के हाल ही के पासपोर्ट आकार की सत्यापित फोटो |
|---|

* नोट 1: सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि को शामिल करके कुल आय।

** नोट 2: इस प्रयोजनार्थ 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन के साथ-साथ उसका पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

*** नोट 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या अधिग्रहीत संपत्ति परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों / शहरों में "परिवार" की सभी संपत्ति को शामिल कर लिया गया है।

**अनुबंध –XIII**

प्रपत्र-V

निःशक्तता प्रमाण पत्र

(विच्छेदन या अंग के पूरे स्थायी पक्षाघात के मामले या बौनेपन और नेत्रहीनता के मामले में)

(नियम 18(1) देखें)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

| दिव्यांग का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का) |
|---|

प्रमाण पत्र सं. ---------- दिनांक ----------

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी----------सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री ----------जन्म तिथि ---------- (दि/म/व) आयु ---------- वर्ष पुरूष/ महिला---------- पंजीकरण संख्या ---------- मकान नं ---------- वार्ड/गांव/गली ---------- डाकघर ------- जिला ---------- राज्य ---------- के स्थायी निवासी हैं, जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूं कि:-

(क) उनका मामला:

- गतिविषयक दिव्यांगता
- बौनापन
- नेत्रहीनता का है

(जैसा भी लागू हो, निशान लगाएं)

(ख) उनके मामले में ---------- निदान किया गया है।

(ग) वे दिशानिर्देशों ---------- (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार अपने ---------- ----- (शारीरिक अंग) (उल्लेख करें) के संबंध में ---------- %(अंकों में) ---------- % (शब्दों में ) स्थायी गतिविषय दिव्यांगता/बौनापन/नेत्रहीनता से पीड़ित हैं।

2. आवेदक ने आवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:

| दस्तावेज का स्वरूप | जारी करने की तारीख | प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा |
|---|---|---|

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के
प्राधिकृत हस्ताक्षर एवं मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप
जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

**अनुबंध-XIV**

प्रपत्र-VI

निःशक्तता प्रमाण पत्र

(बहु नि:शक्तता संबंधी मामलों में)

(नियम 18(1) देखें)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

दिव्यांग का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. ---------- दिनांक ----------

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी---------- *सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री* -- ----------*जन्म तिथि* ---------- *(दि/म/व)* आयु ---------- वर्ष पुरूष/ महिला---------- पंजीकरण संख्या ---------- मकान नं ---------- वार्ड/गांव/गली ---------- डाकघर ---------- जिला ---------- राज्य ---------- के स्थायी निवासी हैं, जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूं कि:-

(क) उनका मामला बहु निःशक्तता है। उनकी शारीरिक निःशक्तता/दिव्यांगता का दिशानिर्देशों ..... (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित इंगित निःशक्तताओं के लिए मूल्यांकन किया गया है और उसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त निःशक्तता के समक्ष दर्शाया गया है:-

| क्र. सं. | निःशक्तता | शरीर के प्रभावित अंग | निदान | स्थायी शारीरिक क्षति/मानसिक दिव्यांगता (%में) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | गति विषयक दिव्यांगता | @ | | |
| 2. | पेशी संबंधी क्पोषण | | | |
| 3. | अभिसाधित क्ष्ठ | | | |
| 4. | बौनापन | | | |
| 5. | प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात | | | |
| 6. | तेजाब के हमले में जले | | | |
| 7. | अल्प दृष्टि | # | | |
| 8. | नेत्रहीनता | # | | |
| 9. | बधिरता | £ | | |
| 10. | श्रवण दिव्यांगता | £ | | |
| 11. | वाक् एवं भाषा संबंधी | | | |
| 12. | बौद्धिक दिव्यांगता | | | |

13. विशिष्ट अभिगम दिव्यांगता
14. ऑटिस्म स्पेक्ट्रम विकार
15. मानसिक बीमारी
16. चिरकालिक तंत्रिका संबंधी
17. मल्टीपल स्लेरोसिस
18. पार्किन्सन बीमारी
19. हेमोफिलिया
20. थेलेसेमिया
21. सिकल सेल डिसीज़

(ख) उपर्युक्त के संदर्भ में, उसकी समग्र स्थायी शारीरिक दिव्यांगता दिशानिर्देशों ..... (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित है:

अंको में ..... प्रतिशत

शब्दों में ..... प्रतिशत

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. निःशक्तता का पुनःनिर्धारण:

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii) ..... वर्ष .....माह के पश्चात पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र ..... (तारीख) .... (माह) .....(वर्ष) तक मान्य रहेगा।

@ अर्थात बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे

# अर्थात एक आँख

£ अर्थात बाएं/दाएं/दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए है:-

दस्तावेज का स्वरूप जारी करने की तारीख प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर

सदस्य का नाम और मुहर सदस्य का नाम और मुहर अध्यक्ष का नाम और मुहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप
जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

**अनुबंध-XV**

प्रपत्र-VII

निःशक्तता प्रमाण पत्र

(प्रपत्र V और VI में उल्लिखित मामलों को छोड़कर)

(नियम 18(1) देखें)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

| निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का) |
|---|

प्रमाण पत्र सं. --------------- दिनांक ---------------

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी--------------------------------- सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री ---------------------------------------------जन्म तिथि ------------------ (दि/म/व) आयु ---------- वर्ष पुरूष/ महिला------------- पंजीकरण संख्या ----------, जोकि मकान नं ---------- वार्ड/गांव/गली ---------- डाकघर ------- जिला ------------- राज्य ------------- के स्थायी निवासी हैं और जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूं कि वे ............................ निशक्तता से पीड़ित हैं। उनकी शारीरिक निःशक्तता/दिव्यांगता का दिशानिर्देशों ............. (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित इंगित निःशक्तताओं के लिए मूल्यांकन किया गया है और उसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त निःशक्तता के समक्ष दर्शाया गया है:-

| क्र. सं. | निःशक्तता | शरीर के प्रभावित अंग | निदान | स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक दिव्यांगता(%में) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | गति विषयक दिव्यांगता | @ | | |
| 2. | पेशी संबंधी कुपोषण | | | |
| 3. | अभिसाधित कुष्ठ | | | |
| 4. | प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात | | | |
| 5. | तेजाब के हमले में जले पीड़ित | | | |
| 6. | अल्प दृष्टि | # | | |
| 7. | बधिरता | € | | |
| 8. | श्रवण दिव्यांगता | € | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9. | वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता | | | |
| 10. | बौद्धिक दिव्यांगता | | | |
| 11. | विशिष्ट अभिगम दिव्यांगता | | | |
| 12. | ऑटिस्म स्पेक्ट्रम विकार | | | |
| 13. | मानसिक बीमारी | | | |
| 14. | चिरकालिक तंत्रिका संबंधी विकार | | | |
| 15. | मल्टीपल स्लेरोसिस | | | |
| 16. | पार्किन्सन बीमारी | | | |
| 17. | हेमोफिलिया | | | |
| 18. | थेलेसेमिया | | | |
| 19. | सिकल सेल डिसीज़ | | | |

(कृपया उन निशक्तताओं को काट दें जो लागू न हों)

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. निःशक्तता का पुनःनिर्धारण:

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii) ..... वर्ष .....माह के पश्चात पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र ..... (तारीख) .... (माह) .....(वर्ष) तक मान्य रहेगा।

@ अर्थात बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे

# अर्थात एक आँख/दोनों आंखे

€ अर्थात बाएं/दाएं/दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए है:-

| दस्तावेज का स्वरूप | जारी करने की तारीख | प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा |
|---|---|---|
| | | |

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

(नाम और मुहर)

{यदि प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी अधिकारी (मुहर के साथ) नहीं है, तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/ सरकारी अस्पताल के अध्यक्ष के प्रतिहस्ताक्षर एवं मुहर}

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जिसके लिए
दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

टिप्पणी: यदि प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी अधिकारी नहीं है, तो यह जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने पर ही वैध होगा।

**अनुबंध-XVI**

कौशल परीक्षा (डाटा एंट्री कौशल परीक्षा) में बैठने से छूट चाहने वाले बैंचमार्क दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला चिकित्सा प्रमाणपत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कु. .....सुपुत्र / सुपुत्री/ पत्नी श्री .....,.....से पीड़ित है।

नैदानिक निदान के परिणामस्वरूप उन्हें निम्नलिखित दिव्यांगता है। (उनकी दिव्यांगताओं का संक्षिप्त विवरण)

.....

.....

..

यह एक स्थायी विकलांगता है और उसका / उसकी दिव्यांगता, दिव्यांगता की ____% है। इस दिव्यांगता से टंकण में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है (विनिर्दिष्ट करें )

---------- ---------- ----------

-

सिविल सर्जन का हस्ताक्षर:_____

नाम:_____

(कार्यालय की मोहर)_____

स्थान:_____

दिनांक:_____

| |
|---|
| शरीर के प्रभावित अंश को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए अभ्यर्थी का फोटोग्राफ |

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर:

नाम:

**क. निरीक्षक (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/परीक्षक/निवारक अधिकारी), केन्द्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो में निरीक्षक तथा उप निरीक्षक के पद के लिए शारीरिक मानकः**

**पुरुष अभ्यर्थीः**

**(i) शारीरिक मानकः**

| | |
|---|---|
| ऊंचाई 157.5 से.मी.<br>छाती 81 से.मी. (5 से.मी. के न्यूनतम विस्तार सहित पूर्ण रूप से विस्तारित) | गढ़वाल, असमी, गोरखा तथा अनुसूचित जन जाति के सदस्यों के मामले में ऊचांई में 5 से.मी. की छूट है |

**(ii) शारीरिक परीक्षणः**

चलनाः 15 मिनट में 1600 मीटर

साइकिल चलानाः 30 मिनट में 8 कि.मी.

**महिला अभ्यर्थीः**

**(i) शारीरिक मानक** (न्यूनतम):

| | |
|---|---|
| ऊंचाई 152 से.मी.<br>वजनः 48 कि.ग्रा. | ऊचांई में 2.5 से.मी. की छूट है।<br>गोरखा, गढ़वाल, असमी, तथा अनुसूचित जन जाति के सदस्यों के लिए वजन में 2 किलोग्राम की छूट है |

**(ii) शारीरिक परीक्षणः**

चलनाः 20 मिनट में 1 कि.मी.

साइकिल चलानाः 25 मिनट में 3 कि.मी.

**टिप्पणीः** निरीक्षक (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/परीक्षक/निवारक अधिकारी), दिव्यांग जन के पद के लिए अभ्यर्थी को संबंधित पद के लिए यथानिर्धारित चिकित्सा मानकों अर्थात ऊचांई, छाती तथा वजन को पूरा करना होता है। तथापि, अस्थि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक परीक्षा में निम्नलिखित छूट स्वीकार्य हैः

(क)एक पैर तथा एक बांह एक पैर श्रेणी के मामले में "चलना" परीक्षा बाध्यकारी नहीं है।

(ख) एक बाँह, एक पैर तथा एक बाँह एक पैर श्रेणी के मामले में "साइकल चलाना" परीक्षा बाध्यकारी नहीं है।

**ख. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में उप निरीक्षक के पद के लिए शारीरिक मानकः**

**(क) <u>ऊचांई</u>**

पुरुष के लिए -165 से.मी.

महिला के लिए -150 से.मी.

पहाड़ी तथा जनजाति समुदाय से संबंधित व्यक्ति के लिए ऊचांई में छूटः 5 से.मी.

**(ख) छातीः**

विस्तार सहित 76 से.मी. (महिला अभ्यर्थियों के मामले में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है)

**(ग) दृष्टिः**

नजर (चश्मा सहित अथवा बिना चश्मा के)

दूर दृष्टिः एक आंख में 6/6 तथा दूसरे आंख में 6/9

निकट दृष्टिः एक आंख में 0.6 तथा दूसरे आंख में 0.8

**ग. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) में उप निरीक्षक के पद के लिए शारीरिक मानकः**

**(क) ऊचांई**

पुरुष के लिए -170 से.मी.

महिला के लिए -150 से.मी.

पहाड़ी तथा जनजाति समुदाय से संबंधित व्यक्ति के लिए ऊचांई में छूटः 5 से.मी.

**(ख) छातीः**

विस्तार सहित 76 से.मी. ( महिला अभ्यर्थियों के मामले में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है)

**(ग) दृष्टिः**

नजर (चश्मा सहित अथवा बिना चश्मा के)

दूर दृष्टिः एक आंख में 6/6 तथा दूसरे आंख में 6/9

निकट दृष्टिः एक आंख में 0.6 तथा दूसरे आंख में 0.8

**घ. नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो, वित्त मंत्रालय में उप निरीक्षक / कनिष्ठ आसूचना अधिकारी के पद के लिए शारीरिक मानकः**

**(क) ऊचांई**

पुरुष के लिए -165 से.मी.

महिला के लिए -152 से.मी.

नोट: असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहुआल और स्पीति जिले और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उप-मंडल, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के पहाड़ी व्यक्तियों और जनजाति के व्यक्तियों के लिए : 5 सेमी

**(ख) छातीः**

सभी अभ्यर्थियों के लिए 76 से.मी. (बिना फुलाए) 5 सेमी के विस्तार सहित ( महिला अभ्यर्थियों के मामले में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है)

**(ग)** **<u>दृष्टिः</u>**

नजर (चश्मा सहित अथवा बिना चश्मा के)

दूर दृष्टिः एक आंख में 6/6 तथा दूसरे आंख में 6/9

निकट दृष्टिः एक आंख में 0.6 तथा दूसरे आंख में 0.8

**टिप्पणी**: अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी पद की श्रेणी हेतु विकल्प देने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वे उस श्रेणी की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं । अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक माप (जिसमें दृष्टि परीक्षा शामिल है), संबंधित मांगकर्ता विभागों द्वारा आयोजित की जाएगी तथा केवल वह अभ्यर्थी जो विनिर्दिष्ट शारीरिक माप को पूरा कर रहे हैं वही संबंधित पद के लिए पात्र होंगे। यदि नामित अभ्यर्थी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहता है तो पद की किसी अन्य सेवा/श्रेणी को आवंटित किए जाने के उसके अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। अतः पात्रता मानदंडों को पूरा करने का पूर्ण दायित्व केवल उन अभ्यर्थियों का है, जिन्होंने ऐसे पदों के लिए विकल्प दिया है ।

**अनुबंध-XVIII**

## सड़क सीमा संगठन (बीआरओ) में प्रवर श्रेणी लिपिक के पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक व चिकित्सीय मानक

1. **शारीरिक दक्षता परीक्षा**

(i) शारीरिक दक्षता परीक्षाओं के लिए मानदंडों को इस विज्ञप्ति की **"अनुसूची-I"** के रूप में रखा गया है। शारीरिक दक्षता परीक्षाओं का आयोजन मुख्यालय, महानिदेशक, सीमा सड़क द्वारा नियुक्त अधिकारी मंडल द्वारा जीआरईएफ केन्द्र अथवा यथा-लागू अपने-अपने भर्ती केन्द्र में किया जाएगा।

2. **शारीरिक मापदंड**: जीआरईएफ (सीमा सड़क संगठन) में भर्ती के लिए कार्मिकों के शारीरिक मापदंडों की क्षेत्र-वार अपेक्षाओं का इस विज्ञप्ति की **"अनुसूची-II"** में उल्लेख किया गया है।

3. (क) **चिकित्सा मानक :** अत्यन्त सुदूरवर्ती क्षेत्रों, उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों और पहाड़ी भू-भाग के कठिन क्षेत्रों इत्यादि सहित उनके कार्य-स्वरूप कर्तव्यों की सूची और प्रत्याशित तैनाती के अनुसार जीआरईएफ (सीमा सड़क संगठन) में उनकी सेवा के लिए अभ्यर्थियों की भर्ती हेतु विनिर्दिष्ट चिकित्सा मानक अपेक्षित हैं। चिकित्सा मानकों को इस विज्ञप्ति की '**अनुसूची-III**' में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(ख) **चिकित्सा परीक्षा और चिकित्सा जांच**: प्रत्येक अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी की इस विज्ञप्ति में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार चिकित्सा परीक्षा और चिकित्सा जांच की जाएगी । यह चिकित्सा परीक्षा, मुख्यालय, महानिदेशक, सीमा सड़क द्वारा मनोनीत चिकित्सा बोर्ड द्वारा की जाएगी। चिकित्सा परीक्षा के आयोजन के लिए अनुसरण किए जाने वाले दिशानिर्देशों और अभ्यर्थियों को अस्थायी अथवा स्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित करने की कार्य-प्रणाली का उत्तरवर्ती उप पैरा में उल्लेख किया गया है :

(i) सभी दस्तावेजों की विस्तृत रूप से जांच करने के पश्चात, भर्ती कर रहे अनुभाग के प्रभारी अधिकारी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सा कागजात (जिसमें पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ विधिवत चिपका हुआ हो) को जीआरईएफ केन्द्र सहित संबंधित भर्ती केन्द्र के चिकित्सा बोर्ड को सौंपे जाएंगे तथा अभ्यर्थी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रिपोर्ट करेंगे । अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा जीआरईएफ केन्द्र सहित प्रत्येक भर्ती केन्द्र में दो चिकित्सा अधिकारियों द्वारा की जाएगी।

(ii) भर्ती चिकित्सा बोर्ड इस विज्ञप्ति में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार अभ्यर्थियों की चिकित्सा फिटनेस की जांच करेगा।

(iii) चिकित्सीय रूप से 'फिट' अथवा 'अनफिट' पाए गए अभ्यर्थियों को उनके चिकित्सा परिणाम की खुद **चिकित्सा बोर्ड** द्वारा सूचना दी जाएगी ताकि अभ्यर्थियों को अपनी स्थिति स्पष्ट हो सके।

(iv) जहां चिकित्सा अधिकारी को विशेषज्ञ की राय की जरूरत है तो **संबंधित भर्ती केन्द्र अथवा जीआरईएफ केन्द्र** के निकटवर्ती सैन्य अस्पताल या किसी सर्विस/थल सेना अस्पताल को मामला भेजा जाएगा। संबंधित विशेषज्ञ के ओ.पी.डी. के दिन के आधार पर, चिकित्सक द्वारा सैन्य अस्पताल में चिकित्सा परीक्षा के आयोजन और उत्तरवर्ती कार्यविधि के बारे में अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से हिदायत दी जाएगी।

(v) अभ्यर्थियों के 'फिट' अथवा 'अनफिट' के संबंध में चिकित्सा कागजात, चिकित्सा परीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात अधिमानत: चिकित्सा परीक्षा वाले दिन ही एमआई रूम द्वारा भर्ती करने वाले अनुभाग/मोबाइल क्षेत्रीय भर्ती टीम को दे दिए जाएंगे, लेकिन यह परीक्षा की तारीख से 5 दिन के अन्दर दे दिए जाएं।

(vi) सैन्य अस्पतालों अथवा किसी सर्विस/थल सेना अस्पताल को भेजे गए मामलों के बारे में ब्यौरों की चिकित्सा बोर्ड द्वारा भर्ती कर रहे अनुभाग को भी साथ-ही-साथ सूचना दी जाएगी।

(vii) संबंधित विशेषज्ञ द्वारा विधिवत समीक्षा किए गए और चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा लौटाए गए संदर्भित मामलों का रेजीमेंटल चिकित्सा अधिकारी द्वारा विशेषज्ञ की टिप्पणी के अनुसार तत्परतापूर्वक निपटान किया जाएगा और रेजीमेंटल चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस संबंध में भर्ती कर रहे अनुभाग को भी साथ-साथ सूचना भेजी जाएगी।

(viii) **अस्थायी रूप से 'अनफिट'**- अस्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा।

(क) **चिकित्सा कारणों से अस्थायी रूप से 'अनफिट'** - चिकित्सा कारणों से अस्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को चिकित्सा बोर्ड और भर्ती प्रभारी अधिकारी अथवा अधिकारी मंडल अथवा मोबाइल क्षेत्रीय भर्ती टीम द्वारा लिखित रूप से उनकी निर्योग्यता के बारे में सूचना दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों के पास भर्ती केन्द्र चिकित्सा बोर्ड द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा के विरूद्ध अपील करने का अधिकार है तथा ऐसी अपील भर्ती केन्द्र के चिकित्सा बोर्ड द्वारा आरम्भ में अस्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित करने की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर की जानी चाहिए। ऐसे अभ्यर्थियों को विशेषज्ञ द्वारा चिकित्सा परीक्षा के लिए अपील के साथ 05(पांच) दिन पहले रिपोर्ट करनी चाहिए तथा उन्हें समीक्षा प्रमाणपत्र की दो प्रतियों के साथ निकटतम सैन्य अस्पताल/सर्विस अस्पताल के संबंधित विशेषज्ञ के पास भेजा जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को पुन: चिकित्सा परीक्षा के लिए शुल्क के रूप में 40/-रूपए जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि ऐसे अभ्यर्थियों को समीक्षा के दौरान पुन: 'अनफिट' पाया जाता है तो उन्हें पुन: चिकित्सा परीक्षा का कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता स्वत: निरस्त हो जाएगी। पुन: चिकित्सा परीक्षा के बाद, यदि अभ्यर्थी 'फिट' पाया जाता है तो प्रवेशण की पूरी प्रक्रिया को आरंभिक

चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छ: माह की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाएगा । जहां आरंभिक चिकित्सा परीक्षा

की तारीख से छ: माह की अवधि के भीतर प्रवेशण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और जहां विलम्ब स्वयं अभ्यर्थी के कृत्यों के कारण हुआ है तो ऐसी स्थिति में भर्ती के लिए ऐसे अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वत: निरस्त हो जाएगी।

(ख) **शारीरिक मापदंडों में कमी के कारण अस्थायी रूप से अनफिट**- शारीरिक मापदंडों में कमी के कारण अस्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को भी चिकित्सा बोर्ड और भर्ती प्रभारी अधिकारी अथवा अधिकारी मंडल अथवा मोबाइल क्षेत्रीय भर्ती टीम द्वारा लिखित रूप से उनकी निर्योग्यता अथवा कमियों के बारे में सूचना दी जाएगी। शारीरिक मापदंडों का लिखित में विरोध करने वाले अभ्यर्थियों की, यदि जीआरईएफकेन्द्र में चिकित्सा परीक्षा ली जा रही है तो कमाण्डेंट अथवा भर्ती प्रभारी अधिकारी की उपस्थिति में और यदि यह चिकित्सा परीक्षा मोबाइल क्षेत्रीय भर्ती टीम द्वारा ली जा रही है तो अधिकारी मंडल की उपस्थिति में, चिकित्सा परीक्षा के 24 घंटे के भीतर एक बार दोबारा मापदंड परीक्षा ली जाएगी। केवल वजन अथवा सीने की माप के कारण शारीरिक मापदंडों में कमी के लिए अस्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को वांछित मानक प्राप्त करने के लिए यथोचित समय दिया जाएगा, लेकिन यह अवधि आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से 2 माह से अधिक नहीं होगी । पुन: मापदंड परीक्षा के पश्चात् यदि अभ्यर्थी 'फिट' पाया जाता है तो प्रवेशण की पूरी प्रक्रिया को आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छ: माह की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाएगा । जहां आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छ: माह की अवधि के भीतर प्रवेशण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और जहां विलम्ब स्वयं अभ्यर्थी के कृत्यों के कारण हुआ है तो ऐसी स्थिति में भर्ती के लिए ऐसे अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वत: निरस्त हो जाएगी।

(ix) **स्थायी रूप से 'अनफिट'** - स्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को भी दो श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा ।

(क) **चिकित्सा कारणों से स्थायी रूप से 'अनफिट'** - चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को चिकित्सा बोर्ड और भर्ती प्रभारी अधिकारी अथवा अधिकारी मंडल द्वारा लिखित रूप से उनकी निर्योग्यता के बारे में सूचना दी जाएगी । ऐसे अभ्यर्थियों के पास, उन्हें स्थायी रूप से अनफिट घोषित करने की 60 दिन की अवधि के भीतर वर्तमान चिकित्सा परीक्षा के विरूद्ध अपील करने का अधिकार है। ऐसे मामले में, अभ्यर्थियों को पुन: चिकित्सा परीक्षा की अपील के साथ जीआरईएफकेन्द्र अथवा भर्ती जोन में 5(पांच) दिन पहले रिपोर्ट करनी

चाहिए। चिकित्सा बोर्ड द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों को समीक्षा प्रमाणपत्र की दो प्रतियों के साथ निकटतम सर्विस अस्पताल भेजा जाएगा। सर्विस विशेषज्ञ द्वारा पुन: चिकित्सा करने से पूर्व, ऐसे अभ्यर्थियों को भारतीय स्टेट बैंक में स्थित सरकारी खजाने में 40/-रूपए की राशि जमा करने की आवश्यकता होगी।

ऐसे सभी मामले, जहां संबंधित विशेषज्ञ द्वारा समीक्षा करने पर अभ्यर्थियों को दोबारा 'अनफिट' घोषित किया जाता है, उन्हें पुन: चिकित्सा परीक्षा/ समीक्षा के लिए कोई ओर अवसर नहीं दिया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता स्वत: निरस्त हो जाएगी। पुन: चिकित्सा परीक्षा के बाद, यदि अभ्यर्थी 'फिट' पाया जाता है तो प्रवेशण की पूरी प्रक्रिया को आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छ: माह की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाएगा । जहां आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छ: माह की अवधि के भीतर प्रवेशण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और जहां विलम्ब स्वयं अभ्यर्थी के कृत्यों के कारण हुआ है तो ऐसी स्थिति में भर्ती के लिए ऐसे अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वत: निरस्त हो जाएगी।

(ख) **शारीरिक मापदंडों में कमी के कारण स्थायी रूप से 'अनफिट'**- जिन अभ्यर्थियों को कद के संबंध में शारीरिक मापदंडों में कमी के कारण स्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किया गया है, उन मामलों में शारीरिक मापन के विरूद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती । तथापि शारीरिक मापन का विरोध करने वाले अभ्यर्थियों की भर्ती प्रभारी अधिकारी अथवा कमाण्डेंट, जीआरईएफ केन्द्र अथवा अधिकारी मंडल अथवा मोबाइल क्षेत्रीय भर्ती टीम (एम.आर.आर.टी.), जैसा भी मामला हो, की उपस्थिति में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा उसी दिन एक बार दोबारा मापदंड जांच की जाएगी ।

(x) **दृष्टि संबंधी मापदंड**- दृष्टि संबंधी तीक्ष्णता प्रत्येक आंख की 6/12 अथवा दाहिनी आंख की 6/6 और बांयी आंख की 6/24 से कम नहीं होनी चाहिए। दृष्टि संबंधी जांच के दौरान सुधारक चश्मे का उपयोग करने की अनुमति है। सुधार की गई दृष्टि के मामले में, सहायता रहित दृष्टि प्रत्येक आंख में 6/60 से नीचे नहीं होगी और सुधार करने पर यह वही होगी, जैसा कि अन्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई है।

(XI) **शल्य चिकित्सा**- यदि किसी अभ्यर्थी ने हाल ही में उदर- संबंधी शल्य- चिकित्सा कराई है(उदाहरणत: हर्निया, मांसपेशी दोष, नेफ्रोलिथोलॉमी, कॉललिथियासिस, कॉलसिस्टोटॉमी), तो वह मौजूदा नियमों के अनुसार एक वर्ष के लिए 'अनफिट' किए जाने का दायी होगा। तथापि स्थायी रूप से 'अनफिट' मामलों के लिए चिकित्सा अपील करने का उपबंध यथावत है अर्थात 2 माह के भीतर । ऐसे मामलों में उन्हीं मानदंडों का अनुसरण किया जाना चाहिए, जैसा कि उपरोक्त आंख की शल्य चिकित्सा मामलों में किया जाता है।

(ग) **चिकित्सा योग्यता :** इन नियमों में निहित कुछ भी होने के बावजूद, केवल वे लोग ही जो चिकित्सकीय रूप से योग्य पाए जाते हैं वे इन नियमों के प्रावधानों के तहत नियुक्ति के पात्र होंगे ।

(i) सीमा सड़क संगठन पूरे भारत में स्थानांतरण दायित्व सहित एक केंद्रीय सरकारी संगठन है। सीमा सड़क संगठन केंद्रीय सिविल सेवा नियमों द्वारा शासित है। तथापि, सेना अधिनियम-1950 के कतिपय प्रावधान बल के सदस्यों पर भी लागू होते हैं।

(ii) कर्मचारी चयन आयोग और सामान्य रिजर्व अभियंता बल केंद्र द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का अंतिम चयन चिकित्सा योग्याता परीक्षा उत्तीर्ण करने के अध्यधीन होगा। निदेशालय द्वारा गठित विस्तृत मेडिकल बोर्ड कर्मचारी चयन आयोग और सामान्य रिजर्व अभियंता बल केंद्र द्वारा चयन किए गए अभ्यर्थियों की चिकित्सा योग्यता परीक्षा लेगा।

(iii) चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सकीय रूप से 'योग्य' घोषित अभ्यर्थियों को अन्य सभी मानदंडों के पूरा करने के अध्यधीन सामान्य रिजर्व अभियंता बल (सी.स.ब) में शामिल किया जाएगा और उन्हें सामान्य रिजर्व अभियंता केंद्र, दीघी शिविर, पुणे-15 में प्रारंभिक प्रशिक्षण लेना होगा।

(iv) जीआरईएफ केंद्र में प्रशिक्षण देने के बाद, उन्हें उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार भारत में कहीं भी तैनात किया जाएगा।

4. **अभ्यर्थिता रद्द करना** : यदि कोई अभ्यर्थी चिकित्सा परीक्षा के लिए रिपोर्ट करने की तिथि पर अनुपस्थित होता है या चिकित्सा परीक्षा के दौरान या निर्धारित समय सीमा के भीतर चिकित्सा समीक्षा के लिए रिपोर्ट नहीं करता है तो उसकी अभ्यर्थिता स्वतः रद्द हो जाएगी। इस संबंध में विभाग द्वारा कोई अभ्यावेदन/ अपील स्वीकार नहीं किया जाएगा।

5. **नियमों में छूट की शक्ति** : जहां केंद्र सरकार का मानना है कि ऐसा करना आवश्यक या उपयुक्त है, तो वह आदेश द्वारा और लिखित में कारणों को दर्ज करके व्यक्तियों को किसी भी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दे सकता है।

6. **व्यावृति:** इन नियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष श्रेणियों की व्यक्तियों के लिए कोई भी किए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी ।

**अनुसूची-I**

| शारीरिक दक्षता परीक्षा ( समूह 'ग' पदों के लिए) | | | |
|---|---|---|---|
| क्रम संख्या | कार्यकलाप | अधिकतम अंक | उपलब्ध समय |
| 1 | एक मील की दौड़ | केवल परीक्षा पास करनी अनिवार्य है। | 10 मिनट |

नोट-(i) एक मील की दौड़ निर्धारित समय में पूरी की जानी है।

(ii) कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को जीआरईएफ केंद्र, पुणे में आयोजित की जाने वाली एक मील की दौड़ की परीक्षा पास करना अनिवार्य है तत्पश्चात उनकी चिकित्सा परीक्षा की जाएगी।

**अनुसूची-II**

## कार्मिकों के क्षेत्र-वार शारीरिक मानक

| क्रम सं. | क्षेत्र | राज्य / क्षेत्र सम्मिलित | शारीरिक मानक | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | न्यूनतम ऊंचाई | छाती | न्यूनतम वजन |
| क | पश्चिमी हिमालय | जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश व पंजाब के मध्य दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्र एवं मुकेरियन होशियार पुर की सड़क के उत्तरी एवं पूर्वी क्षेत्र, गढ़शंकर, रोपड़ व चंडीगढ़) , उत्तराखंण्ड | 158 सेमी | न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार | 47.5 किग्रा. |
| ख | पूर्वी हिमालय क्षेत्र | सिक्किम,नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, मणीपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र (दार्जिलिंग और कलिंगपोंग जिले तथा अण्डमान निकोबार) | 152 सेमी | न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार | 47.5 किग्रा. |
| ग | पश्चिम के मैदानी क्षेत्र | पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश | 162.5 सेमी | न्यूनतम 76 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार | 50 किग्रा. |
| घ | पूर्वी मैदानी क्षेत्र | पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार पश्चिम बंगाल व उड़ीसा और झारखण्ड | 157 सेमी | न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार | 50 किग्रा. |
| ड. | मध्य क्षेत्र | गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, दादर नगर और हवेली, दमन और दीव तथा छत्तीसगढ़ | 157 सेमी | न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का | 50 किग्रा. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | विस्तार | |
| च | दक्षिणी क्षेत्र | आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गोवा और पुदुचेरी, तेलंगाना | 157 सेमी | न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार | 50 किग्रा. |
| छ | सेवारत/पूर्व जीआरईएफ कार्मिकों के पुत्रों के लिए छूट | | 2 सेमी | 1 सेमी | 2 किग्रा. |
| ज | डीडी मामलों में छूट (यह अपने स्वयं के पुत्र, दत्तक पुत्र के लिए लागू होगा परंतु किसी अन्य संबंधी के लिए लागू नही होगा) | | 2 सेमी | 1 सेमी | 2 किग्रा. |
| झ | गोरखा (भारतीय निवासी) | | 152 सेमी | न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार | 47.5किग्रा. |

**अनुसूची-III**

## जीआरईएफ के लिए भर्ती के चिकित्सा मानक

### सामान्य

1. प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रर्याप्त रूप से बुद्धिमान एवं स्नायु संबंधी अस्थिरता से मुक्त होना चाहिए और उसका स्वास्थ अच्छा होना चाहिए। उसकी शारीरिक संरचना संबंधी या अधिग्रहित विकलांगता नहीं होनी चाहिए जिससे भर्ती चिकित्सा अधिकारी की राय में उसे कर्तव्यों, विशेषतः ऊचाई पर और कठिन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए उसे अनुपयुक्त घोषित किया जा सकता है।

### सामान्य परीक्षा

**2.** सभी मामलों में, चिकित्सा परीक्षा के दौरान यह नितांत आवश्यक है कि अभ्यर्थी के सभी वस्त्र उतरवाए जाएं। इस संबंध में गोपनीयता और सभ्यता का ध्यान रखा जाए। आंशिक रूप से वस्त्र उतरवाना ही पर्याप्त नहीं है। गुप्तांगों की परीक्षा किए जाने के समय को छोड़कर अंतःवस्त्र पहनने की अनुमति दी जा सकती है। शरीर के प्रत्येक भाग की परीक्षा की जानी चाहिए और यदि अभ्यर्थी समझाने के बाद भी यह स्वीकार नहीं करता है तो उसे खारिज कर दिया जाएगा। केवल बाजू अर्थात कोहनी से लेकर कलाई तक, भीतर की ओर तथा हथेली के पीछे की ओर / हाथ के पृष्ठ भाग पर स्थाई टैटू अनुमत्य हैं। तथापि अश्लील, अभद्र या अपत्तिजनक टैटू के मामले में, टैटू की स्वीकार्यता/ अस्वीकार्यता पर उप-महानिदेशक (कार्मिक) / जीआरईएफ केंद्र के कमांडेंट द्वारा निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में उप-महानिदेशक (कार्मिक) / जीआरईएफ केंद्र के कमांडेंट का निर्णय अंतिम होगा। शरीर के अन्य भाग पर टैटू स्वीकार्य नहीं हैं और ऐसे मामलों में अभ्यर्थी की आगे जांच नहीं की जाएगी।

### शारीरिक फिटनेस का दायित्व

**3.** जांचकर्ता चिकित्सा बोर्ड अभ्यर्थियों की शारीरिक फिटनेस, उनके शारीरिक विकास की संभावना और उनके पहचान चिह्न की जांच करने के लिए जिम्मेदार है। बोर्ड नामांकन प्रपत्र में उन छोटी कमियों को भी दर्ज करेगा जो अभ्यर्थी को खारिज करने के लिए अपर्याप्त हैं। यदि अभ्यर्थी उपयुक्त (फिट) पाया जाता है तो बोर्ड नामांकन प्रपत्र में आवश्यक प्रविष्टि करेगा और नामांकन प्रपत्र में फिट-श्रेणी जीआरईएफ लिखेगा और नामाकंन अधिकारी को लौटा देगा। नामांकन प्रपत्र पर चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर इस घोषणा पत्र के रूप में स्वीकार किए जाएंगे कि उसने मौजूदा निर्देशों के अनुसार उक्त अभ्यर्थी की व्यक्तिगत रूप से जांच की है और जो दोष उसने नामांकन प्रपत्र में नोट किए हैं, अभ्यर्थी में उन दोषों को छोड़कर अन्य कोई दोष नहीं हैं।

अभ्यर्थी के किसी भी दोष से संबंधित टिप्पणी चिकित्सा परीक्षक की स्वयं की लिखावट से अनुलेखित होगी। जब कोई विशिष्ट निशान न हों, तो इस संबंध में उल्लेख करना चाहिए।

**मेडिकल हिस्ट्री शीट जीआरईएफ/मेड/2A**

4. यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो कि सैनिक की सेवा निवृत्ति के पश्चात निशक्तता पेंशन के दावों से जुड़ा हुआ है। चिकित्सा बोर्ड जीआरईएफ/मेड/2A की सारणी संख्या 1 में दी गई चिकित्सा मदों को जीआरईएफ/मेड/2A के चिकित्सा बोर्ड द्वारा पूरा किया जाएगा।

5. इन दस्तावेजों को तैयार करने और उनका रख-रखाव करने में संबंधित अधिकारियों द्वारा विफल रहने और उनमें प्रविष्टिओं की गलती या अपर्याप्तता होने से अत्यधिक देरी हो सकती है जिससे भर्ती का खर्च बढ़ेगा और भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति के साथ गम्भीर अन्याय होगा। अतः चिकित्सा अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए कि परीक्षा के दौरान सभी आवश्यक प्रविष्टियां ध्यानपूर्वक और सटीकता से की गई हैं।

6. व्यक्ति की भविष्य में पहचान किए जाने हेतु इस प्रयोजनार्थ दिए गए स्थान में पहचान चिन्ह और छोटी कमियों को संक्षिप्त रूप से और स्पष्टतः नोट किया जाना चाहिए। किसी भी ऐसी कमियों पर सदैव विशेष ध्यान देना चाहिए जो भविष्य में पेंशन के संभावित दावों पर निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं।

**जीआरईएफ में अभ्यर्थियों की चिकित्सीय निरीक्षण को अभिशासित करने वाले नियम**

**अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा के मुख्य बिंदु**

7. अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा के मुख्य बिंदु। अभ्यर्थियों के निरीक्षण में ध्यान दिए जाने वाले मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:-

क. कि अभ्यर्थी पर्याप्त रूप से बुद्धिमान है (इस संबंध में किसी भी कमी पर परीक्षण के दौरान ध्यान दिया जाए)
ख. कि उसका शारीरिक गठन ठीक है और उसे कान, नाक और गले का कोई रोग नहीं है।
ग. कि उसकी दोनों आंखों की दृष्टि अपेक्षित मानकों के अनुरूप है, उसकी आंखें चमकदार, साफ हैं और उनमें कोई भेंगापन, नाइस्टेगेमस या कोई अपसामान्यता नहीं है। आंखों की पुतलियों को सभी दिशाओं में पूर्ण और मुक्त रूप से घूमना चाहिए।
घ. कि वह बिना किसी रूकावट के बात-चीत कर सकता है।
ङ. कि वह ग्रंथियों की सूज़न से पीड़ित नहीं है।
च. कि उसका सीना सुगठित है और कि उसका हृदय और फेफड़े स्वस्थ हैं।
छ. कि उसके अंग सुगठित और सुविकसित हैं।
ज. कि उसके सभी जोड़ मुक्त रूप से अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं।
झ. कि उसके पैर और पैरों की अंगुलियां सुसंरचित हैं।
ञ. कि उसके कोई जन्मजात विकृति या दोष नहीं है।

ट. कि उसके किसी पिछली पुरानी बीमारी के ऐसे कोई लक्षण नहीं हैं जो किसी शारीरिक विकृति को इंगित करते हों।

ठ. कि उसके पर्याप्त संख्या में स्वस्थ दांत हैं और वह सक्षमता से चबा सकता है।

**ड.** कि उसको जननांग/मूत्र-मार्ग संबंधी कोई रोग नहीं है।

**<u>स्थाई रूप से अयोग्य घोषित करने के आधार</u>**

**8.** निम्नलिखित में से किसी भी दशा को परिलक्षित करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य करार दिया जाएगाः-

क. सामान्य रूप से विकलांग शारीरिक संरचना एवं दुर्बलता (18 से कम बीएमआई)

ख. असामान्य चाल

ग. असामान्य अंग-विन्यास (काईपोसिस, सोलियोसिस या लार्डोसिस)

घ. सीने की समग्र रूप से शारीरिक विरूपता (पिजन चेस्ट, बैरल के आकार का सीना, पैक्टस ऐक्सकेवेटम, हैरिसन सल्कस एवं जोड़ (मुड़ी हुई टांगे, मुड़े हुए घुटने, मुड़े हुए पैर ,सपाट पैर)

ङ. दोषपूर्ण बुद्धिलब्धि

च. बधिरता

छ. हकलाना

ज. मानसिक एवं तंत्रिका संबंधी अस्थिरता जिसमें कपकपीं तथा हथेली एवं तलुओं में अत्यधिक पसीना आता है (पल्स रेट 100/मिनट से अधिक)

झ. यौन संचारित रोग

ञ. किसी भी स्तर का भैंगापन अथवा पुतलियों का असामान्य रूप से घूमना

ट. वर्णांधता के मामले

ठ. व्यक्ति की दोनों आंखों की सामान्य दृष्टि को प्रभावित करने वाला कार्नियल ओपेसिटिस

ड. कान के पर्दे में छेद

ढ. कानों से पीप बहने का दीर्घकालिक रोग/मध्यकर्ण शोध/कर्णमूल शोथिका

ण. दांतों का उस हद तक टूटना या सड़ना कि ठीक से चबाने में बाधा उत्पन्न होती हो। 14 से कम दांत

त. फेफड़ों का दीर्घकालिक संक्रमण

थ. अंतःस्त्रावी विकार

द. हृदय की अपसामान्य ध्वनि या उच्च रक्त चाप (रक्त चाप >140/95mm Hg)

ध. अधिक स्तर का अल्प दृष्टि दोष और अपवर्तक दोष को सुधारने के लिए कॉर्नियल सर्जरी के मामले

न. प्रत्यारोपण से ठीक किया गया फ्रैक्चर या फ्रैक्चर से प्रभावित जोड़ों का अस्थिसमेकन

प. कोई अंग विच्छेदन जिससे व्यक्ति की कार्य क्षमता प्रभावित होती हो

फ. केवल बाजू अर्थात कोहनी से लेकर कलाई तक, भीतर की ओर तथा हथेली के पीछे की ओर / हाथ के पृष्ठ भाग पर स्थाई टैटू अनुमत्य हैं। तथापि अश्लील, अभद्र या अपत्ति जनक टैटू के मामले में, टैटू की स्वीकार्यता/ अस्वीकार्यता पर उप-महानिदेशक (कार्मिक) / जीआरईएफ केंद्र के कमांडेंट द्वारा निर्णय लिया जाएगा। इस

संबंध में उप-महानिदेशक (कार्मिक) / जीआरईएफ केंद्र के कमांडेंट का निर्णय अंतिम होगा। शरीर के अन्य भाग पर टैटू स्वीकार्य नहीं है और ऐसे मामलों में अभ्यर्थी की आगे जांच नहीं की जाएगी।

**अस्थाई रूप से अयोग्य (अनफिट) घोषित करने के लिए आधार**

9. अस्थाई रूप से अयोग्य (अनफिट) घोषित करने के निम्नलिखित आधार हैः-

क. प्टेरिजियम
ख. नेत्र शोध
ग. दोष पूर्ण दृष्टि (चश्मे से ठीक करने पर दोनों आंखों की 6/6 स्वीकार्य होगी)
घ. ट्रैकोमा ग्रेड-III
ङ. विपथित नासिका झिल्ली
च. गलसुओ की दीर्घ कालिक सूजन
छ. कुछेक दांतों में सड़न (डैंच्योर से ठीक करने पर स्वीकार्य है)
ज. पिट्रीएसिस वेर्सिकॉलर
झ. टीनियाक्रोसिस, खुजली, एग्जिमा आदि
ञ. प्लैंटर मस्से
ट. हाइड्रोसिल, हर्निया, वेरीकोसील
ठ. वेरीकोस वेंस
ड. फिमोसिस, गुदा में फिसर या व्रण, बवासीर
ढ. श्वसन नली में अत्यधिक संक्रमण
ण. गाइनेकोमस्टिया
त. रक्त क्षीणता
थ. हैपेटोस्प्लीनोमैगाली
द. 30 से ऊपर वीएमआई (तीन महीने के भीतर वीएमआई 30 से नीचे लाए जाने पर स्वीकार्य होगा)

**छोटी कमियों वाले अभ्यर्थियों की स्वीकार्यता**

10. निम्नलिखित दशाओं को परिलक्षित करने वाले अभ्यर्थियों को स्वीकार किया जा सकता है:-

क. थोड़े सपाट पैर परंतु पैरों की अंगुलियां लचीली और सुगठित हों।
ख. थोड़े मुड़े हुए घुटने (इंटर मेलोलिक दूरी 5 सेमी.)
ग. थोड़े मुड़ी टांगे (इंटर कोंडाइलर दूरी 7 सेमी.)
घ. सेफेना वेरिक्स का कम स्तर

ड. वेरीकोसिली का कम स्तर या अनडिसेंडेड वृषण (इंगुइनल क्षेत्र में स्थिर नहीं)

च. कानों के पर्दे में छेद जिसका उपचार कराकर ठीक कर लिया गया है।

छ. बिना किसी विकार के उपचारित ट्रैकोमा

ज. थोड़ा हकलाना

झ. हाइपरहाइड्रोसिस का कम स्तर

ञ. फिमोसिस/हाइड्रोसिस का कम स्तर

ट. कानों में छिद्र जिसका उपचार करके बंद कर दिया गया हो और जिसका स्वस्थ दाग रह गया हो (टाइम्पेनोप्लास्टी की जा चुकी हो।)

ठ. टांगों की थोड़ी वक्रता

ड. पैरों की अंगुलियों का कम स्तर का हैमर

ढ. वेरीसिस का कम स्तर

ण. टिनिआ वेर्सिकोलर

त. विपथित नासिका झिल्ली ( उपचार के बाद स्वीकार्य)

थ. ऐसा कोई अन्य विकार जो भर्ती चिकित्सा अधिकारी की राय में अभ्यर्थी की कार्य-क्षमता को भविष्य में प्रभावित न करता हो बशर्ते कि अभ्यर्थी सभी संदर्भो में निर्धारित मानकों को पूरा करता हो। यदि कोई विकार कम स्तर का हो तो उसे दस्तावेज में दर्ज किया जाए।

अभ्यर्थी से इस बात का भी वचन-पत्र लिया जाए कि मिर्गी, कुष्ठ, मधुमेह तपेदिक या एचआईवी संक्रमण से संबंधित उसका कोई पूर्व इतिहास नहीं है। पूर्व के उपचारित ऑपरेशनों को मेडिकल केस शीट में नोट किया जाएगा।

उपर्युक्त छूट केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को अनुमत्य है जो मापों के निर्धारित मानक पूरा करते हों।

**किसी अनफिट होने के मामले में उच्चतर समीक्षा अधिकारी से अनापत्ति प्राप्त करने के लिए समय सीमा**

11. (क) **स्थाई रूप से अयोग्य** घोषित किए जाने के सभी मामलों की उच्चतर चिकित्सा अधिकारी द्वारा समीक्षा की जाए और अयोग्य घोषित किए जाने के समय से एक महीने की अवधि के भीतर उसे अयोग्य/योग्य घोषित किया जाना चाहिए।

(ख) उच्चतर चिकित्सा अधिकारी द्वारा **अस्थाई रूप से अयोग्य** घोषित किए जाने के सभी मामलों की, अयोग्य घोषित किए जाने के समय से तीन महीने (90 दिन) के भीतर उसे योग्य/अयोग्य घोषित करने के लिए समीक्षा की जाए।

12. ऐसे सभी मामलों में जिनमें अभ्यर्थी किसी अल्प दोष से पीड़ित हो और उसे स्वीकार किया जाता है, चिकित्सा बोर्ड स्वयं को पूर्ण रूप से संतुष्ट करेगा कि उक्त दोष किसी भी तरह बी.आर.ओ में अधीनस्थ के रूप में कार्य करने में अभ्यर्थी की कार्य क्षमता को प्रभावित नहीं करेगा।

13. जहां पैरा 10 में उल्लिखित छोटी कमियों के अभ्यर्थी को स्वीकार किया जाता है, वह कमी अनिवार्य रूप से मेडिकल हिस्ट्री शीट जीआरईफ/मेड/2 ए में नोट किया जाए।

14. साधारण प्रकृति की मामूली स्वास्थ्य समस्याओं, जैसे-साधारण घावों, जूतों के काटने, सामान्य सर्दी-खांसी और इसी तरह की अन्य छोटी-मोटी बीमारियों जोकि प्राय: कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती हैं, से पीड़ित लोगों को स्वीकार किया जा सकता है। इस तरह की भर्ती को स्वीकार करने से पहले मेडिकल बोर्ड खुद को पूरी तरह संतुष्ट करेगा कि अंतरंग (इनडोर) उपचार के बिना रोग कुछ ही दिनों में ठीक हो सकता है। सामान्यत:, जब तक अभ्यर्थी के लिए कुछेक अनिवार्य अपेक्षाओं को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती है, जोकि आसानी से पूरी नहीं की जा सकती हैं, उसे सलाह दी जानी चाहिए कि वह खुद का इलाज करवाए और फिर से आए। यदि ऐसे अभ्यर्थी को स्वीकार किया जाता है, जोकि किसी भी प्रकृति के मामूली रोग से पीड़ित है, तो मेडिकल हिस्ट्री शीट जीआरईएफ/मेड/2ए में रोग से संबंधित कोई भी प्रविष्टि करने की आवश्यकता नहीं है।

15. अपेक्षित चिकित्सीय मानकों को पूरा नहीं करने के कारण अस्वीकृति के सभी मामलों में मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

--***--